जिला आपदा प्रबन्धन योजना
सुपौल

वर्ष 2022

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप

बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

विशय सूची

तालिका सूची
मानचित्र सूची
शब्द संक्षिप्त
शब्दावली
सारांश

1. **परिचय(Introduction)**
   1.1 उद्देश्य
   1.2 योजना का विस्तार
   1.3 योजना विकसित करने की कार्य प्रणाली
   1.4 जिला आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन : प्रमुख हितभागी एवं उनकी जिम्मेदारियां
   1.5 योजना पुनरावलोकन एवं अपडेट करने की अवधि

2. **जिले का परिचय(Introduction of District)**
   2.1 भौगोलिक परिचय
   2.2 जलवायुविक विशेषताएं
   2.3 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
   2.4 जनसंख्यात्मक परिचय
   2.5 प्रशासनिक ढांचा
   2.6 प्राकृतिक संसाधन

3. **खतरा जोखिम नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण (Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Assessment (HRVCA))**
   3.1 आपदा की प्रकृति एवं स्वरूप
   3.2 नाजुकता एवं जोखिम विश्लेषण
   3.3 क्षमता आंकलन

4. **संस्थागत व्यवस्था(Institutional Arrangements)**
   4.1 जिला आपदा प्रबन्धन अभिकरण
   4.2 पंचायती राज संस्थाएं
   4.3 सामुदायिक संस्थाएं
   4.4 जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर
   4.5 समन्वय तंत्र

5. **रोकथाम, शमन एवं पूर्व तैयारी हेतु उपाय(Measures for Prevention, Mitigation and Preparedness)**
   5.1 विभागों/अभिकरणों के मुख्य कार्य
   5.2 सभी विभागों/अभिकरणों के लिए मुख्य कार्य (समान रूप से)
   5.3 आपदावार विभागों/अभिकरणों के कार्य

6. **क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण(Capacity Building and Trainings)**
   6.1 संस्थागत क्षमता वर्धन
   6.2 जागरूकता

7. **रिस्पान्स योजना(Response Plan)**

8. **पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वापसी(Reconstruction, Rehabilitation and Recovery)**
   8.1 पुनर्निर्माण
   8.2 पुनर्वापसी

9. **बजट एवं वित्तीय संसाधन(Budget and Financial Resouces)**
   9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायक योजनाएं/कार्यक्रम, जुड़ाव का स्वरूप व कार्यदायी संस्थाएं
   9.2 केन्द्रीय सरकार की गैर योजना कार्यक्रम
   9.3 अन्य विकल्प

10. **निगरानी, मूल्यांकन एवं जिला आपदा प्रबन्धन योजना का अद्यतन(Monitoring, Evaluation and Updation of District Disaster Management Plan)**

संलग्नक सूची

संलग्नक 1	:	आपदा प्रबन्धन के विषय में विभिन्न पदाधिकारियों की भूमिका एवं जवाबदेही
संलग्नक2	:	औसत वार्षिक, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सम्बन्धी आंकड़े ;1971—2017द्ध
संलग्नक 3	:	वर्षवार अगलगी आपदा से प्रभावित गांवों की सूची
संलग्नक 4	:	जिला सुपौल में छत एवं दीवार में प्रयोग हुई सामग्री के आधार पर क्षति की संभावना
संलग्नक5 :		जिले में पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध के बीच में बसे गांवों की सूची एवं उससे सम्बन्धित सूचनाएं
संलग्नक 6	:	विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित सूचनाएं
संलग्नक6 अ	:	विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित संसाधन
संलग्नक7	:	संभावित बाढ़ व सुखाड़ हेतु मानव व पशु शरणस्थली
संलग्नक 8	:	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित सूचनाएं
संलग्नक 9	:	पुलिस विभाग, इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर एवं अग्निशमन विभाग से सम्बन्धित सूचनाएं
संलग्नक 10	:	आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अनुसार शक्तियां एवं कार्य
संलग्नक 11	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर प्रशिक्षित मुखिया एवं सरपंचों की सूची
संलग्नक 12	:	सुपौल जिले की मुख्य कियाशील स्वैच्छिक संस्थाओं की सूची
संलग्नक 13	:	विभिन्न आपदाओं में की जाने वाली कार्यवाही के फ्लो चार्ट
संलग्नक 14	:	विभिन्न आपदाओं की स्थिति में रोक—थाम के उपाय
संलग्नक 15	:	अस्पताल सुरक्षा हेतु दिशा—निर्देश
संलग्नक 16	:	स्कूल सुरक्षा से सम्बन्धित दिशा—निर्देश
संलग्नक 17	:	सड़क यातायात सुरक्षा से सम्बन्धित दिशा—निर्देश
संलग्नक 18	:	प्रशिक्षित प्रशासनिक अधिकारियों की सूची
संलग्नक 19	:	बिहार आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के सन्दर्भ में जारी किये गये दिशा—निर्देश
संलग्नक 20	:	आपदाओं से निपटने हेतु विभागवार चेकलिस्ट

तालिका सूची

तालिका 1	:	जिला में विगत 13 वर्षों का वार्षिक वर्षा का आंकड़ा (2004–17)
तालिका 2	:	सुपौल जिला से सम्बन्धित सामान्य सूचनाएं
तालिका 3	:	नगर परिषद/नगर पंचायत की जनसंख्या
तालिका 4	:	सुपौल अनुमण्डल का विवरण
तालिका 5	:	त्रिवेणीगंज अनुमण्डल का विवरण
तालिका 6	:	वीरपुर अनुमण्डल का विवरण
तालिका 7	:	निर्मली अनुमण्डल का विवरण
तालिका 8	:	अनुमण्डल एवं प्रखण्ड का नाम व मुख्यालय से दूरी
तालिका 9	:	जिले में पशुधन एवं उनकी संख्या
तालिका 10	:	जिले में विभिन्न प्रकार की आपदाओं की स्थिति
तालिका 11	:	जिले में विभिन्न प्रकार की आपदाओं का मौसमी चित्रण
तालिका 12	:	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पंचायत एवं ग्रामों की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन
तालिका 13	:	प्रखण्डवार बाढ़ आपदा की आवृत्ति
तालिका 14	:	सुपौल जिला में बाढ़ से होने वाला नुकसान (1991–2015)
तालिका 15	:	वर्षवार अगलगी की घटनाओं का विवरण
तालिका 16	:	2016–17 में सड़क दुर्घटना के कारण हुई मौतों का विवरण
तलिका 17	:	वर्षवार विद्युत स्पर्शाघात से हुई मौतों का विवरण
तालिका 18	:	विभिन्न आपदाओं से होने वाली मानव क्षति का वर्षवार विवरण
तालिका 19	:	बहुआपदा नाजुकता एवं जोखिम वाले क्षेत्र
तालिका 20	:	जिले में उपलब्ध संसाधन
तालिका 21	:	अंचलवार मानव शरण स्थली हेतु ऊंचे स्थल
तालिका 22	:	अंचलवार पशु शरण स्थली हेतु ऊंचे स्थल
तालिका 23	:	शरण स्थली हेतु संसाधन
तालिका 24	:	खाद्यान्न भण्डारण हेतु गोदामों/चिन्हित स्थलों की सूची
तालिका 25	:	सुपौल जिले में उपलब्ध पंजीकृत छोटे व बड़े वाहन (01.04 2001 से 01.10 2017)
तालिका 26	:	सुपौल जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं (मानव व भौतिक)
तालिका 27	:	जिले में प्रखण्डवार उपलब्ध तालाब/पोखर–पोखरी की संख्या
तालिका 28	:	आग से बचाव हेतु संसाधन– अनुमण्डल स्तर
तालिका 29	:	जिला में पुलिस थाना
तालिका 30	:	इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर हेतु आवश्यक संसाधन
तालिका 31	:	विभागवार अपेक्षित प्रशिक्षण विषय एवं लाभार्थियों की सूची
तालिका 32	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायक केन्द्र व राज्य की योजनाएं एवं जुड़ाव का स्वरूप

मानचित्र की सूची

मानचित्र 1	:	कोसी नदी एवं उसका ऐतिहासिक मार्ग परिवर्तन
मानचित्र 2	:	जिले में तटबन्ध एवं नदियां
मानचित्र 3	:	जिले में अधिकतम तापमान (1971–2017)
मानचित्र 4	:	जिले में न्यूनतम तापमान (1971–2017)
मानचित्र 5	:	जिले में वार्षिक वर्षा की स्थिति (2004–17)
मानचित्र 6	:	सुपौल जिला प्रशासनिक क्षेत्र
मानचित्र 7	:	जिले की भौगोलिक स्थिति
मानचित्र 8	:	जिला में बाढ़ प्रभावित प्रखण्ड
मानचित्र 9	:	जिला में भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील प्रखण्ड
मानचित्र 10	:	रोड नेटवर्क एवं दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील बिन्दु
मानचित्र 11	:	पूर्वी और पश्चिमी कोसी तटबन्धों के बीच बसे बाढ़ से पूर्ण एवं आंशिक प्रभावित गांव

शब्द संक्षिप्त

ए0एन0एम0	:	आक्जिलरी नर्स मिडवाइफ
बी0एम0टी0पी0सी0	:	बिल्डिंग मटेरियल टेक्नालाजी प्रमोशन कौंसिल
बी0पी0एम0यू0	:	ब्लाक प्रोग्राम मैनेजमेण्ट यूनिट
बी0एस0एन0एल0	:	भारत संचार निगम लिमिटेड
सी0बी0ओ0	:	कम्यूनिटी बेस्ड आर्गनाइजेशन
सी0डी0आर0टी0	:	कम्यूनिटी डिजास्टर रिस्पान्स टीम
सी0आई0एस0एफ0	:	सेण्ट्रल इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स
सी0ओ0	:	सर्किल आफिसर
सी0आर0पी0	:	कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन
सी0एस0ओ0	:	सिविल सोसायटी आर्गेनाइजेशन
सी0एच0सी0	:	कम्यूनिटी हेल्थ सेण्टर
सी0एस0आर0	:	कारपोरेट सोशल रिस्पान्सबिलिटी
डी0ए0एच0ओ0	:	डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बैण्डरी आफिसर
डी0डी0एम0ए0	:	डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेण्ट अथारिटी
डी0डी0एम0सी0	:	डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेण्ट सेण्टर
डी0एम0टी	:	डिजास्टर मैनेजमेण्ट टीम
डी0पी0एम0यू0	:	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेण्ट यूनिट
डी0आर0आर0	:	डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
डी0टी0ओ0	:	डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट आफिस
ईओसी	:	इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर
ईएसएफ	:	इमरजेन्सी सपोर्ट फंक्शन
एफ0सी0आई	:	फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया
एफ0आई0आर0	:	फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट
एच0बी0	:	हेल्थ बिजीटर
एच0आर0वी0सी0ए0	:	हजर्ड, रिस्क, वलनरेबिलिटी एण्ड कैपेसिटी एससेमेण्ट
आई0सी0डी0एस0	:	इण्टीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेण्ट सेण्टर
आई0ई0सी0	:	इन्फारमेशन, एजुकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन
आई0एम0ए0	:	इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन
आई0आर0एस0	:	इमरजेन्सी रिस्पान्स सिस्टम
आई0टी0	:	इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी
आई0वी0	:	इण्ट्रावेनस
जे0ई0	:	जूनियर इंजीनियर
के0वी0के0	:	कृषि विज्ञान केन्द्र
एम0ओ0आई0सी0	:	मेडिकल आफिसर इनचार्ज
एम0आई0एस0	:	मैनेजमेण्ट इन्फार्मेशन सेण्टर

एम0आई0एस0पी0	:	मिनिमम इनीशियल सर्विस पैकेज
एन0ए0पी0सी0	:	नेशनल एसोसियेशन आफ प्लानिंग कौंसिल
एन0डी0एम0ए0	:	नेशनल डिजास्टर मैनेजमेण्ट अथारिटी
एन0डी0आर0एन0	:	नेशनल डिजास्टर रिस्पान्स फोर्स
एन0जी0ओ0	:	नॉन गवर्नमेण्ट आर्गनाइजेशन
एन0एच0	:	नेशनल हाइवे
एन0एस0एस0	:	नेशनल सर्विस स्कीम
एन0सी0सी0	:	नेशनल कैडेट कोर
एन0वाई0के0	:	नेहरू युवा केन्द्र
ओ0आर0एस0	:	ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन
पी0डी0एस0	:	पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम
पी0एच0सी0	:	प्राइमरी हेल्थ सेण्टर
पी0एच0ई0डी0	:	पब्लिक हेल्थ एण्ड इन्जीनियरिंग डिपार्टमेण्ट
पी0पी0पी0	:	पब्लिक–प्राइवेट–पार्टनरशिप
पी0आर0ए	:	पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथारिटी
पी0डब्ल्यू0डी0	:	पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेण्ट
क्यूआरटी	:	क्विक रिस्पान्स टीम
आर0ए0एफ0	:	रैपिड एक्शन फोर्स
आर0टी0ए0	:	रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी
आर0डब्ल्यू0एस0एस0	:	रूरल वाटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन
एस0डी0एम0ए0	:	स्टेट डिजास्टर मैनेजमेण्ट अथारिटी
एस0डी0ओ0	:	सब डिवीजनल आफिसर
एसडी0आर0एन0	:	स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क
एस0डी0आर0एफ0	:	स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फोर्स
एस0पी0 सिग्नल	:	सिग्नल ट्रांसफर प्वाइण्ट
एस0आर0टी0एम0	:	शटल रडार टोपोग्राफी मिशन
एस0एस0सी0	:	स्टाफ सेलेक्शन कमीशन
एस0टी0ओ0	:	स्टेट ट्रान्सपोर्ट आफिस
यू0एन0	:	यूनाईटेड नेशन्स
यू0एन0डी0पी0	:	यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेण्ट प्रोग्राम
यूनीसेफ	:	यूनाइटेड नेशन्स इण्टरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेन्सी फण्ड
यूआरएस	:	यूनाइटेड रिस्पान्स स्ट्रेटजी
वी0एच0एफ0	:	वेरी हाई फ्रिक्वेन्सी

शब्दावली

Acceptable Risk	:	स्वीकार्य जोखिम
Adaptation	:	अनुकूलन
Biological Hazard	:	जैविक संकट
Building Code	:	भवन निर्माण संहिता
Capacity	:	धारिता
Capacity Development	:	धारिता विकास
Climate Change	:	जलवायु परिवर्तन
Contingency planning	:	आकस्मिकता नियोजन
Coping Capacity	:	शिखर क्षमता
Corrective disaster risk management	:	सुधारात्मक आपदा जोखिम प्रबन्धन
Critical facilities	:	क्रान्तिक सुविधाएं
Disaster	:	आपदा
Disaster Risk	:	आपदा जोखिम
Disaster Risk Management	:	आपदा जोखिम प्रबन्धन
Disaster Risk Reduction	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
Disaster Risk Reduction Plan	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना
Early Warning System	:	पूर्व चेतावनी तंत्र
Ecosystem Services	:	पारिस्थितिकी सेवाएं
Emergency management	:	आपातकालीन प्रबन्धन
Emergency services	:	आपातकालीन सेवाएं
Environmental degradation	:	पर्यावरण अवनयन
Environmental impact assessment	:	पर्यावरण पर प्रभाव आकलन
Exposure	:	प्रभाविता
Extensive risk	:	विस्तृत जोखिम
Forecast	:	पूर्वानुमान
Geological hazard	:	भौगर्भिक आपदा
Greenhouse gases	:	हरित गृह गैसें
Hazard	:	संकट
Hydrometerological hazard	:	जलीय मौसमी संकट
Intensive risk	:	गहन जोखिम
Land-use planning	:	भूमि उपयोग नियोजन
Mitigation	:	न्यूनीकरण

National platform for disaster risk reduction	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच
Natural hazard	:	प्राकृतिक संकट
Preparedness	:	तैयारी
Prevention	:	निवारण
Prospective disaster risk management	:	संभावित आपदा जोखिम प्रबन्धन
Public awareness	:	जन चेतना
Recovery	:	पुनर्प्राप्ति
Residual risk	:	अवशेप जोखिम
Resilience	:	लोचकता ;रेसीलेंसद्ध
Response	:	अनुक्रिया
Retrofitting	:	सुदृढ़ीकरण
Risk	:	जोखिम
Risk assessment	:	जोखिम आकलन
Risk management	:	जोखिम प्रबन्धन
Risk transfer	:	जोखिम हस्तान्तरण
Socio-natural hazard	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
Structural and non-structural measures	:	संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय
Sustainable development	:	संदघृत विकास
Technology hazard	:	तकनीकी आपदा
Vulnerability	:	घातकता या नाजुकता

सारांश

विगत दो–तीन दशकों में प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के स्वरूप एवं प्रकृति में काफी परिवर्तन आया है। आपदाओं की दृष्टि से सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र भी अब आपदाओं की चपेट में आतेजारहे हैं। नयी–नयी आपदाओं से पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, जिससे न केवल मनुष्य वरन् जीव–जन्तु भी गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से इन आपदाओं से निपटने हेतु मिल–जुल कर व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की दृष्टि से आपदा प्रबन्धन योजना बनाने की आवश्यकता पड़ रही है।

राष्ट्र एवं राज्य की तर्ज पर जिले में आपदाओं से निपटने हेतु जिले स्तर पर भी जिला आपदा प्रबन्धन योजना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। वर्ष 2005 में, भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम ;2005द्ध की धारा 25 की उपधारा ;1द्ध में दिये गये निर्देश के अनुसार जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। इसके अलावा अधिनियम की धारा 31 में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सभी तरह की आपदाओं से निपटने हेतु सम्बन्धित विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए गतिविधियां संचालित करने की दृष्टि से जिला आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण किया जायेगा।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना के माध्यम से न सिर्फ पूर्व तैयारी, रोक–थाम एवं शमन के उपायों पर विस्तृत समझ विकसित की जा सकती है, वरन् जिले के अन्दर विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों/संवेदनशील संवर्गों एवं समुदायों की पहचान की जा सकेगी। इसके साथ ही अलग–अलग आपदाओं के लिए अलग–अलग गतिविधियों की पहचान भी की जा सकेगी।

सुपौल जिले की आपदा प्रबन्धन योजना को तैयार करते समय विभिन्न प्रकार की आपात स्थिति से निपटने हेतु सम्बन्धित सभी विभागों के लिए रोक–थाम, पूर्व तैयारी, शमन, रिस्पान्स, पुनर्स्थापन आदि गतिविधियां निर्धारित करते समय विभाग की विभागीय कार्ययोजना को भी ध्यान में रखा गया। विभागों की विभागीय कार्य योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश किया जाना आपदा से निपटने हेतु तात्कालिक तौर पर किया गया उपाय है।

गौरतलब है कि विभागीय कार्ययोजना विकासीय मुद्दों के ऊपर बनते हैं और किसी भी प्रकार की आपदा से इन विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में विभागीय कार्ययोजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश करने से स्थाई विकास की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विभागीय कार्ययोजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के पहलुओं को शामिल करने से विभाग आपदा जोखिम न्यूनीकरण जैसे संवेदनशील विषय से परिचित हो सकेगा और गतिविधियों को ढोने की बजाय उन्हें रूचि के साथ क्रियान्वित करेगा।

जिले की आपदा प्रबन्धन योजना का मुख्य लक्ष्य विभिन्न आपदाओं के प्रभावों को कम से कम करते हुए, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों तथा मानव एवं पशुधन के नुकसान में कमी करना है। आपात काल में अव्यवस्था की स्थिति से बचने हेतु विभिन्न विभागों का आपस में समन्वयन तथा एक–दूसरे के साथ सहभागिता पर समझ विकसित करना भी इस दस्तावेज का उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिला, अनुमण्डल व प्रखण्ड स्तर पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की गयी। साथ ही विभाग के पास मौजूद संसाधनों व क्षमताओं के साथ–साथ विभाग की कमियों को भी जानने का प्रयास किया गया।

इस दस्तावेज को तैयार करने में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उपधारा ;1द्ध व ;2द्ध में वर्णित उपबंधों का सहारा लिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत दिये गये दिशा–निर्देश, बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा तैयार बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न आपदाओं के लिए जारी किये गये एस0ओ0पी आदि दस्तावेजों का भी सहारा लिया गया।

आपदा की दृष्टि से बिहार अतिसंवेदनशील राज्य है और आपदा से बचाव के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाये गये हैं। जिसके अन्तर्गत 2015 में आपदा प्रबन्धन विभाग के तत्वाधान में आपदा के दृष्टिकोण से विस्तृत विचारमंथन कर बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप का निर्माण किया गया। इस दस्तावेज का निर्माण SFDRR के अन्तर्गत बताये गये लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया गया, जिसमें राज्य से लेकर ग्राम पंचायत तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को विभागवार बताया गया है। विभागवार गतिविधियों का निर्धारण करने में पांच मुख्य तत्वों – सुरक्षित ;रिजीलियेण्टद्ध गांव, सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों, सुरक्षित आधारभूत सेवाओं तथा सुरक्षित शहरों को ध्यान में रखा गया है। जिले की आपदा प्रबन्धन योजना बनाते समय बिहार डीआरआर रोडमैप के अन्तर्गत दिये गये विभागीय प्रावधानों को भी समाहित किया गया है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना

सुपौल जिले की आपदा प्रबन्धन योजना को कुल 10 अध्यायों में विभक्त किया गया है। विषयवार प्रत्येक अध्याय के अन्तर्गत निहित विषय तत्व निम्नलिखित हैं–

जिला आपदा प्रबन्धन योजना का पहला अध्याय परिचय का है। इस अध्याय में जिला आपदा प्रबन्धन योजना का परिचय देने के साथ ही योजना निर्माण के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में योजना बनाने की रणनीति एवं प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है साथ ही जिला आपदा प्रबन्धन योजना की अनिवार्यता एवं महत्ता को बताते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के बारे में चर्चा की गयी है एवं योजना को अद्यतन करने के विषय में बताया गया है।

दूसरा अध्याय सुपौल जिले के परिचय से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत जिले में बाढ़ का कारण बनने वाली नदियों, बाढ़ से सुरक्षा हेतु बने तटबन्धों आदि के बारे में बताया गया है। जिले का विस्तार बताने के साथ ही मिट्टी की प्रकृति आदि के बारे में चर्चा की गयी है। जिले की जलवायु एवं मौसमों के बारे में चर्चा करने के साथ ही जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया है। जिले का जनसंख्यात्मक परिचय देने के साथ ही जिले के अनुमण्डलों, प्रखण्डों एवं गांवों के बारे में इस अध्याय में सविस्तार चर्चा की गयी है। 25^0–37श से 26^0–25श उत्तरी अक्षांश तथा 86^0–22श से 87^0–10श पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित सुपौल जिला की कुल आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 2334854 है, जिसमें 1211071 पुरूष एवं 1123563 महिलाएं हैं।

तीसरे अध्याय में जिला को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं जैसे – बाढ़, भूकम्प, अगलगी, ठनका, चक्रवात, सुखाड़, सड़क दुर्घटना आदि आपदाओं की प्रकृति व उनसे होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा की गयी है। विभिन्न आपदाओं का मौसमी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित इस अध्याय में समुदाय के साथ की गयी चर्चाओं से निकली प्राप्तियों को भी समाहित किया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के अनुसार बाढ़ जिले की प्रमुख आपदा है। जिले के 6 अंचलों – सुपौल, किशनपुर, सरायगढ़–भपटियाही, निर्मली, मरौना एवं बसंतपुर के 130 गांवों की लगभग 310000 आबादी सामान्यतः प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है। इसी अध्याय के अन्तर्गत जिला में विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में उपलब्ध संसाधनों का चित्रण किया गया है। जिसके अनुसार जिले में बाढ़ आपदा से निपटने हेतु कुल पंजीकृत सरकारी व निजी नावों की संख्या 362 तथा मोटरबोट की संख्या 23 है। साथ ही बाढ़ शरणालयों का विवरण भी दिया गया है। जिले के पास आपदाओं से निपटने हेतु विभिन्न विषयों में दक्ष 2000 प्रशिक्षु भी हैं। इस अध्याय के अन्तर्गत परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण दिया गया है।

योजना के चौथे अध्याय में प्रभावी आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत प्रणाली की चर्चा की गयी है। इसके अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं एवं एजेन्सियों के बारे में व्यापक चर्चा की गयी है। इस अध्याय में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का परिचय देते हुए उसके अधिकार एवं शक्तियों के बारे में चर्चा की गयी है। आपदा के रोक–थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के साथ किसी आपदा के दौरान त्वरित रिस्पान्स करने हेतु विभिन्न हितभागियों के साथ प्रभावी समन्वयन करने की दृष्टि से स्थानीय स्वशासन ;पंचायती राज संगठनोंद्धए सामुदायिक संगठनों व अन्य निजी संगठनों/एजेन्सियों की भूमिका एवं जवाबदेही की चर्चा की गयी है। इसी अध्याय में जिले में स्थापित इमरजेन्सी रिस्पान्स सेण्टर, उसमें उपलब्ध सामग्रियों तथा आपदा के दौरान एवं सामान्य समय में ई0ओ0सी0 द्वारा किये जाने वाले कार्यों की भी चर्चा की गयी। एक इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर में पर्याप्त मानव संसाधनों सहित

आधुनिक संचार सुविधाएं, कम्प्यूटर, इण्टरनेट एवं पर्याप्त मात्रा में कुर्सी मेज की भी उपलब्धता को आवश्यक बताया गया है।

योजना के पांचवे अध्याय ''रोक–थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी हेतु उपाय''में आपदा के रोक–थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी उपायों के ऊपर विभागवार चर्चा की गयी है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अध्याय 5 के अन्तर्गत 40वें अनुच्छेद के अनुसार सभी विभागों की विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण किया जाना है। साथ ही राज्य के डी0आर0आर0 रोड मैप में दिये गये पांच स्तम्भों में भी विभागों की गतिविधियों को विर्निदिष्ट किया गया है। उपरोक्त दोनों के आलोक में पांचवा अध्याय सम्बन्धित हितभागियों/विभागों के लिए सुझायी गयी गतिविधियों पर आधारित है। जिसके अन्तर्गत कुल 20 विभागों के लिए आपदा निवारण हेतु शमन, रोक–थाम, पूर्व तैयारी एवं क्षमता निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियों को शामिल किया गया है। गतिविधियों का निर्धारण करते समय विभाग की पूर्व विकासीय योजनाएं, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य तथा उनकी विभागीय सीमाओं को ध्यान में रखा गया।

छठा अध्याय प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का है। जिसके अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन हेतु आवश्यक दक्षता पर चर्चा की गयी है। इन दक्षताओं को प्रदान करने हेतु चिन्हित संस्थाओं/एजेन्सियों के ऊपर व्यापक चर्चा की गयी है। इस अध्याय में संस्थागत क्षमता वर्धन के साथ ही समुदाय, सामुदायिक संगठनों एवं पंचायती राज संगठनों के क्षमता वर्धन के बारे में चर्चा की गयी है।साथ ही तालिका के माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक प्रशिक्षणों एवं प्रशिक्षण लेने वाले स्टाफ/पदनाम को भी दर्शाया गया है। यह तालिका विभिन्न विभागों के साथ की गयी बैठकों तथा उनसे निकले बिन्दुओं के आधार पर तैयार की गयी है।

योजना के सातवें अध्याय में रिस्पान्स द्वारा प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु विभिन्न विभागों के आपसी समन्वयन एवं समन्वय के घटकों पर चर्चा की गयी है। इसी अध्याय में जिला में गठित विभिन्न कोषांगों, उसके नोडल विभाग, सहयोगी विभागों तथा आपदा के समय उनके द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं के बारे में व्यापक चर्चा की गयी है। इसके साथ सेना, एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0, पुलिस एवं अग्निशमन विभागों द्वारा आपदा के दौरान निभाई जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों के ऊपर भी चर्चा की गयी है।

आठवां अध्याय आपदा के बाद पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्प्राप्ति के विभिन्न उपायों पर आधारित है। इस अध्याय में पुनर्निर्माण के दौरान की जाने वाली गतिविधियों को मुख्य रूप से दो भागों – तात्कालिक एवं दीर्घकालिक गतिविधियों में बांटकर उसी के अनुरूप कार्य करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि क्षति आकलन करते समय किन–किन बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए, राहत का वितरण आपदा राहत कोष में दिये गये मानकों के अनुरूप होना चाहिए तथा सुधार, मरम्मति एवं निर्माण के दौरान किन–किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दीर्घकालिक गतिविधियों में आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मुद्दों को ध्यान मे रखने की बात की गयी है। जबकि पुनर्प्राप्ति के अन्तर्गत सामाजिक–आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, कृषिगत व पर्यावरण पुनर्प्राप्ति तथा सामाजिक पूंजियों के पुनर्स्थापन के ऊपर चर्चा की गयी है।

नवें अध्याय में आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधनों की पहचान की गयी है। इस अध्याय में आपदा प्रबन्धन हेतु केन्द्रीय एवं राज्य स्तर से मिलने वाले अनुदानों के साथ ही यह भी देखने का प्रयास किया गया है कि किन योजनाओं के साथ जुड़ाव स्थापित कर आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन आसानी से किया जा सकता है।

दसवां एवं अन्तिम अध्याय आपदा प्रबन्धन योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन का है, जिसके अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जिला आपदा प्रबन्धन योजना के निर्माण से सम्बन्धित धारा 31 की उपधारा 4, 5, 6 एवं 7 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार निगरानी हेतु आवश्यक बिन्दुओं की पहचान की गयी है।

संलग्नक

सुपौल जिले की आपदा प्रबन्धन योजना का दूसरा खण्ड संलग्नक का है, जिसमें आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक दस्तावेजों, संसाधनों, दिशा–निर्देशों एवं जिले से सम्बन्धित अन्य सूचनाओं को संलग्नक के तौर पर समाहित किया गया है। इस खण्ड में –

संलग्नक 1 के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन हेतु जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों – जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, आपदा, असैनिक एवं शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अंचल पदाधिकारियों तथा पंचायत की आपदा के दौरान भूमिका एवं जवाबदेही के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है।

संलग्नक 2 में 1971–2017 तक के अधिकतम, न्यूनतम एवं वार्षिक औसत तापमान के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है।
संलग्नक 3 में जिले में पिछले तीन वर्षों में अगलगी की घटनाओं से प्रभावित गांवों की सूची दर्शायी गयी है। जबकि संलग्नक 4 में जिला सुपौल में छत एवं दीवार में प्रयोग की गयी निर्माण सामग्री के आधार पर विभिन्न आपदाओं के दौरान क्षति की संभावनाओं को दर्शाया गया है। यह तालिका भारतीय नाजुकता एटलस द्वारा तैयार की गयी है।

संलग्नक 5 में जिले के पूर्वी एवं पश्चिमी तटबन्ध के अन्दर बसे गांवों की सूची के साथ ही वहां की जनसंख्या, शिक्षा का प्रतिशत तथा बाढ़ से पूर्ण या आंशिक तौर पर प्रभावित होने का वर्णन किया गया है।

संलग्नक 6 के अन्तर्गत बाढ़ से सम्बन्धित सूचनाओं का विवरण दिया गया है, जिसमें अंचलवार बाढ़ से प्रभावित होने वाली पंचायतें, उनके राजस्व ग्राम, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का विवरण सभी विस्तार से बताया गया है। जबकि संलग्नक 6 अ में जिले में विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित संसाधनों का सविस्तार वर्णन किया गया है। इसके अन्तर्गत बाढ़ से बचाव हेतु जिले स्तर पर उपलब्ध संसाधनों, नाव नाविकों, मोटरबोट चालकों, गोताखोरों, तैराकों, स्वयंसेवकों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

संलग्नक 7 में बाढ़ आपदा से प्रभावितों के लिए चिन्हित ऊँचे शरणस्थलों तथा बाढ़ शिविरों की देख–रेख करने वाले विभिन्न विभागों के कर्मियों की सूची प्रस्तुत की गयी है। इसी संलग्नक में बाढ़ तथा सुखाड़ प्रभावित पशुओं के लिए चिन्हित राहत शिविरों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

संलग्नक 8 में स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित सूचनाएं विस्तार पूर्वक प्रदान की गयी हैं। जिले स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सकों, अंचल स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं वहां उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों का विवरण इस संलग्नक के अन्तर्गत दिया गया है।

संलग्नक 9 में पुलिस एवं अग्निशमन विभाग के पास उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों की चर्चा की गयी है।

संलग्नक 10 में जिले में स्थापित आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आपदा प्रबन्धन अधिनियम के सन्दर्भ में अधिकार एवं शक्तियों की चर्चा की गयी।

संलग्नक 11 में बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर सुपौल जिला के प्रशिक्षित किये गये मुखिया एवं सरपंच की सूची प्रस्तुत की गयी है। वहीं संलग्नक 12 के अन्तर्गत जिले में काम करने वाली मुख्य कियाशील स्वैच्छिक संगठनों की सूची प्रदर्शित की गयी है।

संलग्नक 13के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं के ऊपर जारी एस0ओ0पी0 को ध्यान में रखते हुए आपदा के दौरान त्वरित कार्यवाही के माध्यम को फ्लो चार्टों के माध्यम से दर्शाया गया है।

संलग्नक 14 में विभिन्न आपदाओं की स्थिति में ''क्या करें'' व ''क्या न करें'' की चर्चा की गयी है। यह संलग्नक बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जागरूकता हेतु जारी किये गये पोस्टर एवं अन्य जागरूकता सामग्रियों पर आधारित है।

संलग्नक 15, 16 व 17 में क्रमशः अस्पताल, सड़क एवं स्कूल सुरक्षा हेतु समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का वर्णन किया गया है।

संलग्नक 18 में आपदाओं के नवीनताओं से परिचित कराने तथा उनसे निपटने के उपायों पर बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सुपौल जिला के प्रशिक्षित प्रशासनिक अधिकारियों की सूची प्रस्तुत है।

संलग्नक 19 में बिहार सरकार एवं बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आपदाओं एवं उसके सन्दर्भ में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को संकलित किया गया है। इसके अन्तर्गत राहत वितरण हेतु एस0डी0आर0एफ0 में दिये गये मानदरों का उल्लेख किया गया।

और अन्त में संलग्नक 20 में विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु विभागवार चेकलिस्ट दी गयी है, ताकि विभाग एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा के सन्दर्भ में विभाग की तैयारी को जान सकें।

अध्याय : 1

परिचय

(Introduction)

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के खण्ड 31 के अनुसार– जिले की आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण सम्पूर्ण सुपौल जिला, उसमें निवास करने वाले लोगों, संसाधनों, विभिन्न विभागों एवं स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों सभी के लिए किया जा रहा है। यद्यपि इस आपदा प्रबन्धन योजना के निर्माण, कार्यान्वयन तथा इसमें नियमित सुधार का अधिकार और जवाबदेही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सुपौल को है फिर भी जिले में स्थित सभी हितधारक समूहों ने इसकी निर्माण प्रक्रिया में भाग लिया है। इस आपदा प्रबन्धन योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण से सम्बन्धित सभी चरणों– रोक–थाम, शमन, पूर्व तैयारी, रिस्पान्स एवं पुनर्स्थापन, पुनर्निर्माण व पुनर्प्राप्तिके दौरान सभी हितधारकों की भूमिका एवं जवाबदेहियों के विषय में विस्तृत चर्चा की गयी है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना की विभागीय कार्ययोजना निर्धारित करते समय बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप में दी गयी गतिविधियों को भी संज्ञान में लिया गया है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसका समय–समय पर अद्यतन होना आवश्यक है।

1.1 उद्देश्य

इस योजना के निर्माण के निम्न मुख्य उद्देश्य हैः–

- आपदा प्रबंधन के आईने में सुपौल जिले की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करना।
- पूर्व एवं वर्तमान की आपदाओं व संभावित खतरों के सन्दर्भ में विकास कार्यों में आने वाली समस्याओं को समझना एवं उसके निराकरण हेतु सुझाव देना।
- विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित खतरों को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करना।
- समुचित नियोजन करते हुए सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों, विशेषकर महत्वपूर्ण सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं के नुकसान को कम से कम करना।
- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए समुदाय, सरकार के लाइन डिपार्टमेंट एवं अन्य हितधारकों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इमरजेन्सी रिस्पान्स एवं पुनर्स्थापन (रिकवरी) हेतु कार्य योजना विकसित करना।
- आपदा प्रबंधन योजना के विकास में हितधारकों की प्रत्यक्ष भागीदारी करा कर उन्हें योजना के प्रति जागरूक करना एवं उत्तरदायी बनाना।
- योजना को नियमित रूप से अद्यतन (update) करने हेतु प्रक्रिया निर्माण करना।
- जिला स्तर के संस्थागत तंत्र में नवाचार एवं अच्छे उदाहरणों को शामिल कराना तथा सभी स्तर पर एक समन्वित योजना बनाना।
- समुदाय को आपदा से निपटने हेतु तैयार करने की दृष्टि से पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित करना।

- किसी भी आपदा के दौरान प्रभावी तरीके से खोज, बचाव एवं रिस्पान्स करने हेतु जिले स्तर पर एक इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर की स्थापना करना।
- जिले की चिन्हित जोखिमों के शमन हेतु विविध हितधारकों के लिए शमन के उपाय सुझाना।
- भावी विकास की आवश्यकता को समझाते हुए विभिन्न दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से समुदाय को जागरूक करना ताकि वे आपदा सहनशील निर्माण प्रणाली को अपना सकें।
- आपदा प्रबन्धन में मीडिया की सक्रिय भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को निर्धारित करना।
- प्रभावित लोगों के लिए पुनर्स्थापन योजना तैयार करना तथा जिले के विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्य करने के लिए पुनर्निर्माण उपायों को बताना।

1.2 योजना का कार्यक्षेत्र

सुपौल जिले को प्रभावित करने वाली प्रत्येक प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा और उससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र एवं उससे प्रभावित समुदाय की नाजुकता व क्षमता की पहचान करने की बात योजना में शामिल की गयी है। इसके अन्तर्गत जिले स्तर की आपदा से जुड़े सभी विभागों, एजेन्सियों, पंचायती राज संस्थाओं, नगर परिषद, निजी क्षेत्र, सामुदायिक संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों एवं समुदाय द्वारा आपदा के विभिन्न चरणों में किये जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है। यह योजना पूरे सुपौल जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावी होगी। इसके आधार पर ही वहां के लिए कृषि, आजीविका, बुनियादी सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं के लिए पूर्व तैयारी, रोक–थाम एवं शमन आदि के उपायों को विशिष्टता से इस योजना में शामिल किया गया है। इसके साथ ही रिस्पान्स के दौरान प्रभावी कार्यों को करने हेतु विभागीय संसाधनों
के ऊपर भी योजना में प्रकाश डाला गया है।

1.3योजना विकसित करने की कार्यप्रणाली

योजना तैयार करने से लेकर क्रियान्वयन तक के सभी चरणों को तैयार करने के दौरान क्षेत्रीय स्थितियों का विश्लेषण किया गया। हितभागियों की पहचान करने के पश्चात् हितभागियों के साथ समय–समय पर बैठकों में जानकारियां/आंकड़े, सूचनाएं एकत्र कर, आंकड़ों का विश्लेषण करने का कार्य किया गया। इसके साथ ही योजना के क्रियान्वयन में विभागीय समन्वयन तथा वित्तीय संसाधनों के ऊपर भी चर्चा की गयी

1.4 जिला आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन : प्रमुख हितभागी एवं उनकी जिम्मेदारियां

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का अध्यक्ष होने के नाते आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी सुपौल जिला के जिला पदाधिकारी की होगी। जिला में स्थापित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिला पदाधिकारी के निर्देशन व नेतृत्व में कार्य करेगी। योजना के क्रियान्वयन में जिला पदाधिकारी का सहयोग जिला के आपदा नोडल अपर जिला पदाधिकारी आपदा करेंगे। इसके साथ आपदा पूर्व, दौरान एवं बाद के सभी चरणों में जिला में कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक मुख्य भूमिका में होंगे। आपदा के दौरान एवं बाद में प्रभावितों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिविल सर्जन की प्रमुख भूमिका होगी। आपदा पूर्व एवं आपदा के बाद पूर्व तैयारी, शमन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्निर्माण के कार्यों में सम्बन्धित विभाग जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे।

योजना के क्रियान्वयन में जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में अंचल पदाधिकारी अंचल स्तर पर आपदा प्रबन्धन में प्रभावी भूमिका में होंगे। इसके साथ ही जिले स्तर पर कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठन, पंचायती राज संस्थाएं एवं स्वयं सहायता समूह आदि भी आपदा के दौरान प्राथमिक रूप से रिस्पान्स गतिविधियों को करने, आपदा पूर्व समुदाय को पूर्व तैयारी हेतु सक्षम बनाने तथा आपदा के प्रभावों के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से प्रमुख भूमिका निभायेंगे;संलग्नक–1द्ध।

1.5 योजना पुनरावलोकन एवं अद्यतन करने की अवधि

योजना निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया होती है। अतः आपदा की बदलती परिस्थितियो के सन्दर्भ में योजना का पुनरावलोकन प्रत्येक वर्ष होना आवश्यक होगा। पहले से तैयार योजना का पुनरावलोकन एवं उसमें समय के अनुसार सुधार करते समय जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक होगा–

1. **व्यापकः**– आपदा के सन्दर्भ में सभी तरह के प्रभाव, सभी हितधारक सहित सभी काल या चरणों को ध्यान में रखते हुए योजना में सुधार करना।

2. **विकासात्मकः**– आपदाओं से प्रभावित समुदाय के क्षमता निर्माण हेतु भावी आपदाओं का अनुमान करना, उनके निवारण हेतु पूर्व तैयारी का कार्य होना

3. **जोखिमः–** खतरों/नये खतरों की पहचान, जोखिम एवं प्रभाव विश्लेषण जैसे ठोस जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से प्राथमिकतायें एवं संसाधन तय करना

4. **समेकितः**– सरकार एवं अन्य हितधारकों के सभी स्तरों पर सभी प्रयासों की उपयोगिता सुनिश्चित करना।

5. **सहयोगीः**–सभी हितधारकों द्वारा किये गये कार्यों की उपयोगिता को एक–दूसरे से साझा करने और व्यक्ति तथा एजेंसियों के बीच प्रभावी सम्बंध बनाने हेतु साझा मंच विकसित करना।

6. **सुरक्षितः**– आपदा की चुनौतियों के समाधान के लिए सुरक्षित रचनात्मक एवं नवीन तरीका अपनाना।

7. **पेशेवरः–** शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, सार्वजनिक नेतृत्व, नैतिक आचरण जवाबदेही और निरंतर सुधार आदि मूल्यों पर आधारित ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देना।

अध्याय : 2

जिले का परिचय

(District Profile)

सुपौल जिला कोसी परिमण्डल में स्थित है। बिहार के सबसे पिछड़े इलाके में शामिल इस जिले की कुल जनसंख्या 2229076 है। जिले का कुल क्षेत्रफल 2410 वर्ग किमी0 है। कोसी बेसिन में पड़ने वाला यहजिला बाढ़ आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील जिला है। साथ ही अन्य आपदाओं के सन्दर्भ में भी जिला अत्यन्त नाजुक जिलों की श्रेणी में आता है। यहां की मुख्य नदी कोसी है। इसके अतिरिक्त तिलीगा, छमीरा, काली, तिलावे, भिनगा, मिरचहिया, सुरसर कोसी की सहायक नदियां हैं। जिले की मिट्‌टी जलोढ़ है, जो कृषि के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। इसका पी0एच0 मान 5.5 से 8.5 के बीच में है। बाढ़ एवं अन्य आपदाओं की मार झेलता जिला विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु अपने भौतिक एवं मानव संसाधनों को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयासरत है। इस अध्याय के अन्तर्गत भौगोलिक विशेषताएं, जिले से होकर बहने वाली नदियां, जलवायु, आस–पास स्थित जिलों तथा जिले से सम्बन्धित अन्य सूचनाओं को प्रस्तुत किया गया है ताकि आपदा प्रबन्धन की दिशा में रणनीतिक नियोजन किया जा सके।

2.1 भौगोलिक परिचय

सुपौल 25^{0} 37‘से 26^{0} 25‘तक उत्तरी अक्षांश और 86^{0} 22‘से 87^{0} 10‘पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जिले के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में मधेपुरा व सहरसा जिला, पूरब में अररिया तथा पश्चिम में मधुबनी जिला है।सुपौल कस्बा इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। कोसी नदी इस जिले से होकर बहती है, जिसे इस क्षेत्र का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर (सुपौल जिला) के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। इसमें आनेवाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को **‘बिहार का शोक’** भी कहा जाता है। इसकी लम्बाई 729 कि0मी0 है। इसका उद्‌गम स्रोत अरूण , सुनकोसी एवं तामूर नदियां हैं। यह नदी हिमालय की ऊँची पहाड़ियों से काफी मात्रा में बालू लाती है जो मैदानी इलाके में जमा होती रहती है जिसके कारण यह नदी अपना रास्ता भी बदल लेती है और तबाही का कारणबनती है। (मानचित्र संख्या– 1)

मानचित्र संख्या– 1 : कोसी नदी एवं उसका ऐतिहासिकमार्ग परिवर्तन

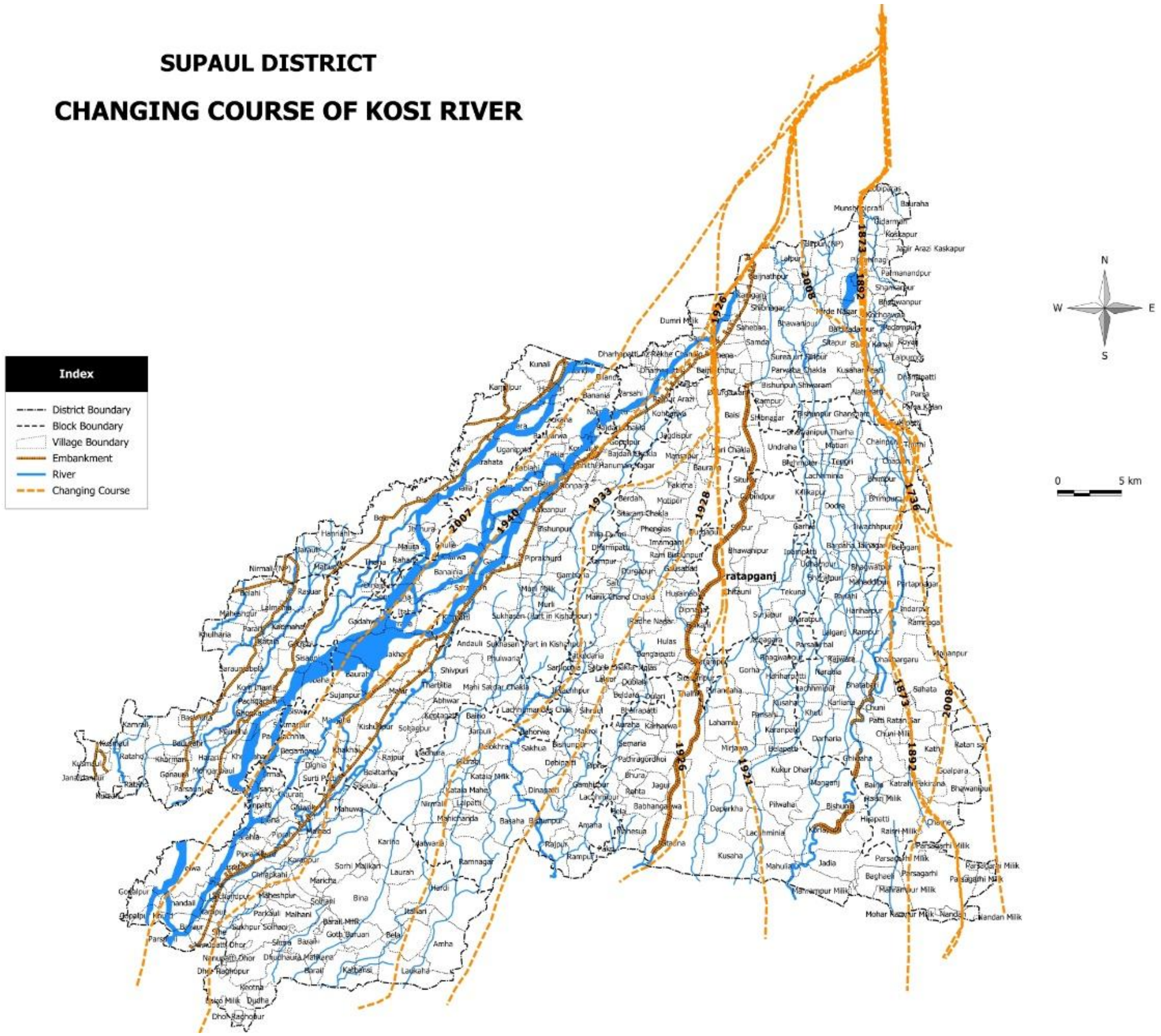

स्रोत :जल संसाधन विभाग, वीरपुर, सुपौल, बिहार

नदी को सीमित क्षेत्र में रखने हेतु इसके दोनों तटों की ओर तटबंध एवं स्पर का निर्माण किया गया है (मानचित्र संख्या– 2)। तटबंधों एवं स्परों के रख–रखाव हेतु प्रत्येक वर्ष कटाव निरोधक कार्य कराना पड़ता है। साथ ही बाढ़ अवधि में तटबंधों एवं स्परों को सुरक्षित रखने हेतु बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराया जाता है। इसके बावजूद कभी–कभी अतिवृष्टि/अति जलस्राव के कारण स्पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं एवं तटबंध टूट जाता है। ऐसी स्थिति में बिहार को तबाही का सामना करना पड़ता है। तबाही को कम करने हेतु आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है।

मानचित्र संख्या– 2 : जिले में तटबन्ध एवं नदियां

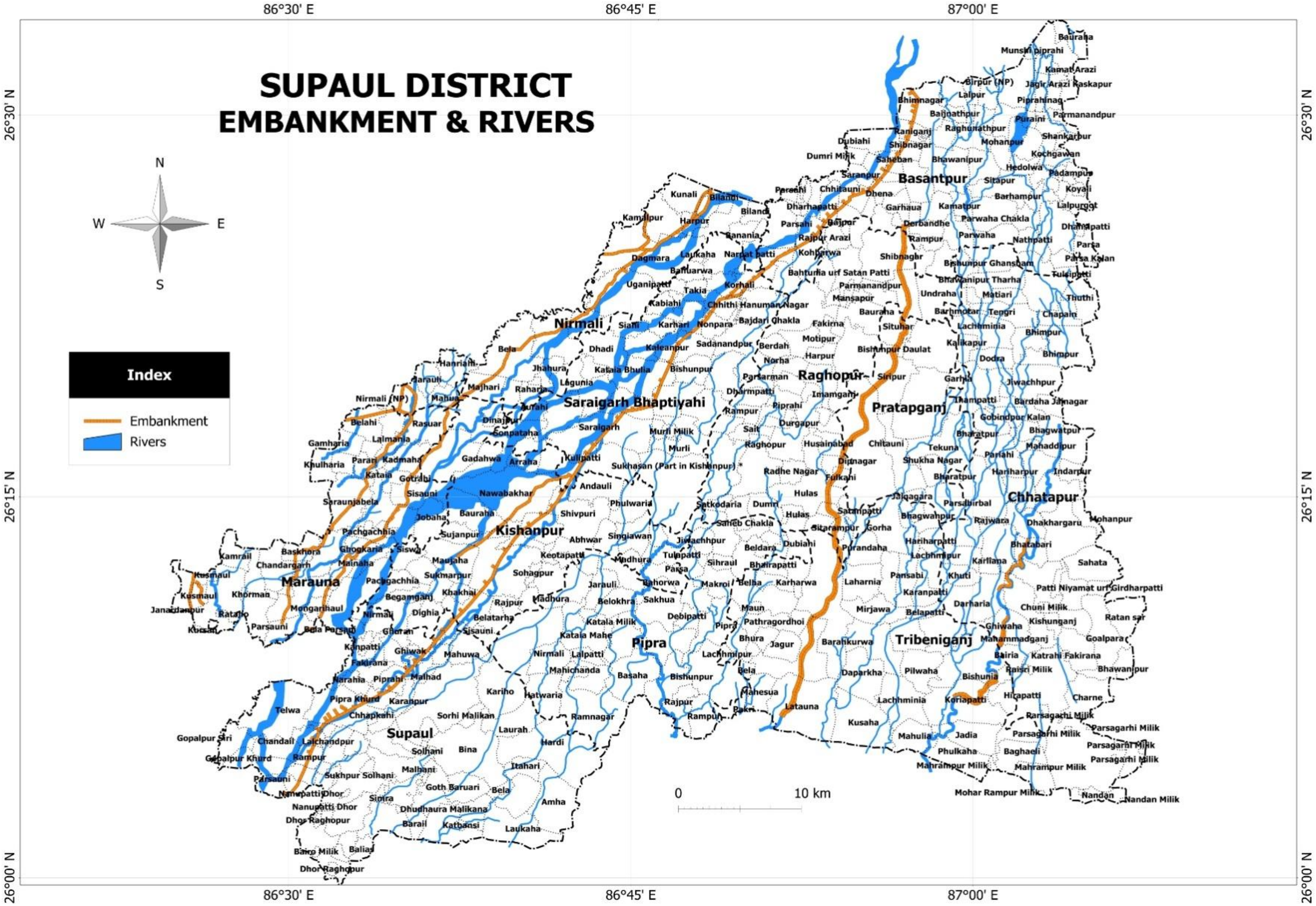

स्रोत : जल संसाधन विभाग, वीरपुर, सुपौल, बिहार

2.2 जलवायुविक विशेषताएं

सुपौल जिले की जलवायु गर्म एवं आर्द्र है। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक होती है, जब औसत तापमान 30^0 सेण्टीग्रेट होता है। गर्मियों में वायुमण्डलीय दबाव बहुत कम होकर 980 से 990 के मध्य हो जाता है, वायु में आर्द्रता बहुत घट जाती है और ग्रीष्म ऋतु के अन्त में उत्तरी और दक्षिणी हवाएं बहने लगती हैं। जिसके बाद तूफानी बौछारें और हल्की वर्षा होने लगती है। तूफान आना व ओला पड़ना इस क्षेत्र की सामान्य दशा हैं। जिले में मानसून मध्य जून में आता है, जिसके कारण तापमान घट जाता है और आर्द्रता की मात्रा बढ़कर 80–90 प्रतिशत हो जाती है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 1344 मिमी0 है। शीत ऋतु यहां पर सबसे सुहावना मौसम होता है, जो नवम्बर से फरवरी तक पाया जाता है। सामान्यतः सुपौल में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अच्छी जलवायुविक दशा पायी जाती है। वर्ष 1971 से 2017 तक के न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान के आंकड़ों ;संलग्नक–2द्ध का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि न्यूनतम व अधिकतम तापमान दोनों में वृद्धि हो रही है ;मानचित्र सं0 3 व 4द्ध।

मानचित्र संख्या–3 व 4: जिले में अधिकतम–न्यूनतम तापमान (1971–2017)

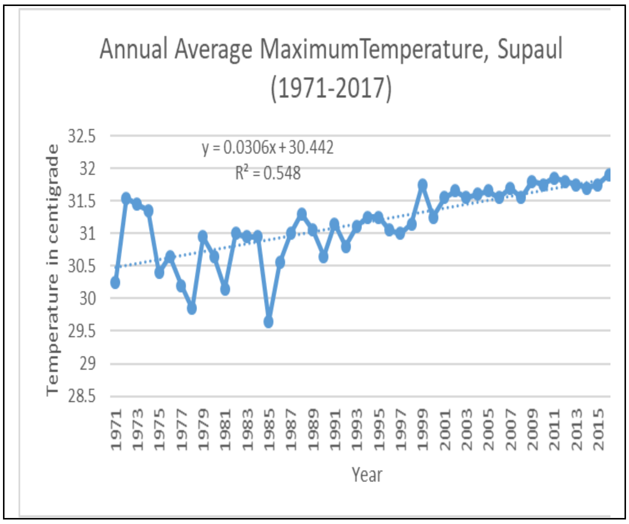

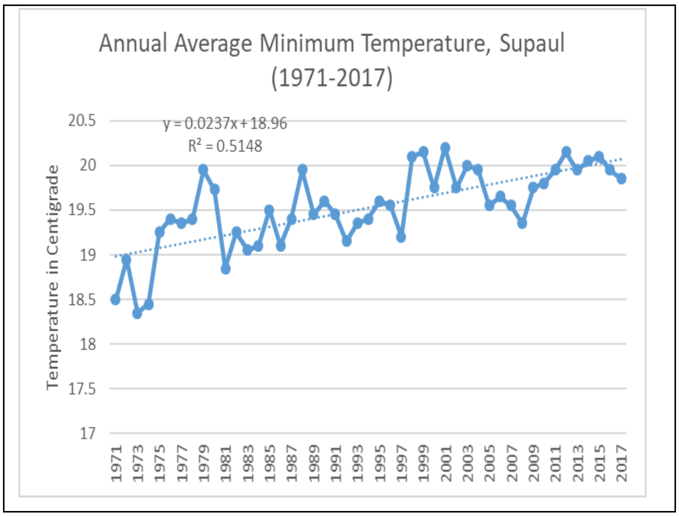

स्रोत : आई0एम0डी0 के आंकड़ो पर आधारित

तालिका सं0 1 में प्रदर्शित पिछले 13 वर्षों में जिले में हुई वर्षा के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जिले में वर्षा की मात्रा में वृद्धि हुई है ;मानचित्र सं0 5द्ध

मानचित्र संख्या–5: जिले में वार्षिक वर्षा की स्थिति (2004–2017)

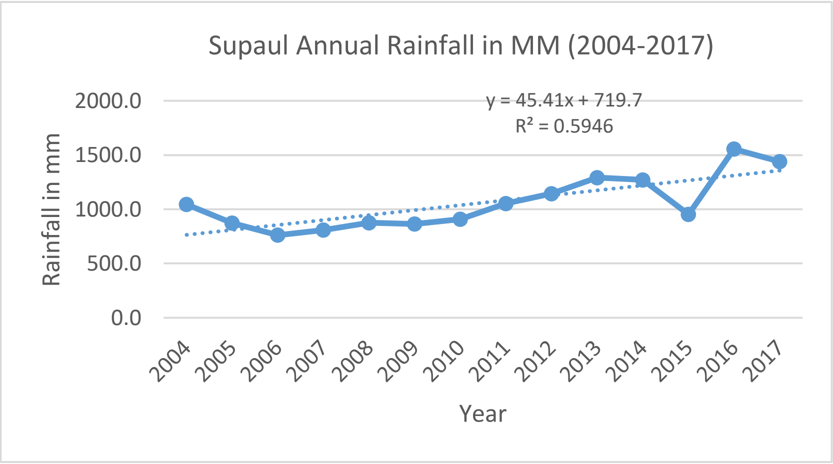

स्रोत : आई0एम0डी0 के आंकड़ों पर आधारित

तालिका संख्या–1 : जिला में विगत 13 वर्षों का वार्षिक वर्षा का आंकड़ा ;2004–2017द्ध

वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	कुल वार्षिक वर्षा
2004	17.2	0	0	8.4	24.8	455	397.1	71	50.4	20.3	0.8	0	1045.0
2005	12.4	11.2	32.1	6.6	0.4	128.3	221.1	291.5	167.5	0	0.5	1.2	872.8
2006	11.2	14.5	21.5	11.5	23.4	100.6	265.4	200.5	100.5	12.6	0.5	0	762.2
2007	0	2.5	34.5	21.5	25.2	165.4	246.5	300.5	12.5	0	0	0	808.6
2008	1.2	0	2.4	10.8	0.8	131.8	298.3	283.1	137.5	9	0	0.4	875.3
2009	0	0	0	0	86.5	108.6	184.8	342.6	97	45	0	0	864.5
2010	0	3.5	11	11	250.2	100.1	262.6	107.4	141.6	20.7	0.2	0	908.3
2011	4.2	6.8	12.5	20	76.2	165.7	300.5	201.5	231.4	32.5	1.5	0	1052.8
2012	7.5	15.2	32.6	32.5	98.5	234.8	287.8	198.5	187.5	45.6	2.5	0.5	1143.5
2013	11.8	9.4	3.8	17	65.1	335.6	308.4	177.9	191.1	171.5	0	0	1291.6
2014	2	37.2	3.1	0.5	123.9	205.8	223.5	453.3	175.5	45.2	0	0.3	1270.3
2015	13.1	4.8	56.5	65.6	75.9	101.8	192.6	235.2	194.5	13.2	0	0	953.2
2016	18.1	0	0	28.1	189.2	311.8	300.2	139.3	448.3	120.9	0	0	1555.9
2017	0	0	46.7	87.4	173	116.8	345.5	534.9	103.1	32.5	0	0	1439.9

स्रोत : आई0एम0डी0

2.3 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

वैदिक काल से ही सुपौल जिला मिथिलांचल का एक भाग रहा है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र को मत्स्य क्षेत्र कहा जाता है। प्राचीन काल में पूरे उत्तरी बिहार में वैशाली सबसे मजबूत गणतन्त्र था और प्रारम्भिक तौर पर सहरसा का एक भाग रहा तत्कालीन सुपौल नन्द वंश, मौर्य, शुंग तथा मिथिला के राजा द्वारा शासित रहा है। यद्यपि इस बात के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते, फिर भी यह कहा गया कि इस क्षेत्र के बाहरी हिस्सों पर लिच्छिवीयों का प्रभाव था। इस क्षेत्र पर बौद्ध धर्म का भी व्यापक प्रभाव रहा। हालांकि उस समय के बौद्ध धर्म प्रभावित बहुत से स्थान जैसे बितरपुर, बुधियागढ़ी, बुधनाघाट, बुधहदी, पिथही और मथही आदि कोसी की धारा में पड़कर पूर्ण नष्ट हो गये हैं। इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि इस क्षेत्र में कोसी का आगमन होने से पहले इन क्षेत्रों से बहुत से ऐसे सामान मिले, जो उपरोक्त के साक्ष्य के तौर पर हो सकते थे और इस काल के बहुत से भवन कोसी की धारा में पड़कर भूमिगत हो गये। स्थानीय मतानुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान यहां विश्राम किया था और लोगों को महत्वपूर्ण उपदेश दिये थे। ईसा पूर्व छठीं शताब्दी में सुपौल क्षेत्र मगध साम्राज्य के अन्तर्गत आ गया, किन्तु इसका कुछ पश्चिमी भाग अभी भी मिथिला के अन्तर्गत ही रहा। मध्य काल में यह मुस्लिम राजाओं के अधीन रहा और बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया। ब्रिटेन वासियों ने इसके भौगोलिक व सामरिक महत्व को पहचाना और उसके आधार पर उन्होंने 1862 में इसे एक अनुमण्डल बना दिया। प्रशासनिक पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में ही सुपौल को 1991 में जिला घोषित किया गया।

2.4 जनसंख्यात्मक परिचय

सुपौल जिला के 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 2229076 है, जिसमें 1155283 पुरूष तथा 1073793 महिलाएँ हैं। जिले से सम्बन्धित विस्तृत विवरण को तालिका सं0 2 के माधमय से दर्शाया गया है।

तालिका संख्या–2 : सुपौल जिला से सम्बन्धित सामान्य सूचनाएं

जनसंख्या		लिंग अनुपात	929
व्यक्ति	2229076	घनत्व	919
पुरूष	1155283	ग्राम पंचायत की संख्या	180
महिला	1073793	सामुदायिक विकास ब्लाक	11
वृद्धि (2001–11)	28.66	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	10168
ग्रामीण	2123518	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	0.46
शहर	105558	पूर्ण टीकाकृत बच्चों का	30.6

		प्रतिशत	
अनुसूचित जाति जनसंख्या	354249	सामान्य वर्षा	1344mm
अनुसूचित जाति का प्रतिशत	15.89	धरातलीय स्वरूप	स्मतल
परिवार की संख्या	443073	मुख्य ढाल की दिशा	उत्तर से दक्षिण
परिवार का साइज	4.5		
साक्षरता तथा शैक्षणिक स्तर		**आयु वर्ग**	
साक्षरता दर		0–4	295376
औसत	57.67	5–14	648848
पुरूष	69.62	15–59	1134007
महिला	44.77	60 वर्ष तथा ऊपर	147837
कार्यशील जनसंख्या		**महत्वपूर्ण टाउन**	
कुल कार्यशील जनसंख्या	877682	निर्मली	20189
मुख्य कार्यशील जनसंख्या	472649	बीरपुर	19932
सीमान्त कार्यशील जनसंख्या	405033	सुपौल	65437
अकार्यशील जनसंख्या	1351394		
घर का प्रकार प्रतिशत में		**धर्म (तीन बड़े)**	
स्थाई ;पक्के ईंट एवं कंकरीट से बने मकानद्ध	22.4	हिन्दू	81.2
अर्ध स्थाई;दीवार ईंट की ;कच्ची अथवा पक्की जोड़ाईद्ध और छत फूस, पालीथिन, लकड़ी का अथवा एस्बेस्टस शीटद्ध	29	मुस्लिम	18.4
अस्थाई;फूस, पालीथिन, लकड़ी /बांस एवं मिट्टी से बने मकानद्ध	48.4	इसाई	0.17

स्रोत : जनगणना, 2011, भारत सरकार

2.5 प्रशासनिक ढांचा

प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में 4 अनुमण्डल और 11 प्रखण्ड हैं ;मानचित्र सं0 6द्ध इस जिले का मण्डल मुख्यालय सहरसा है, जो यहां से 40 किमी0 दूर है। यह रेल और सड़क दोनों मार्गों से मण्डल मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। यद्यपि मीटर गेज की रेलवे लाइन बड़ी पुरानी हो गयी हैं तथा इसमें गाड़ियों की संख्या भी बहुत कम है। इसलिए राज्य और देश से इसका सीधा सम्बन्ध राजमार्गों द्वारा है। राजमार्ग अब बहुत ही अच्छे तथा दोहरे लाइन के बन गये हैं। राज्य की राजधानी यहां से 300 किमी0 दूर है तथा सबसे नजदीक का हवाई अड्डा पटना है। यद्यपि हवाई पट्टी सहरसा में भी डकोटा विमानों के उतरने के लिए बना है। जिला मुख्यालय को नगर परिषद का दर्जा प्राप्त है तथा दो अन्य खण्ड वीरपुर व निर्मली का मुख्यालय भी नगर पंचायत है।

जिले में पांच विधान सभा और एक लोक सभा का क्षेत्र है।

मानचित्र संख्या– 6: सुपौल जिला प्रशासनिक क्षेत्र

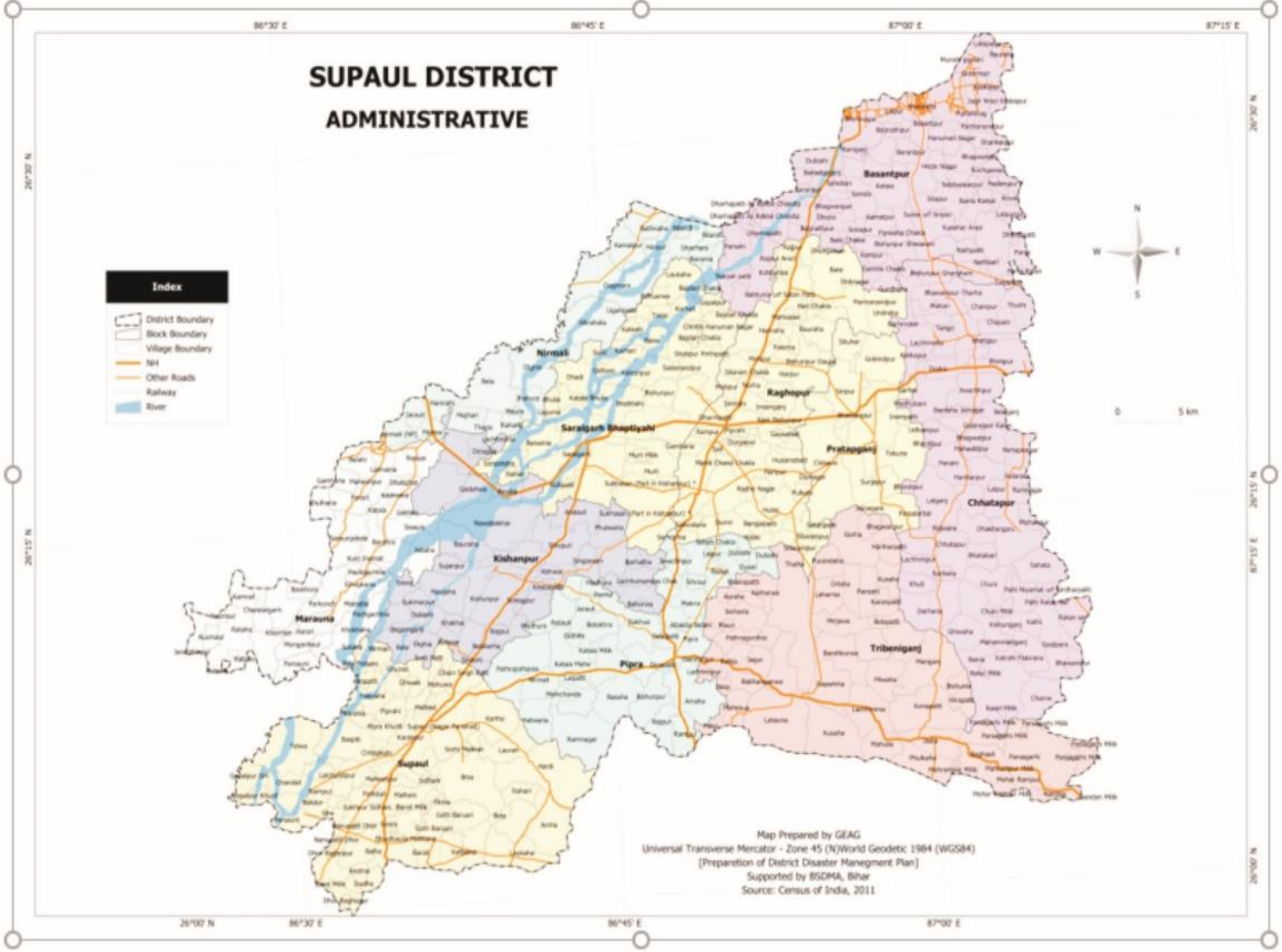

स्रोत : भारतीय जनगणना, 2011

सुपौल जिले के अन्तर्गत आने वाले अनुमण्डल, प्रखण्डों एवं ग्राम पंचायतों को निम्नवत् देख सकते हैं –

जिले के अनुमण्डल, प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायतों की सूची

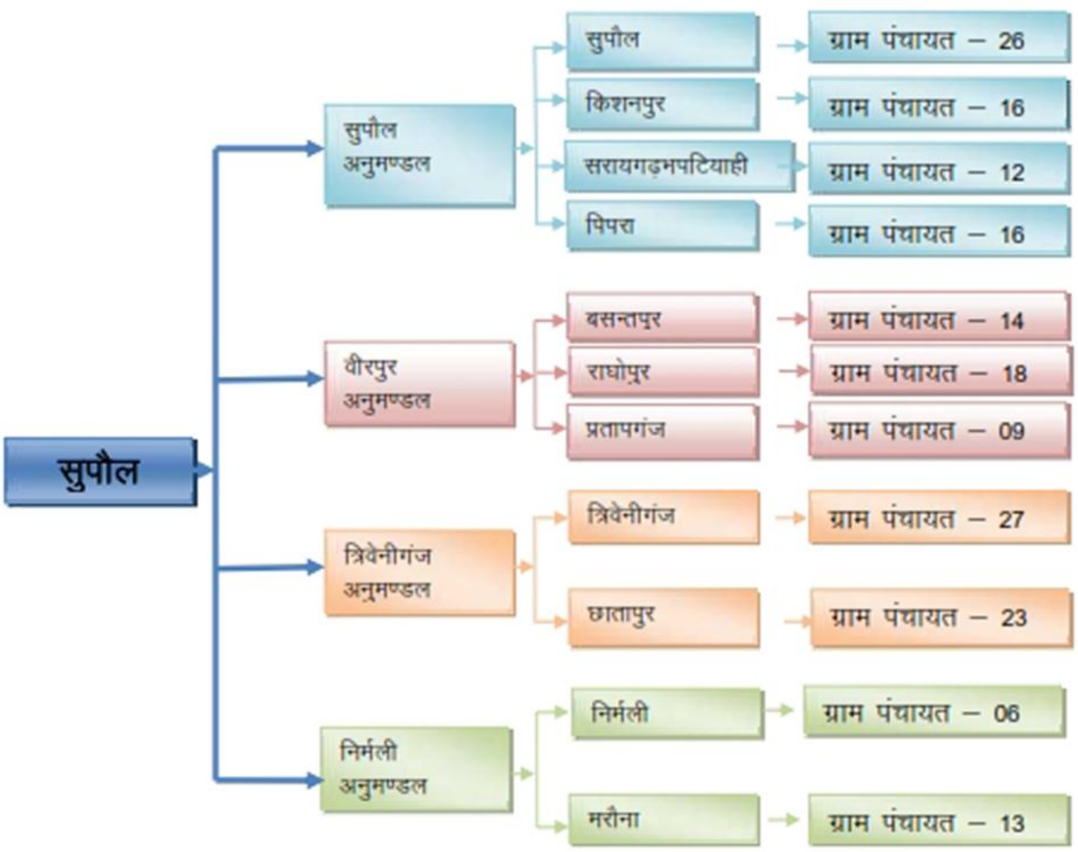

जिले में जिला परिषद्, सुपौल एक नगर परिषद्, सुपौल तथा दो नगर पंचायत क्रमशः वीरपुर एवं निर्मली है। एक नगर परिषद् एवं दो नगर पंचायतों की जनसंख्या तालिका सं0 3 के अनुसार निम्नवत् है –

तालिका संख्या–3 : नगर परिषद /नगर पंचायत की जनसंख्या

क्र०	नगर परिषद/नगर पंचायत का नाम	जनसंख्या (जनगणना–2011)		कुल
		पुरूष	महिला	
1	नगर परिषद्, सुपौल	68842	62032	130874
2	नगर परिषद, त्रिवेणीगंज	27051	23002	50053
3	नगर पंचायत, निर्मली	21352	19026	40378
4	नगर पंचायत, वीरपुर	21382	18482	39864
5	नगर पंचायत, पिपरा	8089	5448	13537
6	नगर पंचायत, सिमराही	14516	11155	25671
	कुल :	**161232**	**139145**	**300377**

स्रोत : जनगणना, 2011, भारत सरकार

प्रखंडों का स्वरूप

जनपद में प्रखण्डों से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है :–

(क) सुपौल अनुमंडल– सुपौल अनुमंडल का कुल क्षेत्रफल 503.33 वर्ग मील है। सुपौल अनुमंडल के प्रखंडों का सामान्य विवरण निम्न प्रकार है, जिसे तालिका संख्या 4 के माध्यम से दर्शाया गया है:–

तालिका संख्या– 4 : सुपौल अनुमण्डल का विवरण

क्र0	प्रखंड का नाम	जनसंख्या (जनगणना–2011)		कुल	क्षेत्रफल (एकड़)	पंचायतों की सं0	राजस्व ग्राम	कृषि योग्य भूमि (एकड़)
		पुरूष	महिला					
1	सुपौल	187813	172385	360198	77464.39	26	77	54072.64
2	किशनपुर	86714	80955	167669	54139.27	16	44	45883.54
3	सरायगढ़–भपटियाही	63268	59504	122772	44037.24	12	38	22037.24
4	पिपरा	47690	43020	90710	49545.56	16	39	31040.32
कुल :		**385485**	**355864**	**741349**	**225186.5**	**70**	**198**	**153033.7**

स्रोत : जनगणना, 2011, भारत सरकार

(ख) त्रिवेणीगंज अनुमंडल –इस अनुमंडल अंतर्गत दो प्रखंड क्रमशः त्रिवेणीगंज एवं छातापुर है, जिनका सामान्य विवरण तालिका सं0 5 के माध्यम से प्रदर्शित है :–

तालिका संख्या– 5 : त्रिवेणीगंज अनुमण्डल का विवरण

क्र०	प्रखंड का नाम	जनसंख्या (जनगणना–2011)		कुल	क्षेत्रफल (एकड़)	पंचायतों की सं0	राजस्व ग्राम	कृषि योग्य भूमि (एकड़)
		पुरूष	महिला					
1	त्रिवेणीगंज	60549	56859	117408	79815.96	27	64	55376.89
2	छातापुर	148676	137780	286456	77307.42	23	66	62297.04
कुल :		**209225**	**194639**	**403864**	**157123.38**	**50**	**130**	**117673.93**

स्रोत : जनगणना, 2011, भारत सरकार

(ग) वीरपुर अनुमंडल–सुपौल जिला के उत्तर–पूर्वी छोर पर वीरपुर अनुमंडल अवस्थित है। इस अनुमंडल के अंतर्गत तीन प्रखंड क्रमशः बसंतपुर, राघोपुर एवं प्रतापगंज है। अनुमंडल अंतर्गत प्रखंडों का सामान्य विवरण तालिका सं0 के 6 में निम्न प्रकार से दर्शाया गया है–

तालिका संख्या– 6 : वीरपुर अनुमण्डल का विवरण

क्र०	प्रखंड का नाम	जनसंख्या (जनगणना–2011)		कुल	क्षेत्रफल (एकड़)	पंचायतों की सं0	राजस्व ग्राम	कृषि योग्य भूमि (एकड़)
		पुरूष	महिला					
1	बसंतपुर	104968	97039	202007	62152.73	14	95	35834.82
2	राघोपुर	45690	39792	85482	49566.14	18	59	36780.16
3	प्रतापगंज	55458	51426	106884	25876.56	9	13	18760.44
	कुल :	**206116**	**188257**	**394373**	**137595.43**	**41**	**167**	**91375.42**

स्रोत : जनगणना, 2011, भारत सरकार

(घ) निर्मली अनुमंडल – इस अनुमंडल अंतर्गत कुल दो प्रखंड क्रमशः निर्मली एवं मरौना है। अनुमंडल अंतर्गत प्रखंडों का सामान्य विवरण तालिका सं0 7 व 8 के माध्यम से दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या– 7 : निर्मली अनुमण्डल का विवरण

क्र०	प्रखंड का नाम	जनसंख्या (जनगणना–2011)		कुल	क्षेत्रफल (एकड़)	पंचायतों की सं0	राजस्व ग्राम	कृषि योग्य भूमि (एकड़)
		पुरूष	महिला					

1	निर्मली	50824	47611	98435	33579.68	7	23	9372.16
2	मरौना	74701	70435	145136	41940.70	13	38	19821.13
	कुल :	**125525**	**118046**	**243571**	**75520.38**	**20**	**61**	**29193.29**

स्रोत : जनगणना, 2011, भारत सरकार

तालिका संख्या– 8 : अनुमण्डल एवं प्रखण्ड का नाम व मुख्यालय से दूरी

अनुमंडल का नाम	सुपौल मुख्यालय से दूरी (किमी0 में)	प्रखंड का नाम	सुपौल मुख्यालय से दूरी (किमी0)
सुपौल	0 कि0मी0	सुपौल	0 कि0मी0
त्रिवेणीगंज	33 कि0मी0	पिपरा	21 कि0मी0
निर्मली	41 कि0मी0	सरायगढ़–भपटियाही	23 कि0मी0
वीरपुर	75 कि0मी0	किशनपुर	13 कि0मी0
		त्रिवेणीगंज	33 कि0मी0
		छातापुर	56 कि0मी0
		निर्मली	41 कि0मी0
		मरौना	45 कि0मी0
		बसंतपुर	75 कि0मी0
		राघोपुर	40 कि0मी0
		प्रतापगंज	50 कि0मी0

स्रोत : जनगणना, 2011, भारत सरकार

2.6 प्राकृतिक संसाधन

सुपौल जिला बिहार राज्य के उत्तर–पूर्व में स्थित है, जो कोसी मण्डल का एक भाग है। हिमालय के तराई भाग में स्थित होने के कारण इस जिले का उच्चावच;जवचवहतंचीलद्ध बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। इस क्षेत्र की परती भूमि कंकड़ और जंगलों से भरी पड़ी है। यद्यपि इनमें से बहुत से हिस्से को अब सुधार करके कृषि कार्य के अन्तर्गत लाया जा रहा है। सेटेलाइट मानचित्र ;एस.आर.टी.एम.द्ध आंकड़े के आधार पर जिले की धरातलीय बनावटको प्रदर्शित किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि दक्षिणी–पश्चिमी भाग निम्न भूमि है, जबकि उत्तरी–पूर्वी भाग ऊंचा है;मानचित्र सं0 7द्ध। यह दशा नदियों के प्रवाह ढाल से स्पष्ट होती है।

मानचित्र संख्या–7: जिले की भौगोलिक स्थिति

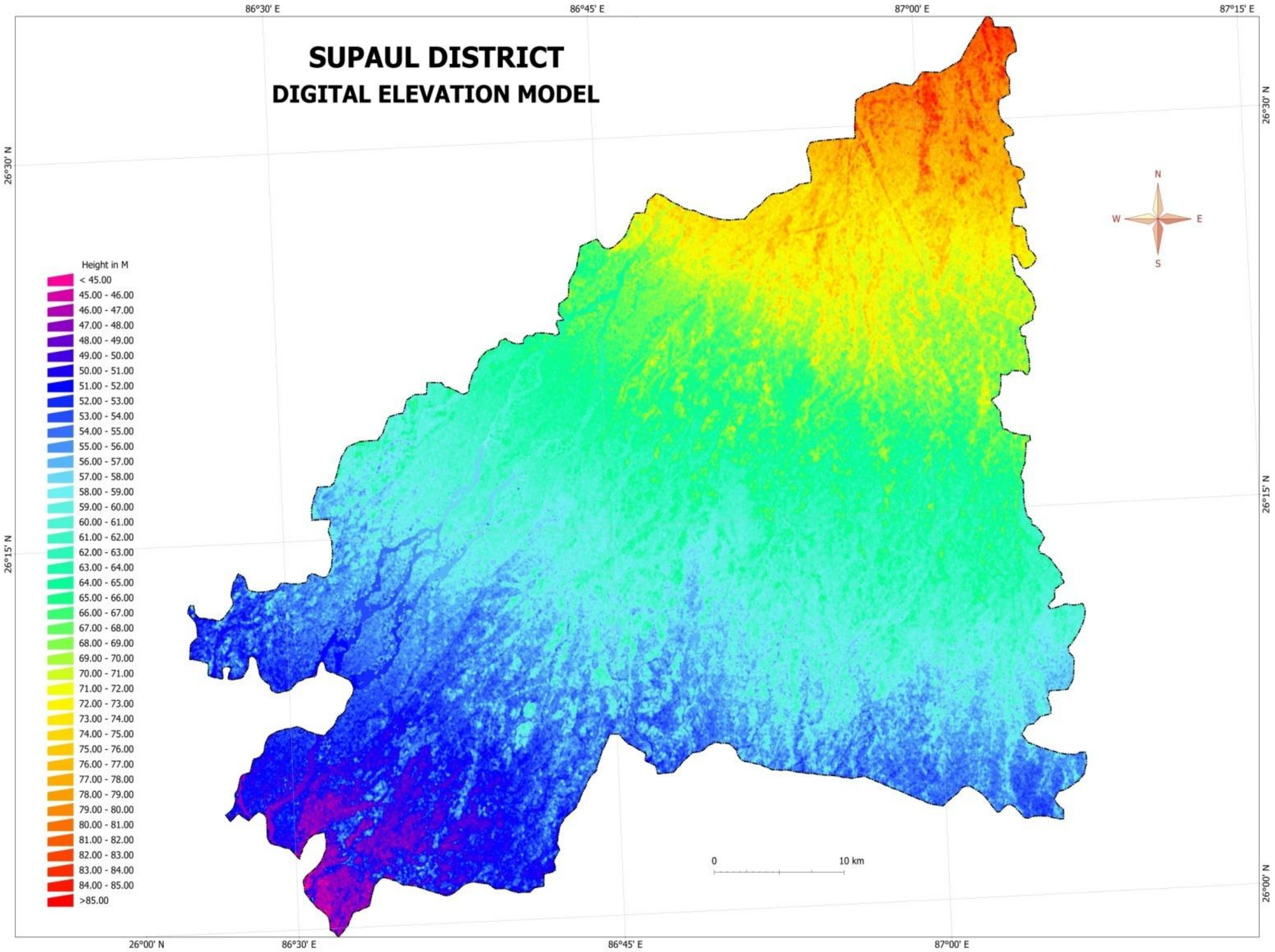

स्रोत : एस0आर0टी0एम0 आंकड़ों पर आधारित

जिले में खाद्यान्न, बागवानी तथा सब्जी उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त कृषि–जलवायुविक दशा है। लगभग 1658 वर्ग किमी0 क्षेत्र कृषि के अन्तर्गत है। बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के धान की दो फसलें यहां पर उगाई जाती हैं। गेंहू और दलहन की बहुत अच्छी फसल यहां पर होती है। यहां पूरे वर्ष भर सब्जी उत्पादन विशेषकर फूलगोभी, पातगोभी, गाजर, मूली, मिर्चा, शिमला मिर्च, सेम, लोबिया, लौकी, आलू, प्याज, धनिया, हल्दी, अदरक, लहसुन इत्यादि की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु पायी जाती है। चावल जिले का प्रमुख खाद्यान्न है। बागवानी में आम, लीची, केला, पपीता, अमरूद, कटहल आदि की उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। यहां बांस भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है।

सुपौल जिला जल संसाधन की दृष्टिकोण से समृद्ध है। यहां पर प्रमुख नदी कोसी है साथ ही उसकी अन्य सहायक नदियां भी हैं। जिले में कुल 1017 पोखर–पोखरियां हैं। यहां पर भूमिगत जलस्तर काफी ऊंचा है। सामान्यतः 10–20 फीट पर ही पानी मिल जाता है। जल की गुणवत्ता की बात करें तो भूमिगत जल में आयरन की मात्रा अधिक पायी जाती है।

जल प्लावित क्षेत्रों से छोटे–छोटे नालों द्वारा पानी को निकालकर क्षेत्र को कृषि के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इसी प्रकार परती भूमि और कृषित बंजर भूमि को भी गहरी व कई बार जुताई करके अवांछित खर–पतवारों और पदार्थों को निकालकर मिट्टी में खाद को देकर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। मिट्टी की जांच व उपयुक्त फसलों के उन्नत बीजों के प्रयोग से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जिले में सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी पायी जाती है, जो क्षारीय एवं अम्लीय है। यद्यपि इसमें खनिज पदार्थों का अभाव है, जिसकी क्षतिपूर्ति आवश्यक उर्वरकों को डालकर की जाती है। यहां की मिट्टी धान, गेंहू, दलहन, गन्ना, सब्जी एवं जूट के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहां बागवानी स्वतः विकसित होने वाला तत्व है।

मुख्य पेशा

सुपौल जिला का मुख्य पेशा कृषि है। यहां पर रहने वाली अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। जिले में खेतिहर किसानों की संख्या लगभग 142606 है और जिले के कुल क्षेत्रफल का 146.6 हेक्टेयर कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। चावल यहां की मुख्य फसल है। इसके अलावा यहां पर गेंहू, मक्का, तिलहन, दलहन, जौ तथा सब्जियों आदि की खेती की जाती है। खेती के अलावा एक बड़ा वर्ग खेतिहर मजदूरी पर निर्भर करता है, जिनकी संख्या लगभग 251652 है।

पशुपालन की दृष्टि से यह जिला बहुत समृद्ध नहीं है। जिले में उपलब्ध पशुधन एवं उनकी संख्या का तालिका सं0 9 यहां पर गाय, भैंस, बकरी, सुअर आदि का पालन होता है, परन्तु दूध की उत्पादकता बहुत कम है। मुर्गीपालन व्यापारिक एवं घरेलू उपयोग दोनों के लिए किया जाता है।

तालिका संख्या– 9 : जिले में पशुधन एवं उनकी संख्या

देशी गाय	संकर गाय	भैंस	बकरी	सुअर
353000	730	150000	395000	76000

स्रोत : जिला आकस्मिक कृषि योजना, सुपौल

अध्याय : 3

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विष्लेशण (एच.आर.वी.सी.ए.)

(Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis (HRVCA)

जिले की 90 प्रतिशत भूमि का उपयोग कृषिगत तौर पर किया जाता है और अधिकांश छोटी जोत वाले किसान हैं। जिले में अधिकांश ग्रामीण समुदाय की आजीविका मुख्यतः कृषि है जो विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं के प्रभाव से अधिकतम प्रभावित होती है। ऐसे में छोटे–मझोले और महिला किसान जलवायु परिवर्तन के साथ–साथ अन्य विकासात्मक मानवीय कारणों से उत्पन्न होने वाली बाढ़ एवं सूखा की स्थितियों को विशेषकर झेलते हैं। इससे उनकी आजीविका मुख्य तौर पर प्रभावित होती है। जब उनकी आजीविका विभिन्न जोखिमों और उनके प्रकोपों से सीधे प्रभावित होती है तो इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से उनके रहन–सहन पर पड़ता है।

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण (Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Assessment (HRVCA)) एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष में व्याप्त विभिन्न खतरों, उससे उत्पन्न जोखिमों तथा उससे प्रभावित होने वाले नाजुक वर्गों की पहचान की जाती है। साथ ही उस क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का आकलन किया जाता है ताकि उसके आधार पर आपदा जोखिम प्रबन्धन की दिशा में बेहतर नियोजन किया जा सके।

एच0आर0वी0सी0ए0 प्रक्रिया करने का मुख्य प्रयोजन निम्न है–

- सुनियोजित प्रगति हेतु व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामुदायिक स्तर पर आत्मविश्वास का आकलन करना।
- ग्राम स्तरीय संस्थानों के निर्माण द्वारा आपदा जोखिम एवं समुदाय की नाजुकता को समझना तथा न्यूनीकरण के उपाय ढूंढना।
- आपदा प्रबन्धन हेतु विभिन्न विभागों के साथ–साथ समुदाय की क्षमताओं, विभागों के पास उपलब्ध संसाधनों एवं कमियों की पहचान करना

खतरा, जोखिम, नाजुकता, क्षमता आकलन में प्रयुक्त साधन/तकनीक

विभागों एवं समुदाय के साथ खतरा, जोखिम, नाजुकता, क्षमता ;एच0आर0वी0सी0ए0द्ध प्रक्रिया में निम्न साधनों, तकनीकों का उपयोग किया गया –

- आपदा संभाव्य मानचित्रण
- दूर संवेदी चित्र अथवा गुगल इमेज
- कारण सम्बन्ध आरेख
- सेवा सुविधा का चपाती चित्रण एवं तालिकाबद्ध (Tabulation)
- समस्याओं का चिन्हीकरण एवं उनका प्राथमिकीकरण
- समस्या प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया
- उद्देश्यपूर्ण गतिविधि मॉडल

उपरोक्त उद्देश्यों को लेकर जिले के सभी प्रखण्डों में रैण्डमली आधार पर गांवों में जाकर समुदाय के साथ आपदाओं के सन्दर्भ में चर्चा की गयी। विभागों से बात–चीत एवं समुदाय के साथ एचआरवीसीए के विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर जिले की आपदाओं के बारे में समझ विकसित की गयी। प्राप्त बिन्दुओं के आधार पर आपदाओं को प्राकृतिक एवं मानव जनित दो श्रेणियों में विभक्त किया गया, जिसे निम्नवत् तालिका सं0 10 के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका संख्या–10 : जिलेमें विभिन्न प्रकार की आपदाओं की स्थिति

प्राकृतिक आपदाएं	मानवजनित आपदाएं
बाढ़	बिजली का करेण्ट लगना
सूखा	सड़क दुर्घटना
तूफान ;तेज हवाएंद्ध	नाव दुर्घटना
लू लगना	संक्रामक बीमारियां
ठनका	जंगली जानवरों का आतंक
अगलगी	
भूकम्प	
शीतलहर	
ओलावृष्टि	

स्रोत : विभागीय एवं सामुदायिक बैठकें

समुदाय के साथ की गयी चर्चाओं में उपरोक्त आपदाओं के आने के समय को भी जानने का प्रयास किया गया और इस प्रकार समुदाय की सहभागिता से आपदाओं का मौसमी चित्रण तैयार किया गया, जो तालिका सं0 11 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 11: जिले में विभिन्न प्रकार की आपदाओं का मौसमी चित्रण

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	प्रभावित प्रखण्ड/ पंचायत
बाढ़						■	■	■	■	■			सम्पूर्ण जिला ;विशेषकर सुपौल, किशनपुर, सरायगढ़–भपटियाही, निर्मली, मरौना, बसंतपुरद्ध
सूखा						■	■	■	■	■			सम्पूर्ण जिला ;विशेषकर जिले का उत्तरी क्षेत्रद्ध
भूकम्प	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	सम्पूर्ण जिला जोन प्ट के अन्तर्गत आता है।
अगलगी				■	■	■							सम्पूर्ण जिला ;विशेषकर राघोपुर, पिपरा, प्रतापगंज, सुपौलद्ध
ओलावृष्टि	■	■	■										सम्पूर्ण जिला
आंधी–तूफान			■	■	■								सम्पूर्ण जिला
लू लगना				■	■	■							सम्पूर्ण जिला
शीतलहर	■											■	सम्पूर्ण जिला
ठनका				■		■		■	■				सम्पूर्ण जिला
बिजली का करेण्ट	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	सम्पूर्ण जिला
सड़क दुर्घटना	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	सम्पूर्ण जिला ;विशेषकर सुपौल, पिपरा, राघोपुरद्ध
नाव दुर्घटना						■	■	■	■				सम्पूर्ण जिला
संक्रामक बीमारियां							■	■	■	■	■		सम्पूर्ण जिला
जंगली जानवरों का आतंक	■	■	■							■	■	■	जिले का उत्तरी भाग

स्रोत : विभागीय चर्चा एवं सामुदायिक बैठकें

3.1 आपदा की प्रकृति एवं स्वरूप (Hazard Profile)

आपदाएं, संकट तथा नाजुकता(vulnerability) का सयुंक्त परिणाम होती हैं। यह तब प्रभावी होती हैं जब प्रभावित समुदाय अथवा व्यक्ति की किसी संकट से जूझने की योग्यता उनकी अनुकूलन क्षमता से बाहर चली जाती है। यह वह स्थिति है जिसमें मानव समदाय अपने–आप को असहाय और असहज महसूस करने लगता है। जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है, मनुष्य हक्का–बक्का रह जाता है और कुछ समय के लिए किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाता है। परिणामस्वरूप बृहत् पैमाने पर जान–माल की क्षति होती है।

3.1.1 आपदा के प्रकार

बाढ़

जिले की मुख्य आपदा के तौर पर बाढ़ को संदर्भित किया जाता है, जिससे जिले की अधिकांश जनसंख्या प्रभावित होती है। बाढ़ से जुड़े कुछ तथ्य निम्नवत् हैं –

- जिला सुपौल से कोसी एवं उसकी सहायक नदियां गुजरती हैं, फलस्वरूप जिले का पश्चिमी भाग प्रत्येक वर्ष मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित रहता है। जिले के कुल 11 अंचलों में सुपौल, किशनपुर, सरायगढ़–भपतियाही, निर्मली तथा मरौना के अधिकांश भाग कोसी तटबंध के बीच रहने के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त बसंतपुर प्रखंड का तटबंध के भीतर पड़ने वाला भाग बाढ़ से प्रभावित होता है। कभी–कभी सुरसर नदी में बाढ़ एवं अत्यधिक वर्षापात के कारण छातापुर, त्रिवेणीगंज तथा बसंतपुर अंचल का कुछ भाग बाढ़ से प्रभावित होता है(मानचित्र सं0 8)।

- जिला प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 44 पंचायत के कुल 130 गाँव प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। (तालिका सं0 12)

तालिका संख्या–12 : बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पंचायत एवं ग्रामों की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन

क्र०	अंचल का नाम	बाढ़ प्रभावित पंचायतों की संख्या	बाढ़ प्रभावित ग्रामों की संख्या	बाढ़ प्रभावित जनसंख्या
1	सुपौल	8	23	38130
2	किशनपुर	9	25	48740
3	सरायगढ़–भपटियाही	5	19	14285
4	निर्मली	8	23	71670
5	मरौना	13	38	157795
6	बसंतपुर	1	2	655
कुल –		**44**	**130**	**334335**

स्रोत : जिला प्रशासन, सुपौल

आपदा संभाव्य मानचित्रण, केन्द्रित समूह चर्चा एवं द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर जिले में प्रखण्डवार बाढ़ आपदा की आवृत्ति को निम्नवत् तालिका सं0 13 तथा बाढ़ से होने वाले नुकसान को तालिका सं0 14 के माध्यम से देखा जा सकता है –

तालिका संख्या– 13 : प्रखण्डवार बाढ़ आपदा की आवृत्ति

क्रम	प्रखण्ड	बाढ़ आपदा का वर्ष	आवृत्ति
1	सुपौल	1987,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,16,17,19	30
2	किशनपुर	1987,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,01,02,03,04,05,07,09,10,12,13,14,16,17,19	28
3	मरौना	1987,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99,2000,01,02,03,04,07,09,10,13,14,16,17,19	24
4	निर्मली	1987,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99,2000,01,02,03,04,07,09,10,13,16,17,19	23

5	बसन्तपुर	1987,88,89,90,91,93,96,98,99,2002,03,04,06,07,08,10,14,16	18
6	सरायगढ़ भपटियाही	1996,97,98,99,2000,01,02,03,04,06,07,09,10,12,13,14,16,17,19	19
7	छातापुर	1996,97,98,99,2000,01,02,03,04,06,07,08,09,10,13	15
8	त्रिवेणीगंज	1987,96,98,2004,08	05
9	पिपरा	1987,2004	02
10	राघोपुर	1987,2008	02
11	प्रतापगंज	1996,2008	02

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन विभाग, सुपौल

तालिका संख्या– 14: सुपौल जिला में बाढ़ से होने वाला नुकसान ;1991–2016द्ध

वर्ष	प्रभावित क्षेत्र (लाख हे0में)	प्रभावित जनसंख्या (लाखमें)	फसल का नुकसान		मकान का नुकसान		जानवरों की क्षति (संख्या में)	मानव क्षति (संख्या में)	सामुदायिक सम्पत्ति का नुकसान (लाखमें)	फसल, मकान एवं सामुदायिक सम्पत्ति का कुल नुकसान (लाखमें)
			क्षेत्र (लाख हे0में)	मूल्य (लाखमें)	संख्या	मूल्य (लाखमें)				
1991	0.24	2.49	0.13	53.35	4593	58.10	–	–	30.00	141.45
1992	0.16	0.98	0.11	2.66	978	7.13	–	4	0.75	10.54
1993	0.45	2.33	0.08	185.20	3991	47.25	50	5	4.00	236.45
1994	0.44	1.63	0.07	37.85	1604	17.04	–	1	1.25	56.14
1995	0.42	1.92	0.19	21.80	3444	46.90	–	1	0.80	69.50
1996	1.0	3.25	0.37	259.24	7050	79.78	23	5	18.61	357.63
1997	0.53	1.42	0.13	27.37	3018	63.87	–	–	–	91.24
1998	0.93	2.35	0.18	197.00	–	–	–	–	–	197.00
1999	0.02	0.33	0.02	120.00	657	43.95	–	5	–	163.95
2000	0.25	1.0	0.07	84.18	2226	30.33	–	–	9.60	124.11
2001	0.32	1.39	0.09	458.20	3584	76.01	–	–	25.00	559.21
2002	1.93	3.02	0.44	276.31	4406	272.31	2	5	224.78	773.40
2003	0.39	2.25	–	13.50	1530	28.70	.	2	6.00	48.20
2004	1.78	4.21	0.47	709.36	15131	1669.15	3	7	527.01	2905.52
2005	0.004	0.61	–	2.50	445	23.50	–	–	–	26.00
2006	–	0.03	–	2.00	819	18.93	–	3	–	20.93
2007	0.12	2.37	0.12	761.23	11671	2313.86	–	1	–	3075.09
2008	0.84	7.5	0.43	2691.19	73300	16644.36	5445	217	11222.31	30557.86
2009	0.04	0.77	–	–	1914	188.07	–	1	–	188.07
2010	0.04	1.34	0.03	173.42	8808	410.35	–	4	9.20	592.97
2011	0.07	1.15	0.08	244.44	2962	210.46	–	4	10.00	464.90
2012	0.68	0.63	0.002	3.86	719	68.40	–	1	–	72.26
2013	2	1.2	1.3	0.51	2417	229.20	21	4	–	229.71
2014	0.06	1.10	–	–	924	24.25	2	0	375.88	413.13
2015	–	0.86	–	–	220	44.1	0	6	3.0	44.1
2016	0.04	1.06	0.03	382	1701	91	4	20	3	476
2017	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2018	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2019	–	1.002	–	–	–	–	–	–	–	–
2020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2021	–	0.01200	–	–	–	–	–	–	–	–
2022	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन विभाग, सुपौल

मानचित्र संख्या–8 : जिला में बाढ़ प्रभावित प्रखण्ड

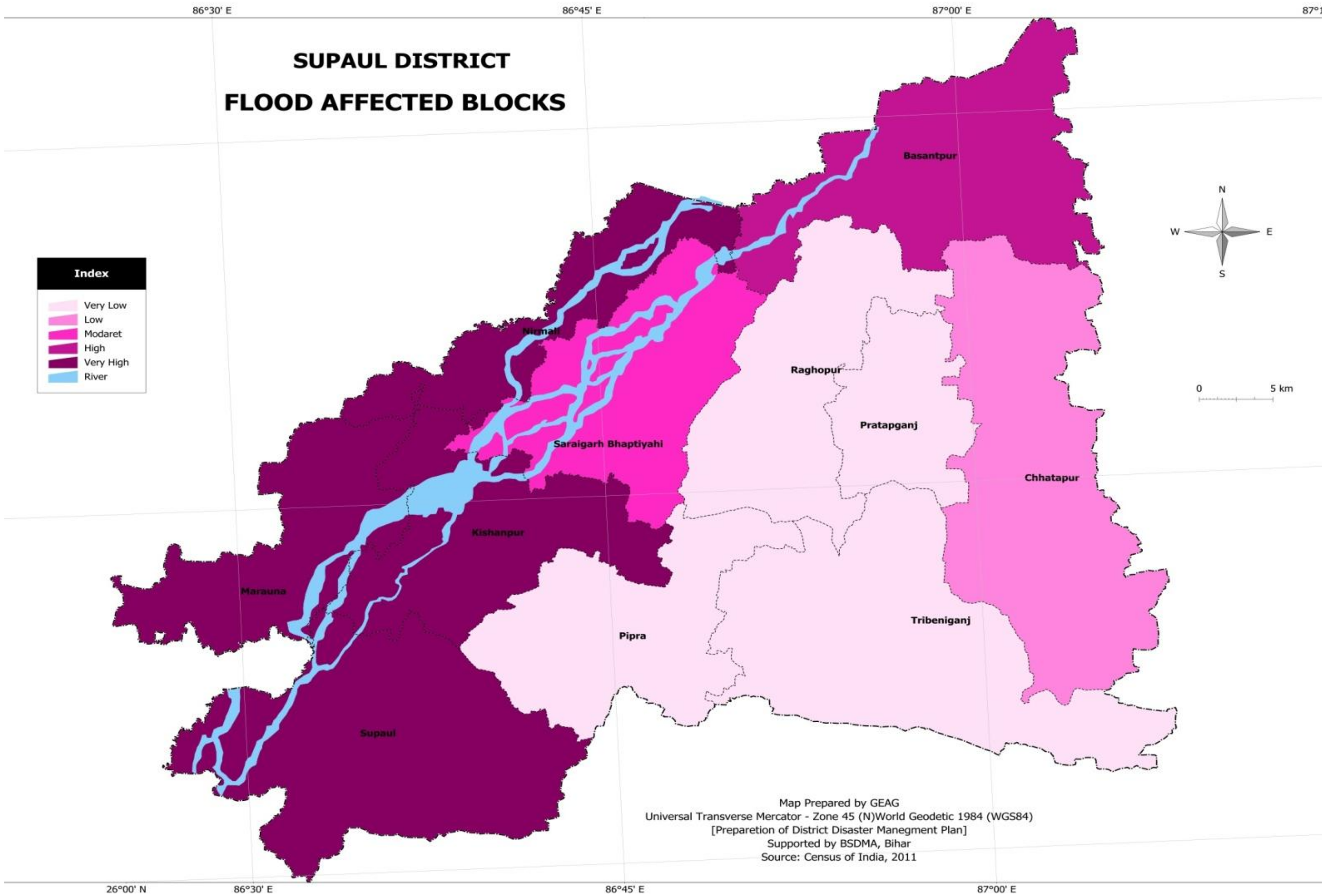

स्रोत : आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार के आंकड़ों पर आधारित

अगलगी

सामान्यतः आग सूखे मौसम में मनुष्यों की अपनी असावधानी के कारण बीड़ी, सिगरेट, माचिस आदि के जलते टुकड़ों से लगती है। गर्मियों में खड़ी फसलों, खलिहानों, झोपड़ियों तथा कच्चे मकानों में आग का लगना एक आम बात होती है। इसी प्रकार शहरों की घनी आबादी वाले भागों में ज्वलनशील पदार्थो का एकत्रीकरण, बिजली की खराबी या रसोई घर में दुर्घटना से भीषण आग की स्थिति उत्पन्न होती है।

सामुदायिक बैठकों के दौरान लोगों ने आपदा प्राथमिकीकरण में अगलगी आपदा को दूसरे नम्बर पर रखा। विशेषकर पूर्वी क्षेत्र के प्रखण्डों में जहां बाढ़ का दबाव प्रतिवर्ष झेलने वाले समुदायों के घर झुग्गी–झोपड़ी के हैं, उन्हीं को हमेशा इस आपदा का सामना करना पड़ता है। अग्निशमन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत तीन वर्षों में सुपौल में हुई अगलगी की घटनाओं को तालिका संख्या 15 के माध्यम से देख सकते हैं ;ग्रामवार विस्तृत विवरण हेतु संलग्न–3 का सन्दर्भ लेंद्ध। जबकि इस आपदा से होने वाली मानव क्षति का विस्तृत विवरण तालिका सं0 18 में दिया जा रहा है।

तालिका संख्या– 15 : वर्षवार अगलगी की घटनाओं का विवरण

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
37	75	60	65	59	60	55

स्रोत : अग्निशमन विभाग, सुपौल

भूकम्प

भारतीय मानक ब्यूरो के नवीनतम सिसमिक जोन मानचित्र के अनुसार जिला सुपौल भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशील है एवं सिसमिक जोन पांच में आता है। इस जोन के अन्तर्गत निर्माण गतिविधियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है तथा रेग्यूलेटरी तंत्र को और अधिक उन्नत बनाने की आवश्यकता है। भूकम्प से बचाव हेतु पूर्व तैयारी न करने, निर्माण गतिविधियों की उचित निगरानी न होने, उपयुक्त तकनीकी दक्षता का अभाव तथा भूकम्प जोखिम के शमन उपायों पर आम जनता के बीच जागरूकता न होने आदि कारणों से पहले से ही नाजुक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों/समुदाय या फिर क्षेत्रों की नाजुकता और भी बढ़ जाती है। संलग्नकसं0 4 में जिले स्तर पर भूकम्प की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के भवनों की नाजुकता का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। श्री ए0एस0 आर्या ने 1934 में आये भूकम्प की तीव्रता से बिहार में हुए घरों के नुकसान का अध्ययन किया था। उसी अध्ययन पद्धति को आधार बनाकर जिला सुपौल में भूकम्प की संवेदनशीलता का विश्लेषण किया गया है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना के आधार पर प्रखण्डों में परिवारों की संख्या एवं घरों की बनावट के आंकड़ों के लेकर मानचित्र सं0 9 तैयार किया गया है। इस मानचित्र के आधार पर कहा जा सकता है कि सुपौल प्रखण्ड ;जो जिला मुख्यालय भी हैद्ध भूकम्प की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है।

सुपौल जिला को वर्ष 1934 एवं 1988 एवं 2015 में भूकम्प की त्रासदी झेलनी पड़ी। लोग 1934 एवं 1988 में आये भूकम्प एवं उससे होने वाले नुकसान के बारे में बहुत बातें साझा नहीं कर पाये परन्तु वर्ष 2015 का भूकम्प ताजा घटना होने के कारण उसके विषय में व्यापक बात–चीत की। सामुदायिक बैठक से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि–

- दिनांक 25 अप्रैल, 2015 को नेपाल में आये भूकम्प के कारण सुपौल जिला भी प्रभावित हुआ।
- यद्यपि कि इस भूकम्प में जान–माल की क्षति नहीं हुई, परन्तु लोगों के अन्दर डर उत्पन्न हो गया।
- कुछ स्थानों पर भवनों में दरारें पड़ गयीं।

मानचित्र संख्या– 9 : जिला में भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील प्रखण्ड

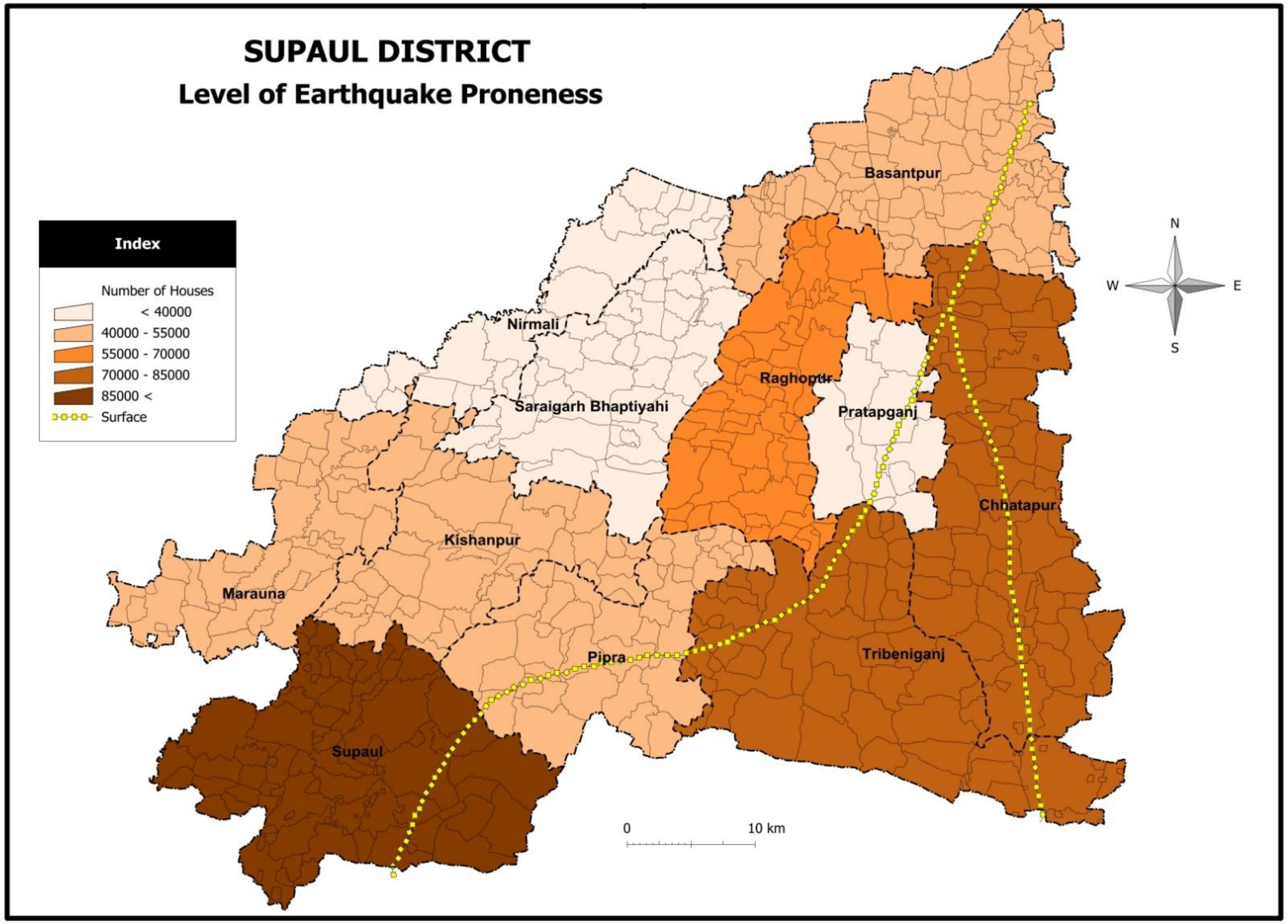

स्रोत : भारतीय जनगणना, 2011 एवं श्रीए0एस0 आर्या के अध्ययन के आधार पर संकलित

सड़क दुर्घटना

आवागमन हेतु अच्छी सड़कें एवं रास्तों का होना क्षेत्र विशेष के लिए बेहतर विकास का पर्याय माना जाता है। सुपौल जिला से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 57 एवं राज्य मार्ग 56 गुजरता है। विगत दशक में यहां पर न सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, वरन् जिले के अन्दर की सड़कें भी काफी अच्छी बन गयी हैं। सड़कों की दशा सुधर जाने से लोगों की रफ्तार बढ़ गयी है और यही बढ़ी रफ्तार जिला प्रशासन के लिए आपदा का कारण बनती जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ की गयी वार्ता में जिले में चार ऐसे स्थानों– डगमारा कुरौली, पिपरा खुर्द, चैनसी पट्टी एवं भीमपुर को चिन्हित किया गया है, जहां पर अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं ;मानचित्र सं0 10द्ध। जिला प्रशासन एवं समुदाय दोनों स्तरों पर की गयी बात–चीत से निष्कर्ष निकला कि पिछले पांच वर्षों में सड़क दुर्घटना एक बड़ी आपदा के रूप में सामने आयी है। मात्र वर्ष 2016–17 में सड़क दुर्घटना की कुल 154 घटनाएं हुई हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष में सड़क दुर्घटना एवं उसमें हुई मानव क्षति का विवरण निम्नवत् है;तालिका सं0 16द्ध–

तालिका संख्या– 16 : 2021–22 में सड़क दुर्घटना के कारण हुई मौत

स्थान/प्रखण्ड	मृतकों की संख्या
सुपौल	05
पिपरा	08
सरायगढ़–भपटियाही	08
किशनपुर	02
त्रिवेणीगंज	05
छातापुर	06
निर्मली	00
मरौना	00
बसंतपुर	00
राघोपुर	04
प्रतापगंज	00
कुल	**38**

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन विभाग, सुपौल

मानचित्र संख्या– 10 : रोड नेटवर्क एवं दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील बिन्दु

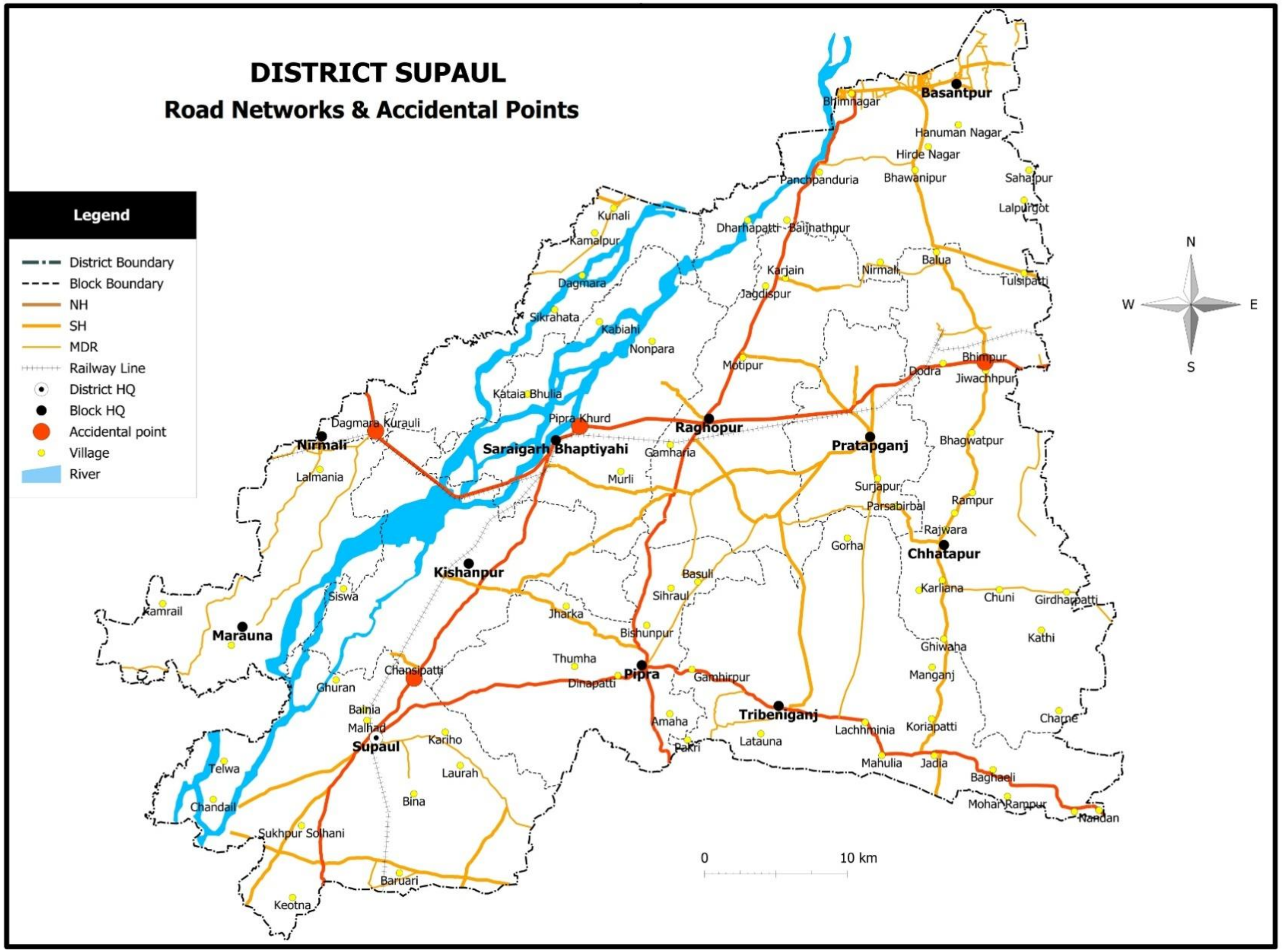

स्रोत : परिवहन विभाग,

विद्युत स्पर्शाघात

सुपौल में विद्युत स्पर्शाघात एक आपदा के रूप में है। ग्रामीण जन समुदाय के बीच जागरूकता न होने तथा अव्यवस्थित ढंग से गड़े पोलों, जर्जर हाईटेन्शन तारों आदि के कारण इससे होने वाली मानव हानि को विगत कुछ वर्षों से आपदा की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। विगत पांच वर्षों में विद्युत स्पर्शाघात से मरने वालों का विस्तृत विवरण निम्न तालिका सं0 17 के माध्यम से प्रदर्शित है –

तालिका संख्या– 17: वर्षवार विद्युत स्पर्शाघात से हुई मौतों का विवरण

क्रम	वर्ष	संख्या	नाम	पता
1	2013	1	स्व0 नीरज कामत, पिता – श्री अर्जुन कामत	ग्राम – मल्हनी, पोस्ट – सुखपुर, सुपौल
2	2014	2	स्व0 सुरेश शर्मा, पिता – स्व0 मोलकू शर्मा	गौरवगढ़, वार्ड नं0 – 4, सुपौल
3			स्व0 रौशन कुमार महतो, पिता –श्री रामकिशुन महतो	ग्राम – बेला, सुपौल
4	2015	4	स्व0 मो0 समझ, पिता – मो0 मजीद	ग्राम–कमलपुर, वार्ड नं0 7, थाना –कुनौली, सुपौल
5			स्व0 शैलेन्द्र कुमार ;मानव बलद्ध, पिता – श्री बिरजू प्रसाद सिंह	ग्राम – पचौत, थाना – बेलदार, सुपौल
6			स्व0 शशि भूषण यादव, पिता – श्री देवेन्द्र यादव	ग्रा.–अजानहरदी पूरब, वार्ड नं. 1, सुपौल
7			स्व0 श्रवण कुमार ;मानव बलद्ध, पिता – श्री विद्यानन्द यादव	ग्राम व पोस्ट – बेलीहिया, थाना – पिपरा, सुपौल
8	2016	1	स्व0 शत्रुघ्न यादव, पिता – श्री सरयुग यादव	ग्राम–थलहा, पो–हुलास राघोपुर, सुपौल
9	2017	4	स्व0 सुरन्द्र साह, पिता – श्री कुशेश्वर साह	ग्राम – जदिया, सुपौल
10			स्व0 विनोद तिवारी, पिता – शिव नारायण तिवारी	ग्रा., पो. – मरौना, वार्ड नं0 5, सुपौल
11			स्व0 अब्दुल सत्तार, पिता – श्री अब्दुल गफ्फार	ग्राम – महुआ पुनर्वास, सुपौल
12			स्व0 सावन कुमार, पिता – हरेराम यादव	ग्राम – महीपट्टी, पोस्ट – मलाद, थाना – किशुनपुर, सुपौल

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन विभाग, सुपौल

भीषण गर्मी एवं लू

यद्यपि सुपौल जिला की जलवायु मनोरम है एवं यहां पर आम तौर पर गर्मियों में भी अधिक गर्मी का अनुभव नहीं होता था। परन्तु पिछले 10–15 वर्षों में जलवायु परिवर्तन की घटनाओं एवं उनके पड़ने वाले प्रभावों के कारण इस जिले में भी भीषण गर्मी पड़ने लगी है। एक दशक पहले तक यहां के लोगों को लू का सामना नहीं करना पड़ता था, परन्तु अब लू चलना यहां के लिए सामान्य बात हो गयी है। अप्रैल से ही चलने वाली लू के कारण यहां का जन–जीवन प्रभावित होने लगा है। आम जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा खासकर स्कूली बच्चों एवं काम के लिए घर से बाहर निकलने वाले दिहाड़ी मजदूरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भीषण गर्मी एवं लू के शमन के उपायों पर भी चर्चा आवश्यक है।

जंगली जानवरों का आतंक

नेपाल व भारत के तराई बेल्ट में आबादी का घनत्व बढ़ने के कारण हाथियों का नैसर्गिक आवास स्थल खत्म हुआ है, जिस कारण आबादी वाले क्षेत्रों में उनका दखल ज्यादा बढ़ने लगा है। विगत कुछ वर्षों में खेतों/फसलों पर हाथियों के झुण्ड का आक्रमण इसी दखल का परिणाम है। इस दखल के पीछे कई कारण हैं, जिन्हें इस प्रकार देखा जा सकता है–

- जंगलों के खत्म होने के कारण उनको भोजन की समस्या उत्पन्न होने लगी, जिससे उनका रूख आबादी क्षेत्रों की तरफ हुआ।
- मुख्यतः अक्टूबर से मार्च तक फसलों को अपना निशाना बनाने वाले ये जानवर उस समय अधिक आक्रमण करते हैं, जब फसलों के पकने का समय होता है।
- केला व गन्ना की खेती वाले क्षेत्रों में हाथियों का आक्रमण अधिक होने लगा है।

सुखाड़

सुपौल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यद्यपि आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि विगत 13 वर्षों के वर्षा के प्रतिरूप में औसतन वृद्धि हुई है, परन्तु वर्षा के दिनों की आवृत्ति में अनियमितता होने तथा समय पर बारिश न होने के कारण सुखाड़ की स्थितियां भी बनने लगी हैं। एक ओर जहां सरकारी आंकड़ों में वर्ष 1992, 2001 एवं 2013 सुपौल को सुखाग्रस्त घोषित किया गया, वहीं दूसरी तरफ वीरपुर क्षेत्र में समुदाय के साथ की गयी चर्चाओं में निकलकर आया कि– यद्यपि इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा हो रही थी और पहले कभी–कभी सूखाड़ परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, परन्तु वर्ष 2008 की बाढ़ के बाद से जिले के उत्तरी भागको सूखाड़ परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

विभागीय आंकड़ों के आधार पर पिछले पांच वर्षों में विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के कारण हुई मानव क्षति का विवरण वर्षवार निम्न तालिका सं0 18 में प्रदर्शित है –

तालिका 18 : विभिन्न आपदाओं से होने वाली मानव क्षति का वर्षवार विवरण

क्रम सं0	वर्ष	आपदा	सुपौल	किशनपुर	सरायगढ़ भपतियाही	पिपरा	बसन्तपुर	राघोपुर	प्रतापगंज	त्रिवेणीगंज	छातापुर	निर्मली	मरौना	कुल
1		पानी में डूबना	2	1			17		18	28	93			159
2		नाव दुर्घटना					3		2	1	9			15
3		संक्रामक बीमारियां					2			9	12			23
4		अगलगी				1		1	1					3
5		ठनका / बज्रपात												0
6		आंधी–तूफान												0
7		लू लगना												0
8		शीत लहर												0
	2008–09		**2**	**1**	**0**	**1**	**22**	**1**	**21**	**38**	**114**	**0**	**0**	**200**
1		पानी में डूबना	1	1			1				7			10
2		नाव दुर्घटना											28	28
3		संक्रामक बीमारियां												0
4		अगलगी	1		1									2
5		ठनका / बज्रपात												0
6		आंधी–तूफान	1		1								1	3
7		लू लगना												0
8		शीत लहर												0
	2009–10		**3**	**1**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**29**	**43**
1		पानी में डूबना	0		2									2
2		नाव दुर्घटना	0											0
3		संकामक बीमारियां												0
4		अगलगी					1	1			1			3
5		ठनका / बज्रपात								2				2
6		आंधी–तूफान				1					1			2
7		लू लगना												0

क्रम सं0	वर्ष	आपदा	सुपौल	किशनपुर	सरायगढ़ भपतियाही	पिपरा	बसन्तपुर	राघोपुर	प्रतापगंज	त्रिवेणीगंज	छातापुर	निर्मली	मरौना	कुल
8		शीत लहर												0
9		सड़क दुर्घटना						1						1
	2010–11		0	0	2	1	1	2	0	2	2	0	0	10
1		पानी में डूबना	2		1									3
2		नाव दुर्घटना												0
3		संक्रामक बीमारियां												0
4		अगलगी					1			2			4	7
5		ठनका/बज्रपात	2								1		1	4
6		आंधी–तूफान												0
7		लू लगना												0
8		शीत लहर												0
9		सड़क दुर्घटना									9			9
	2011–12		4	0	1	0	1	0	0	2	10	0	5	23
1		पानी में डूबना												0
2		नाव दुर्घटना												0
3		संक्रामक बीमारियां												0
4		अगलगी												0
5		ठनका/बज्रपात	2				2							4
6		आंधी–तूफान												0
7		लू लगना												0
8		शीत लहर												0
9		सड़क दुर्घटना												0
	2012–13		2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
1		पानी में डूबना												0
2		नाव दुर्घटना												0
3		संक्रामक बीमारियां												0

क्रम सं0	वर्ष	आपदा	सुपौल	किशनपुर	सरायगढ़ भपतियाही	पिपरा	बसन्तपुर	राघोपुर	प्रतापगंज	त्रिवेणीगंज	छातापुर	निर्मली	मरौना	कुल
4		अगलगी												0
5		ठनका / बज्रपात						1			1		1	3
6		आंधी–तूफान												0
7		लू लगना												0
8		शीत लहर												0
9		सड़क दुर्घटना												0
10		भूकम्प	2											2
	2014–15		2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	5
1		पानी में डूबना	7	3	6	1	2	2			2	4		27
2		नाव दुर्घटना							1					1
3		संक्रामक बीमारियां												0
4		अगलगी			1		2				1			4
5		ठनका / बज्रपात			1		2	1		1	2	1	2	10
6		आंधी–तूफान												0
7		लू लगना												0
8		शीत लहर												0
9		सड़क दुर्घटना	1			1		2						4
10		भूकम्प												0
	2015–16		8	3	8	2	6	5	1	1	5	5	2	46

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन विभाग, सुपौल

3.2 नाजुकता एवं जोखिम विश्लेषण

जिले के अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत हैं जहां जनसंख्या का दबाव अधिकतम होने के साथ ही संसाधनों की कमी भी है। यद्यपि बहुआपदा के प्रभाव क्षेत्र के सभी वर्गों में दिखाई देते हैं किन्तु अविकसित क्षेत्रों, जहां मकान एवं सड़क, नालियां, बांध आदि कच्चे हैं, वहां इनके परिवर्तन के प्रभाव प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेते हैं जिसके दुष्परिणाम से पूर्व में किये गये विकास कार्य भी परिलक्षित नहीं हो पाते हैं। भारी वर्षा से ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित समुदाय की बुनियादी सुविधाएं जैसे कृषि एवं आजीविका पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। निम्न तालिका सं0 19 के माध्यम से विभिन्न आपदाओं के संभावित समय, उससे प्रभावित होने वाले संसाधन, असुरक्षित सेक्टर एवं नाजुकता वालेप्रभावित प्रखण्डों को दर्शाया गया है –

तालिका संख्या–19 : बहु आपदा, नाजुकता एवं जोखिम वाले क्षेत्र

आपदाओं का प्रकार	संभावित माह	प्रभावित संसाधन	असुरक्षित सेक्टर	प्रभावित प्रखण्ड/ पंचायत
बाढ़	15 जून से 15 अक्टूबर	मानव, पशु, फसल, अन्य सम्पत्ति, मकान	▪ कृषि – फसल ▪ आवागमन – सड़क एवं पक्का निर्माण ▪ सम्पत्ति – कच्चा एवं पक्का मकान ▪ पेयजल – चापाकल, कुंआ, ट्यूबवेल ▪ पशुधन – भैंस, गाय, बैल, बकरी आदि ▪ सिंचाई – ट्यूबवेल, बिजली ▪ शैक्षणिक संस्थान – प्राथमिक स्कूल, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय एवं महा विद्यालय ▪ असुरक्षित आबादी – निशक्तजन*, वयोवृद्ध, गर्भवती महिला*, धातृ महिलाएं* एवं बच्चे ▪ असुरक्षित सम्पत्ति – बांध, बागवानी, फलदार वृक्ष	सुपौल, किशनपुर, सरायगढ़–भपटियाही, निर्मली, मरौना, बसंतपुरद्ध
सूखाड़	जून से अक्टूबर	फसल, पशुधन एवं मानव की क्षति	फसल, मनुष्य, पशुधन कटैया पावर प्लाण्ट,	सम्पूर्ण जिला
भूकम्प	कोई निश्चित समय नहीं।	मकान, पशुधन, मनुष्य की क्षति	मनुष्य, पशुधन तथा कच्चे एवं पक्के मकानों की क्षति, पुल–पुलिया, कोशी बांध, कोशी बराज, कटैया पावर प्लाण्ट, जिले में अवस्थित सभी दूरभाष केन्द्र, जिले में स्थित शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम	सम्पूर्ण जिला जोन 5 में आता है, जो अत्यधिक प्रवण माने जाते हैं।
अगलगी	अप्रैल, मई एवं मध्य जून	जन पशु एवं सम्पत्तियों का नुकसान	मानव सम्पत्ति ;जान–मालद्ध का नुकसान, फसल, कच्चे व पक्के मकान	सम्पूर्ण जिला ;विशेषकर राघोपुर, पिपरा, प्रतापगंज, सुपौलद्ध
ओला वृष्टि	जनवरी, फरवरी, मार्च	फसल, मनुष्य, मकान एवं सम्पत्ति	फसल, जान–माल एवं फूस के मकानों की क्षति	सम्पूर्ण जिला
आंधी एवं तूफान	मार्च, अप्रैल, मई	फसल, सम्पत्ति, मनुष्य एवं पशुधन	फसल, कच्चा एवं पक्का मकान, पशुधन, स्कूल एवं कालेज, संचार, विद्युत आपूर्ति एवं यातायात	सम्पूर्ण जिला

लू लगना	अप्रैल अन्तिम सप्ताह, पूरा मई एवं जून प्रथम सप्ताह	मानव क्षति	मानव	सम्पूर्ण जिला
शीतलहर	दिसम्बर एवं जनवरी	मनुष्य, पशुधन तथा फसल की क्षति	मनुष्य, पशुधन तथा फसल	सम्पूर्ण जिला
ठनका	मार्च– अप्रैल, अगस्त–सितम्बर	मानव, पशुधन क्षति	मानव एवं पशुधन	सम्पूर्ण जिला
बिजली का करण्ट लगना	पूरे वर्ष	मानव एवं पशुधन क्षति	मानव व पशुधन	सम्पूर्ण जिला
सड़क दुर्घटना	पूरे वर्ष	मानव क्षति	मानव	सम्पूर्ण जिला ;विशेषकर सुपौल, पिपरा, राघोपुरद्ध
नाव दुर्घटना	जून –सितम्बर	मानव क्षति	मानव	सुपौल, किशनपुर, सरायगढ़– भपटियाही, निर्मली, मरौना, बसंतपुरद्ध
संक्रामक बीमारियां	जुलाई–नवम्बर	मानव एवं पशुधन क्षति	मानव विशेषकर छोटे बच्चे, जानवर	सम्पूर्ण जिला
जंगली जानवरों का आतंक	अक्टूबर से मार्च तक	खेत, फसल का नुकसान	खेत में खड़ी फसल का नुकसान मनुष्यों को नुकसान	जिले का उत्तरी भाग

स्रोत : विभागीय एवं सामुदायिक बैठकें

' विस्तृत सूची संलग्नक 6 में उपलब्ध है।

भारत सरकार के बीएमटीपीसी संस्था द्वारा जारी नाजुकता एटलस देश के विभिन्न जिलों की नाजुकता एवं जोखिम का आकलन बाढ़, भूकम्प, आंधी–तूफानके सन्दर्भ में किया है। इसके अन्तर्गत घरों की बनावट, उसमें प्रयुक्त सामग्री एवं दीवाल, छत आदि के आधार पर उपरोक्त आपदाओं के आधार पर किया है। इसी रिपोर्ट के सन्दर्भ में 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों व घरों की विशेषताओं के आधार पर जिले में घरों की नाजुकता का विश्लेषण किया गया ;संलग्नक4द्धहै।

बाढ़ आपदा के कारण नाजुकता एवं जोखिम वाले क्षेत्र

जिले की आपदा प्रबन्धन विभाग से प्राप्त आपदाओं के आंकड़े तथा समुदाय के साथ की गयी बात–चीत के विश्लेषण के आधार पर निकल कर आया कि यद्यपि कि जिले में बहु आपदाओं का प्रकोप होता है, परन्तु बाढ़ यहां की मुख्य आपदा के रूप में उभर कर आयी, जिसका समुदाय, संसाधन एवं व्यवस्था पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अतः बाढ़ आपदा की संवेदनशीलता की दृष्टि से पूरे जिले को निम्नवत् क्षेत्रों में बांटकर उनकी नाजुकता का आकलन कर सकते हैं–

- **उच्च नाजुकता/जोखिम वाले क्षेत्र (पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी तटबंधों के बीच स्थित ग्राम पंचायत/गॉव)**
  सुपौल जिले के 6 प्रखण्डों – किशनपुर, सरायगढ़ भपटियाही, सुपौल, मरौना, निर्मली व बसन्तपुर के कुल 81 गांव (संलग्नक 5) पूर्वी एवं पश्चिमी तटबन्ध के अन्तर्गत आते हैं (मानचित्र संख्या– 11)। मानसून के महीनों में इन ग्राम पंयायतों/गॉवों के डूबने की संभावना सर्वाधिक होती है। यहॉ के लोग 5–6 सप्ताहों के लिए कहीं किसी अस्थायी आश्रय में या फिर तटबंधों पर ही आकर शरण लेते हैं। इन गांवों हेतु बाढ़ से शमन के निम्न उपाय प्रभावी हो सकते हैं–

  - जल स्तर की वृद्धि के अनुश्रवण तंत्र को मजबूत करना।

- घरों के ऐसे बाढ़–सह्य डिजाईन विकसित करना जो समुदाय द्वारा मान्य हो।
- प्रत्येक गांव में आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पूर्व से ही सरकारी एवं निजी नाव की व्यवस्था करना।
- स्लूइस गेटों को मजबूत करना व उन्हें इस लायक बनाया जाना कि जल निकास अबाध गति से होता रहे।
- पहले से ही ऊँचे क्षेत्र में पेयजल संसाधन एवं सामुदायिक आश्रय स्थल विकसित करना।

मानचित्र संख्या –11 : पूर्वी और पश्चिमी कोसी तटबन्धों के बीच बसे बाढ़ से पूर्ण एवं आंशिक प्रभावित गांव

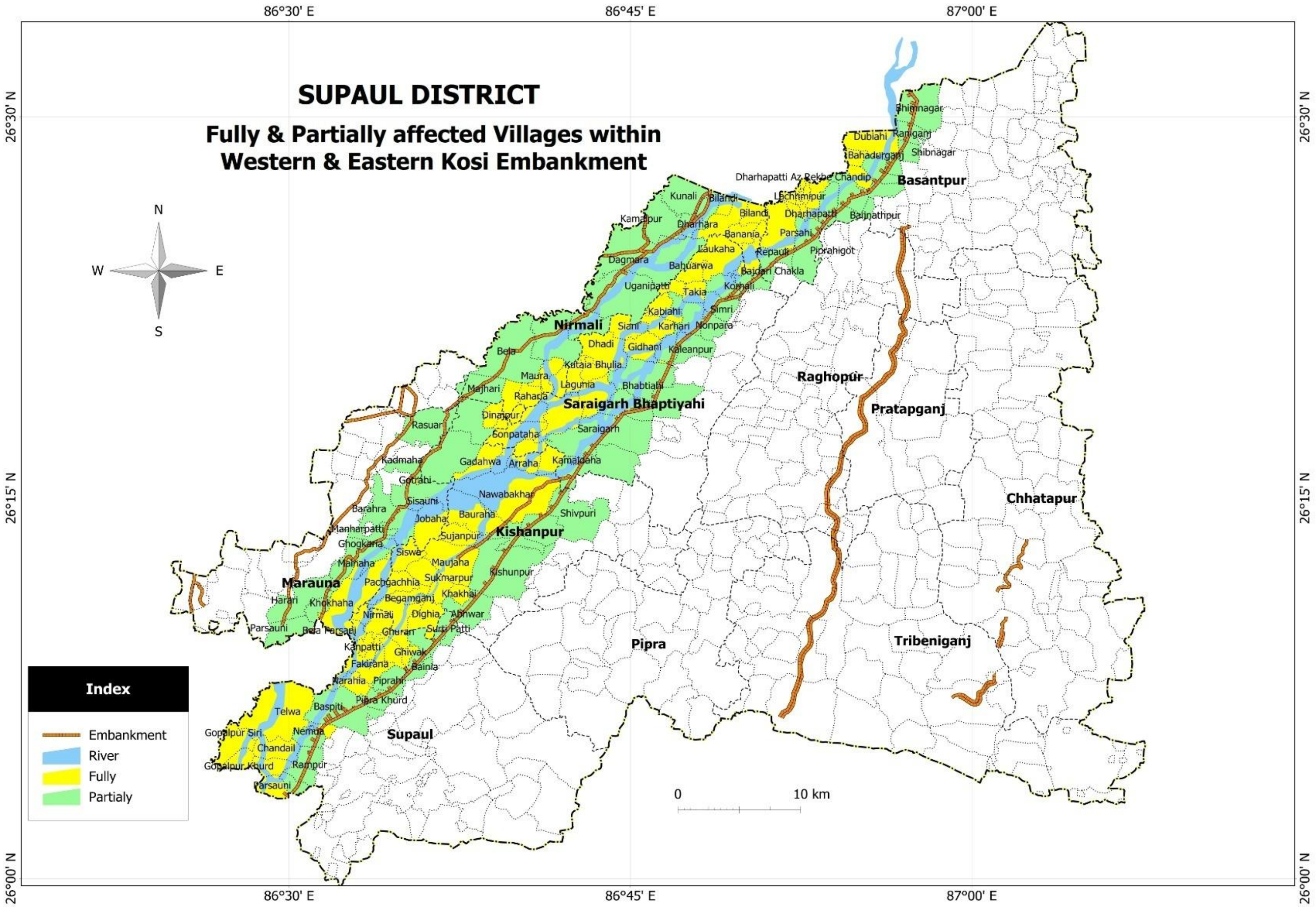

स्रोत : जल संसाधन विभाग, वीरपुर, सुपौल, बिहार

➢ मध्यम नाजुकता/जोखिम वाले क्षेत्र (तटबंध के समीप के ग्राम पंचायत/गॉव)

इस श्रेणी के अन्तर्गत किशनुपर, सरायगढ़ भपटियाही, सुपौल, मरौना, निर्मली व बसन्तपुर के 63 गांव (संलग्नक 5) ऐसे हैं, जो दोनों तटबन्धों के बाहर 1–2 किमी0 के निकट बसे हुए हैं। इन गांवों के सामने सबसे बड़ा जोखिम यह रहता है कि इन गांवों में वर्ष भर जल–जमाव की समस्या बनी रहती है। तटबंध के कमजोर होने या उनके खराब रख–रखाव तथा नदी का प्रवाह बढ़ने के कारण इन गॉवों की संवेदनशीलता/जोखिम बढ़ जाती है क्योंकि अगर तटबंध टूट गये तो उस स्थिति में ये गांव पूर्णतया बह जायेंगे। ऐसे क्षेत्रों के शमन हेतु निम्न उपायों पर ध्यान दिया जाना उचित होगा –

- उचित सर्वेक्षण से तटबंधों के कमजोर बिन्दुओं की पहचान की जा सकती है।
- तटबन्ध के कमजोर स्थलों की मरम्मत करना ताकि तटबंध टूटने का जोखिम न्यूनतम रहे।
- प्रत्येक गांव में आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पूर्व से ही सरकारी एवं निजी नाव की व्यवस्था करना।
- स्लुइस गेट के निर्माण एवं सुधार से जल के अतिरिक्त प्रवाह के खतरों का शमन किया जा सकता है।
- खड़ी पकी फसल को मानसून से पहले काट लेना।

➢ कम नाजुकता/जोखिम वाले क्षेत्र (गहरे क्षेत्र में स्थित/2008 की बाढ़ में प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत/गॉव)

इसके अन्तर्गत बसन्तपुर प्रखण्ड के पूर्वी भाग, छातापुर, प्रतापगंज, त्रिवेणीगंज, राघवपुर एवं पिपरा प्रखण्ड के वे गांव आते हैं, जो सामान्यतः बाढ़ से कम प्रभावित होते हैं, परन्तु 2008 की बाढ़ में ये गांव गम्भीर रूप से प्रभावित हुए थे। इन गांवों की नाजुकता कोसी बेसिन के ऊपरी क्षेत्र ;नेपालद्ध में किसी भी प्रकार से तटबन्धों के टूटने के कारण उत्पन्न होती है। 2008 में कुसहा में तटबंध टूटने के कारण कोसी नदी का प्रवाह इन क्षेत्रों से होने लगा था, जिसके कारण यहां बड़ी संख्या में जान–माल की हानि हुई थी। इन प्रखण्डों में जो क्षेत्र नीची भूमि पर बसे हुए हैं वहां जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। सड़कों में पर्याप्त कलवर्ट का अभाव या पुलों की कम चौड़ाई प्राकृतिक जल बहाव के रास्ते को बाधित करता है जिससे पानी महीनों तक ठहर जाता है। इन क्षेत्रों में आपदा को कम करने हेतु कुछ उपाय निम्नवत् हो सकते हैं –

- इन क्षेत्रों में खम्भे पर खड़े नये मकान डिजाइनों को समुदाय की सहायता से प्रोत्साहित किया जाना
- वर्तमान घरों को बाढ़ सह्य बनाने के लिए सुधारा जाना
- प्रत्येक गांव में आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पूर्व से ही सरकारी एवं निजी नाव की व्यवस्था करना।
- पानी के प्राकृतिक बहाव के रास्ते को प्रबन्धित करना ताकि जल–जमाव की स्थिति से बचा जा सके।

इन क्षेत्रों में बाढ़ की संवेदनशीलता मुख्य रूप से लोगों के जीवन के सामाजिक–आर्थिक–भौतिक पहलुओं को प्रभावित करने के साथ ही पर्यावरण पर भी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है –

➢ आजीविका

जिले में कृषि एवं पशुपालन आजीविका के मुख्य आधार हैं। जिले में तटबन्ध के निर्माण के पहले नदी विभिन्न धाराओं में फैलकर बहती थी और कोसी नदी का पानी इन बहुत सी धाराओं से होकर बह जाया करता था और उनका लेवल एक तरह से नियन्त्रित रहता था। इतना जरूर था कि किस धारा में ज्यादा पानी आ जायेगा उसका अन्दाजा इन लोगों को नहीं लग पाता था, मगर यह भी एक प्रक्रिया के तहत् होता था और उसी के अनुरूप लोगों की बाढ़ से निपटने की तैयारी भी रहती थी। तटबन्ध बन जाने के बाद जिले में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र की व्यापकता में निश्चित तौर पर अत्यन्त कमी आयी है, परन्तु जो गांव तटबन्ध के बीच फंस गये उन पर बाढ़ का आतंक पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। इस जमीन पर नदी द्वारा कटाव और बालू का जमाव भी पहले से ज्यादा हो गया। यद्यपि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तथाकथित रूप से सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास दिया गया, परन्तु लोगों के सामने उनका मूल प्रश्न अर्थात् आजीविका के लिए क्या स्रोत होंगे, यह अनुत्तरित रहने की वजह से लोगों ने उस सुरक्षित स्थान पर रहने के बजाय तटबन्धों के बीच जीवन– यापन का रास्ता चुना, जहां कम से कम वे बलुवही/सिल्ट भूमिपर खेती कर अपनी आजीविका तो चला सकते थे और यही उनके इन तटबन्धों के बीच बने रहने का सबसे मजबूत आधार व तर्क है।

तटबन्ध के बाहर तथा नीची भूमि में बसे प्रखण्डों के वे गांव, जो जल–जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं तथा 2008 की बाढ़ में प्रभावित होने वाले गांवों में भी आजीविका का संकट उत्पन्न हुआ है और वहां के लोग अपने जीवन–यापन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं।

- **पशुपालन**

समुदाय के साथ की गयी विशेष केन्द्रित चर्चा के अनुसार कभीयह जिला पशुपालन की दृष्टि से बहुत समृद्ध था और लोग आजीविका हेतु पशुपालन करते थे। लेकिन कोसी नदी के बार–बार कटाव के कारण खेती की जमीनें कम होती गयीं, जिसका सीधा असर पशुओं के चारागाह पर पड़ा। इसके अतिरिक्त खेती में बढ़ते मशीनीकरण एवं बढ़ते जल–जमाव के कारण पशुओं में नित नयी बीमारियों आदि के कारण भी पशुपालन में काफी कमी आयी है। इन सबसे ऊपर रहने के स्थान में कमी तथा बार–बार आपदा की आशंका के बीच जी रहे लोग अब मुख्य तौर पर पशुपालन को अपना पेशा बनाने से कतराने लगे हैं।

- **पेयजल एवं स्वच्छता**

जिले में बाढ़ आपदा के दौरान दूसरी सबसे बड़ी समस्या शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता की होती है। जब चारों तरफ पानी भरा होता है, उस दौरान सभी छोटे–बड़े हैण्डपम्प डूब जाते हैं और लोगों को पीने का पानी नही मिल पाता है। जो हैण्डपम्प उपलब्ध भी होते हैं, उनसे निकलने वाले पानी की गुणवत्ता पर गम्भीर दुष्प्रभाव पड़ता है।

बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता एवं शौच की समस्या काफी गम्भीर होती है। विशेषकर बाढ़ आपदा के दौरान कहीं भी खाली मैदान नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में पुरूष तो पेड़ों पर चढ़कर या नाव पर बैठकर किसी झाड़ी का सहारा लेकर शौच क्रिया से निपट लेते हैं, परन्तु सर्वाधिक समस्या महिलाओं को होती है। हालांकि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होती है, जैसे शौच के लिए मचान बनाना, दूर तक चलना, पानी में ही बैठकर शौच क्रिया से निवृत्त होना। परन्तु इससे कई अन्य तरह की जोखिमों का सामना करना पड़ता है। मचान पर महिलाएं आसानी से चढ़ नहीं सकतीं, ऊपर से गिरने की संभावना रहती है, अधिक दूर तक जाने में खतरा रहता है तथा पानी में ही निरन्तर रहने के कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को झेलना पड़ता है। इन स्थितियों से बचने के लिए बाढ़ आपदा के दौरान अधिकांशतः महिलाएं भरपेट भोजन भी नहीं करतीं या एक समय ही भोजन करती हैं। बाढ़ के दौरान व बाद में स्वच्छता न होने के कारण महिलाओं एवं बच्चों में विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियां – डायरिया, गैस्टो, मलेरिया, फोड़ा–फुन्सी, बुखार आदि का प्रकोप बढ़ जाता है।

- **शिक्षा**

शिक्षा के मामले में पहले से ही निर्धन यह आपदाग्रस्त क्षेत्र आपदाओं के दिनों में और भी आपदाग्रस्त हो जाता है। जिले के अधिकांश स्कूल निचली भूमि में स्थित होने के कारण पहले बाढ़ आपदा से प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी स्कूल हैं, जो बाढ़ आपदा से तो सुरक्षित रहते हैं, परन्तु वहां तक पहुंचने के लिए बच्चों को नदी या पानी का क्षेत्र पार कर जाना पड़ता है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते।

- **ईंधन**

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की एक बड़ी समस्या ईंधन की होती है। बाढ़ आपदा के दौरान जब उन्हें ऊँचे स्थानों पर शरण लेना पड़ता है, उस समय उन्हें ईंधन की व्यवस्था करने में सर्वाधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पास में राशन होते हुए भी लोग खाना नहीं बना पाते हैं। ईधन की व्यवस्था के लिए उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता है।

- **स्वास्थ्य**

बाढ़ आपदा के दौरान एवं उसके बाद सबसे बड़ी समस्या लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी होती है। बाढ़ के दौरान पीने के लिए साफ पानी की उपलब्धता न होने की वजह से लोग जल जनित बीमारियों से अधिक ग्रसित होते हैं। साफ–सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण विशेषकर महिलाओं एवं किशोरियों को संक्रामक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को त्वचा सम्बन्धी व पेट से जुड़ी बीमारियां अधिक होती हैं। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो बाढ़ आपदा के दौरान यह नगण्य होती है।

3.3 क्षमता आकलन

विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु प्रशासन व समुदाय की क्षमता आकलन हेतु जिले के सभी 11 प्रखण्डों में समुदाय के साथ चर्चा एवं जिले से लेकर प्रखण्ड स्तर तक के प्रशासनिक ढांचों के साथ बैठकें की गयीं। चर्चा एवं उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह विदित होता है कि जिला सुपौल छोटी आपदाओं से निपटने में काफी हद तक सक्षम है। बाढ़ यहां की एक प्रमुख समस्या है और इस आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन के पास उपलब्ध सामग्रियों/भौतिक एवं मानव संसाधनों की संख्या निम्नवत् तालिका सं0 20 में दी गयी है–

तालिका संख्या– 20 : जिले में उपलब्ध संसाधन

क्र०	संसाधन का नाम	भंडारित स्थल का नाम	संख्या	
1	2	3	4	
1	पॉलीथीन सीट्स	जिला मुख्यालय	**15000+10000=25000**	
2	लाईफ जैकेट	अंचल सुपौल	75	
		अंचल किशनपुर	45	
		अंचल सरायगढ़–भप0	49	
		अंचल निर्मली	09	
		अंचल मरौना	12	
		अंचल बसंतपुर	05	
		अनु0पुलिस पदाधिकारी, निर्मली	10	
		जिला नजारत, सुपौल	100	
कुल			**305**	
3	मोटरवोट (इन्फलेटेबुल)	अंचल सुपौल	04	
		अंचल सरायगढ़–भप0	04	
		अंचल किशनपुर	04	
		अंचल मरौना	02	
		कुल –	**14**	
4	फाइवर मोटरवोट	सरायगढ़–भपटियाही	**02**	
5	महाजाल	सरायगढ़–भपटियाही	**01**	
6	इन्फलेटेबुल लाईट	जिला मुख्यालय	**01**	
7	सरकारी नाव /निजी नाव	अंचल सुपौल	12	44
		अंचल किशनपुर	07	91
		अंचल सरायगढ़–भप0	00	35
		अंचल निर्मली	00	20
		अंचल मरौना	04	40
		अंचल बसंतपुर	02	10
कुल			**25+240=265**	
8	अग्निशमन यंत्र	अनुमंडल सुपौल	02	
		अंनुमंडल वीरपुर	02	
		अनुमंडल त्रिवेणीगंज	02	
		अनुमंडल निर्मली	10	

कुल–			16
9	जे0सी0वी0	सुपौल नगर परिषद्	01
		निजी	28

क्रमांक	विवरण / सामग्री	संख्या
1	पंजीकृत सरकारी नाव'	90
2	पंजीकृत निजी नाव'	272
3	सरकारी मोटरबोट ;इन्फ्लेटेबुलद्ध	23
4	फाइबर मोटरबोट	04
5	लाइफ जैकेट	350
6	खोज एवं बचाव दल के सदस्य ;एन0डी0आर0एफ0द्ध '	08
7	प्रशिक्षित मोटरबोट चालक'	50
8	प्रशिक्षित गोताखोर'	36
9	जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के अन्तर्गत प्रशिक्षित स्वयं सेवक	1906
10	जे0सी0बी0	29
11	ट्रक / डीपर ;निजीद्ध	08
12	डम्फर	12

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सुपौल

' विस्तृत सूची संलग्नक 6 अमें उपलब्ध है।

बाढ़ आपदा से निपटने हेतु त्वरित रिस्पान्स के लिए जिले स्तर पर पर्याप्त संख्या में मानव एवं पशु शरणस्थली हैं। जिले में कुल 74 मानव एवं 31 पशु शरणस्थली हैं। ये सभी शरणस्थली सभी प्रकार की आवश्यक मूलभूत सुविधाओं एवं संसाधनों से परिपूर्ण हैं। शरणस्थलियों की अंचलवार उपलब्धता एवं शरणस्थलियों पर उपलब्ध संसाधनों कीस्थिति को तालिका सं0 21, 22, 23 व 24 के माध्यम से दर्शाया गया है –

तालिका संख्या– 21 : अंचलवार मानव शरणस्थली हेतु उंचे स्थल'

क्रमांक	अंचल	शरणस्थली की संख्या
1	सुपौल	08
2	किशनपुर	24
3	सरायगढ़ भपटियाही	05
4	मरौना	14
5	निर्मली	21
6	बसन्तपुर	02
कुल		**74**

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सुपौल

' विस्तृत सूची संलग्नक 7 में उपलब्ध है।

तालिका संख्या– 22 : अंचलवार पशु शरणस्थली हेतु उंचे स्थल'

क्रमांक	प्रखण्ड	शरणस्थली की संख्या
1	सुपौल	03
2	किशनपुर	03
3	सरायगढ़ भपटियाही	04
4	मरौना	04
5	निर्मली	03
6	बसन्तपुर	04
7	छातापुर	02
8	राघोपुर	03
9	प्र्तापगंज	02
10	त्रिवेणीगंज	02
11	थ्पपरा	01
कुल		**31**

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सुपौल

' विस्तृत सूची संलग्नक 7 में उपलब्ध है।

तालिका संख्या– 23 : शरणस्थली हेतु संसाधन

क्रमांक	संसाधन का नाम	संख्या
1	जनरेटर सेट	23
2	पालीथीन शीट्स	15000+1000=25000
3	इन्फ्लेटेबल लाइट	01
4	टेण्ट ;डबल प्लाई 4ग4 मीटरद्ध	300
5	30 प्रकार के बर्तन ;शिविर में 150 व्यक्तियों का खाना बनाने हेतुद्ध	एक सेट सम्पूर्ण

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सुपौल

बाढ़ आपदा के दौरानराहत वितरण एवं खाद्य भण्डारण के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन सक्षम है। जिले के अन्तर्गत खाद्य आपूर्ति विभाग के पास उपलब्ध गोदामों की संख्या क्षमता सहित निम्न तालिका सं0 24 में प्रदर्शित है –

तालिका संख्या– 24 :खाद्यान्न भंडारण हेतु गोदामों/चिन्हित स्थलों की सूची

विभाग	क्र०	खाद्यान्न भंडारण गोदाम का स्थान	संख्या	क्षमता
बिहार राज्य खाद्य निगम, सुपौल	1	सुपौल	01	1000 मी0 टन
	2	निर्मली	02	1000 मी0 टन
	3	राघोपुर	02	500 मी0 टन
	4	त्रिवेणीगंज	01	500 मी0 टन
	5	छातापुर	01	500 मी0 टन
	6	किशनपुर	02	1000 मी0टन
	7	पिपरा	01	500 मी0 टन
	8	बसंतपुर	01	500 मी0 टन
	9	राघोपुर प्रखंड परिसर	02	200 मी0 टन
	10	त्रिवेणीगंज प्रखंड परिसर	01	100 मी0 टन
	11	निर्मली प्रखंड परिसर	01	100 मी0 टन
	12	छातापुर प्रखंड परिसर	01	100 मी0 टन
	13	बसंतपुर प्रखंड परिसर	01	100 मी0 टन
	14	पिपरा प्रखंड परिसर	01	100 मी0 टन

स्रोत : खाद्य आपूर्ति विभाग, सुपौल

जिले के अन्दर विभिन्न आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के सुचारू संचलन के लिए छोटे एवं बड़े वाहन उपलब्ध हैं। परिवहन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में छोटे व बड़े वाहनों की संख्या निम्नवत् तालिका सं0 25 में दी गयी है –

तालिका संख्या– 25 : सुपौल जिले में उपलब्ध पंजीकृत छोटे व बड़े वाहन ;01.04.2001 से 01.10.2017 तकद्ध

विभाग	क्र०	वाहन का प्रकार	संख्या
परिवहन कार्यालय सुपौल	1	पिकअप वाहन	254
	2	पिकअप 407/709	08
	3	1109 ट्रक	06
	4	ट्रक	150
	5	ट्रैक्टर	5448
	6	मोटरसाइकिल	65000
	7	15 मीटर से छोटी/देशी नावें ;सरकारी/व्यक्तिगतद्ध	362

स्रोत : परिवहन विभाग, सुपौल

बाढ़, भूकम्प, अगलगी एवं अन्य आपदाओं के दौरान व बाद में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं विशेष रूप से उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं से निपटने हेतु जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का विवरण निम्नवत् तालिका सं0 26 में दिया गया है–

तालिका संख्या– 26 : सुपौल जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं ;मानव एवं भौतिकद्ध'

क्रमांक	स्वास्थ्य सेवाओं/सुविधाओं का विवरण	संख्या
1	सदर अस्पताल	01
2	रेफरल अस्पताल	02
3	कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	11
4	कुल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	20
5	जिले में उपलब्ध सरकारी डाक्टरों की संख्या	106
6	कुल दवा विक्रेताओं की संख्या	226

स्रोत : स्वास्थ्य विभाग, सुपौल

'विस्तृत विवरण संलग्नक 8 में दिया गया है।

जिला जलसंसाधन की दृष्टि से समृद्ध है। यहां पर कुल 1017 तालाब/पोखर/पोखरियां हैं, जो बाढ़ आपदा के दौरान जल संग्रहण हेतु उपयोगी होते हैं। दूसरी तरफ सुखाड़ आपदा की दृष्टि से भी ये पोखर–पोखरियां काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सुखाड़ के दौरान सिंचाई, पशुओं को नहलाने, पानी पिलाने एवं अन्य कामों के लिए इनका उपयोग होता है। प्रखण्डवार उपलब्ध तालाबों/पोखरों/पोखरियों की संख्या निम्नवत् तालिका सं0 27 के माध्यम से प्रदर्शित है –

तालिका संख्या– 27 : जिले में प्रखण्डवार उपलब्ध तालाब/पोखर/पोखरी की संख्या

क्रमांक	प्रखण्ड	संख्या
1	थ्पपरा	245
2	किशनपुर	21
3	सुपौल	266
4	त्रिवेणीगंज	93
5	बसन्तपुर	45
6	सरायगढ़ भपटियाही	42
7	छातापुर	146
8	प्रतापगंज	29
9	मरौना	05
10	निर्मली	27
11	राघोपुर	65
कुल		**1017**

स्रोत : एन0आई0सी0, सुपौल

सुपौल जिला में अधिकांश मकान फूस के होने के कारण यह जिला अगलगी आपदा की दृष्टि संवेदनशील है। विभाग के साथ की गयी चर्चा एवं प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विभाग में मानव संसाधन की पर्याप्त मात्रा में कमी है, फायर स्टेशन स्थापित हैं। अग्निशमन यंत्र अनुमण्डल स्तर पर उपलब्ध हैं (तालिका सं0–28)। अग्निशमन से सम्बन्धित विस्तृत विवरण संलग्नक संख्या 9में दिया गया है।

तालिका संख्या– 28 : आग से बचाव हेतु संसाधन – अनुमण्डल स्तर

क्रमांक	समग्री	अनुमण्डल	संख्या
1	अग्निशमन वाहन ;थ्पतम जमदकमतद्ध	अनुमण्डल सुपौल	02
		अनुमण्डल बीरपुर	02
		अनुमण्डल त्रिवेणीगंज	02
		अनुमण्डल निर्मली	02
कुल			**08**

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सुपौल

आपदा के पूर्व, दौरान एवं बाद में जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने, आपदा के दौरान सामाजिक सुरक्षा को यथावत् बनाने तथा सुरक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए जिले में मौजूद पुलिस थानों से सम्बन्धित विवरण निम्न तालिका सं0 29 के माध्यम से प्रदर्शित है–

तालिका संख्या– 29 : जिला में पुलिस थाना

पुलिस थाना	संख्या

सुपौल, किशनपुर, पिपरा, भपटियाही, त्रिवेणीगंज, जदिया, बलुआ बाजार, भीमपुर, छातापुर, वीरपुर, करजैन, राघोपुर, निर्मली, मरौना, रतनपुरा, कुनौली	16

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सुपौल

अध्याय : 4

संस्थागत व्यवस्था

(Institutional Arrangement)

राष्ट्रीय, राज्य एवं जनपद स्तर पर प्रभावी आपदा प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संस्थागत व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर आपदाओं के प्रबन्धन हेतु भी कुछ संस्थाएं क्रियाशील हैं। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनने के साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ;छक्ड।द्ध का गठन हुआ। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का दृष्टिकोण सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी आधारित और टिकाऊ रणनीति से ''सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत'' का निर्माण करना तथा रोक–थाम, तैयारी और न्यूनीकरण की संस्कृति को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आपदा प्रबन्धन के महत्व को मान्यता देने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के विकास के लिए भारत सरकार ने अगस्त 1999 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और गुजरात में आये भूकम्प के बाद राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य आपदा योजनाओं तथा आपदा को कम करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करने की सिफारिश करना था।

आपदा रिस्पान्स, राहत, शमनएवं पुनर्प्राप्ति के लिए जिले में सुस्थापित संस्थागत एवं नीति निर्माण तंत्र कार्यरत है। ये तंत्र अभी तक इन कामों में मजबूत एवं प्रभावी साबित हुए हैं। जिले में आपदा प्रबन्धन हेतु प्रमुख हितधारक– जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर, लाइन डिपार्टमेण्ट्स, स्थानीय प्रशासन, स्वैच्छिक एवं सामुदायिक संगठन, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत निजी संगठन एवं समुदाय इत्यादि हैं।

4.1 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार जिले में ''जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण'' का गठन किया गया है, जिसके निम्न सदस्य हैं

(i) जिला पदाधिकारी/जिला समाहर्ता	–	पदेन अध्यक्ष
(ii) अध्यक्ष जिला परिषद	–	सह–अध्यक्ष
(iii) पुलिस अधीक्षक	–	पदेन सदस्य
(iv) मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	–	पदेन सदस्य
(v) उप विकास आयुक्त	–	पदेन सदस्य
(vi) अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य)	–	पदेन सदस्य
(vii) जिला के वरीयतम अभियंता	–	पदेन सदस्य

अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य) जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं।अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर होती है। योजना में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्यो का उल्लेख ;संलग्नक 10द्ध में किया गया है।

4.2 पंचायती राज संस्थाएं

जिले में जिला परिषद एक स्थानीय सरकारी निकाय है,जो जिले के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन से सम्बन्धित मामले देखता है और इसका मुख्यालय जिला में है।

पंचायती राज संस्था के जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराते हैं। बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप में ''सुरक्षित गांव'' के घटक के अन्तर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपदा की स्थानीय प्रकृति एवं उसके अनुरूप राहत एवं बचाव कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने हेतु इन पंचायत प्रतिनिधियों विशेषकर मुखिया/सरपंच की क्षमता वर्धनहोना आवश्यक है। इस दिशा में पहल करते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में मुखिया/सरपंचों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण

एवं प्रबन्धन के उपर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण दिया गया। इसी क्रम में सुपौल जिला में कुल 22 मुखिया एवं सरपंचों ;संलग्नक 11द्ध को उपरोक्त विषय पर मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया। उल्लेखनीय होगा कि पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय समुदाय द्वारा ही निर्वाचित होते हैं और उनका स्थानीय समुदाय पर विशिष्ट प्रभाव भी होता है। पंचायत प्रतिनिधियों को आपदा प्रबन्धन के विषयों पर जागरूक एवं क्षमतावान बनाने से स्थानीय समुदाय पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और आपदा प्रबन्धन की दिशा में प्रभावी कार्य किये जा सकेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि आपदा से प्रभावित होने वाले समुदाय की नाजुकता को समझने तथा उसके अनुरूप प्रभावी प्रबन्धन करने की दिशा में ग्राम सभा एवं पंचायत प्रतिनिधियों का जागरूक होना आवश्यक है।

जिले में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संगठन के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित निम्न समितियां/दल हो सकते हैं –

- ग्राम पंचायत आपदा प्रबन्धन समिति
- ग्राम पंचायत शिक्षा समिति
- ग्राम पंचायत स्वास्थ्य समिति
- ग्राम पंचायत पशुधन प्रबन्धन समिति
- ग्राम पंचायत शरणस्थल समिति
- ग्राम पंचायत खोज एवं बचाव समिति
- ग्राम पंचायत खाद्य एवं पोषाहार समिति
- ग्राम पंचायत सामाजिक संरक्षण समिति

पंचायतीराज संगठन द्वारा रोक–थाम, शमन, पूर्व तैयारी, रिस्पान्स एवं पुनर्प्राप्तिहेतु किये जाने वाले कार्य –

- आपदा प्रबन्धन समिति का गठन करना।
- आपदा एवं उससे बचाव के उपायों पर समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- स्थानीय स्तर पर आपदाओं की पहचान करना एवं उसके अनुरूप ग्राम आपदा प्रबन्धन कार्य योजना बनाना।
- आपदा दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों से समुदाय को बाहर निकालने में सहयोग करना।
- आपदा के बाद विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित करने में सहयोग करना।
- ग्राम्य स्तर पर विकास कार्यों में आपदा प्रबन्धन के तत्वों को शामिल करना।

4.3 सामुदायिक संगठन

आपदा प्रबन्धन में स्वैच्छिक/सामुदायिक संगठन सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोक–थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के उपायों के सफल क्रियान्वयन में सेतु का काम करते हैं। स्वैच्छिक संगठनों का समुदाय के साथ सीधा संवाद होता है। अतः आपदा प्रबन्धन के उपायों को जनता तक पहुंचाने एवं उन्हें जागरूक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आपदा के दौरान के चरणों में सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत कार्यों/सामग्रियों को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। आपदा के प्रभावों को कम करने की दिशा में सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव सुनिश्चित कर सकते हैं।

स्वैच्छिक संगठनों के अन्य कार्यों में अस्पताल में सेवाएं देना, ब्लड बैंक संचालित करना, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, मातृत्व, बाल एवं परिवार कल्याण, नर्सिंग, छुआछूत एवं संक्रामक बीमारियों से बचाव व रोक–थाम के उपाय, अगलगी, सड़क दुर्घटना आदि के वक्त राहत अभियान चलाने में मदद करना भी शामिल है।

सुपौल जिला में जमीनी स्तर पर आपदा प्रबन्धन की दिशा में काम करने वाले कुछ स्वैच्छिक संगठनों की सूची ;संलग्नक 12द्ध में दी गयी है।

4.4 जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर

समाहरणालय में इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर स्थापित है। इसके प्रभारी अपर समाहर्ता आपदा हैं। यह केन्द्र 24X7, तीन पालियों में प्रातः 06:00 से दोपहर 02:00 तक, दोपहर 02:00 बजे रात्रि 10:00 बजे तक एवं रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक काम करता है। प्रत्येक पाली में एक प्रशासनिक पदाधिकारी प्रभार में रहते हैं, जिनके अधीनस्थ आई0टी0 ब्वाय, डेटा इण्ट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्राम प्रोफेशनल रहते हैं, जो राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, आई0एम0डी0, केन्द्रीय जल आयोग, इसरो, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आदि संस्थाओं से जानकारियां प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही करते हैं।

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सुविधायें

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर के कार्यालय में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, वायरलेस सेट, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविजन, कम्प्यूटर, अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने एवं कार्य संपादन हेतु आवश्यक सामग्री, शौचालय, पेयजल, पर्याप्त स्टेशनरी, डिस्प्ले बोर्ड, टेलीफोन डाइरेक्ट्री इत्यादि सुविधायें अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार निम्न सामग्रियों/उपस्कर की न्यूनतम आवश्यकता होनी आवश्यक है (तालिका सं0 30)–

तालिका संख्या– 30 : इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर हेतु आवश्यक संसाधन

क्रमांक	सामग्री का नाम	संख्या
1	डेस्कटाप कम्प्यूटर	02
2	मेज	04
3	रिवाल्विंग कुर्सी	04
4	कार्यालय के लिए अतिरिक्त कुर्सी	04
5	ई0ओ0सी0 ईंचार्ज के लिए मेज	01
6	ई0ओ0सी0 ईंचार्ज के लिए रिवाल्विंग कुर्सी	01
7	आगन्तुकों के लिए कुर्सी	04
8	12 लोगों के लिए बैठक करने हेतु मेज	01
9	बैठक मेज हेतु 12 रिवाल्विंग कुर्सी	12
10	बैठक हाल के लिए अतिरिक्त कुर्सी	10
11	लेजरजेट प्रिण्टर	02
12	बैठक हाल के लिए प्रोजेक्टर	01
13	32 इंची एल0ई0डी0 टी0वी	01
14	फोटोस्टेट मशीन	01
15	अलग टेलीफोन नं0 सहित फैक्स मशीन	01
16	इण्टरनेट कनेक्शन के साथ लैण्डलाइन टेलीफोन	01
17	सभी 38 जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टरों में मल्टीपार्टी आडियो व वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली	01
18	टेलीफोन सेट	02
19	टीवी के लिए केबल कनेक्शन	01
20	आलमारी	02
21	यू0पी0एस0	01
22	ए0सी0(1.5 टन का)	02
23	स्टेशनरी (आवश्यकतानुसार)	
24	स्कैनर	01
25	पंखा	05
26	ट्यूबलाइट	03
27	एल0ई0डी0 बल्ब	10

स्रोत : अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश पत्रांक सं0 1982 दिनांक 10.7.2017

आपदा के विभिन्न चरणों में इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर की भूमिका

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर द्वारा किये जाने वाले कार्यों को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं–

सामान्य समय में –

- समस्त सहयोगी विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुये आपदा न्यूनीकरण हेतु आवश्यक आंकड़ों का नियमित रूप से एकत्रीकरण करना, डिजिटाइजेशन करना।
- आंकड़ों को आई0डी0आर0एन0 / एस0डी0आर0एन0 वेबसाइट पर अद्यतन कराने में एन0आई0सी0 को सहयोग करना।
- समस्त हितभागियों (विभागों, स्वैच्छिक संगठनों, निजी एजेन्सियों) के साथ समन्वय स्थापित कर समय–समय पर बैठकें आयोजित करना ताकि उनकी भूमिका एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- जिला पदाधिकारी / आपदा प्रभारी के निर्देशन में प्रोग्राम प्रोफेशनल द्वारा आपदा न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी के उपायों को करना सुनिश्चित करना।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- सुनिश्चित करना कि आपदा के दौरान प्रयोग में आने वाले सभी आवश्यक यंत्र / उपकरण चालू अवस्था में हों।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना का उचित क्रियान्वयन।

आपातकालीन समय में

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी के निम्न कार्यों को करेंगे –

- आपदा के दौरान सातों दिन, 24 घण्टे क्रियाशील रहना।
- आपदा के दौरान रिस्पान्स के सभी पहलुओं को क्रियान्वित करना। प्रत्येक दो घण्टे पर स्थितियों की जानकारी हेतु सम्बन्धित अधिकारियों / नोडल से सूचना प्राप्त कर सूचना रजिस्टर में दर्ज करना।

अद्ध बाढ़ / अतिवृष्टि आपदाकाल के दौरान निम्न सूचनायें, प्रत्येक दिवस प्रातः 08:00 बजे एवं सायंकाल 04:00 बजे दर्ज करेंगे तथा प्रभारी इओसी से सत्यापित करायेंगे–

- केन्द्रीय जल आयोग से नदियों के जल स्तर (बढ़ाव / घटाव / स्थिर) की अद्यतन जानकारी।
- प्रत्येक अंचल से तथा मौसम विभाग द्वारा वर्षा से सम्बन्धित अद्यतन जानकारी
- प्रत्येक अंचल से बाढ़ के कारण हुये क्षति (मानव / पशु / भौतिक) का विवरण।
- प्रत्येक अंचल में वितरित की गयी राहत धनराशि का पूर्ण विवरण।
- प्रत्येक दिवस सायंकाल 04:00 बजे जिला जनसंपर्क अधिकारी एवं अपर समाहर्ता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित बाढ़ बुलेटिन जारी किया जाना।
- संचालित कराये जा रहे राहत केन्द्रों का विवरण।

- त्वरित रिस्पान्स करने हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- राज्य इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर, आई0एम0डी0, केन्द्रीय जल आयोग आदि पूर्व चेतावनी जारी करने वाली संस्थाओं के सहयोग से सही समय पर चेतावनी जारी करना। चेतावनी निम्नलिखित संस्थाओं / अधिकारियों को त्वरित संचार तकनीकों के माध्यम जारी की जायेगी –
    - आवश्यक सहायता कार्य (जिले में गठित सभी कोषांगों के नोडल एवं सहयोगी विभागों को)।
    - जिला आपदा प्रबंधन समिति।
    - जिला पदाधिकारी कार्यालय।
    - पड़ोसी जिलों के इओसी को।
    - जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को।
    - स्वैच्छिक संगठनों को
    - समुदाय को

ब)अगलगीआपदा की सूचना मिलते ही इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर सक्रिय हो जायेगा और इस दौरान प्रभारी ई0ओ0सी0 सम्बन्धित अंचल पदाधिकारी / प्रखण्ड पदाधिकारीआदि से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त करेगा

- प्रभावित क्षेत्र की सम्पूर्ण जानकारी(ग्राम, ग्राम पंचायत, अंचल एवं अनुमंडल तथा प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में))।

- अग्निशमन विभाग एवं ग्रामीणों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य संबंधी किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण ।
- प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को उपलब्ध कराये गये राहत धनराशि एवं सामग्रियों का विवरण।
- संचालित कराये जा रहे राहत केन्द्रों का विवरण।

सद्भूकम्प आपदा के दौरान इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर द्वारा निम्न कार्य किये जायेंगे –

- भूकम्प एवं अन्य स्थानीय आपदाकाल के दौरान प्रशासन द्वारा किये जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों से संबंधित समस्त विवरण दर्ज करना।
- विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रभावित समुदाय को प्रदान की जा रही राहत सामग्री संबंधित सूचना प्राप्त करना।
- मृतकों/घायलों/लापता व्यक्तियों से संबंधित सूचना प्राप्त करना
- विभिन्न स्थलों पर संचालित राहत केन्द्रों से संबंधित सूचना प्राप्त करना।
- प्राप्त सूचनाओं को अंकित करते हुये जिला जनसम्पर्क अधिकारी, प्रभारी अधिकारी ई0ओ0सी0 एवं अपर समाहर्ता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित् बुलेटिन जारी किया जाना।

4.5 विभिन्न विभाग/एजेन्सी

आपदा प्रबन्धन के तीनों चरणों – आपदा पूर्व, आपदा दौरान एवं आपदा बाद, जिला आपदा प्रबन्धन योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतुविभिन्न विभाग एक महत्वपूर्ण हितधारक हैं। जिनके द्वारा निम्न कार्य सामान्य तौर पर किये जाते हैं –

- नोडल नामित करना।
- विभाग के विकासीय कार्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के घटकों को शामिल करना।
- विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमतावर्धन की आवश्यकता आकलन कर उनका दक्षता विकास करना।
- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर आयोजित पूर्वाभ्यासों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।
- विभाग की आपदा प्रबन्धन योजना बनाना।

4.6 समन्वय तंत्र

राहत के सन्दर्भ में एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0, सेना, गैर सरकारी संगठनों, प्राइवेट सेक्टरों/व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित रूप में समन्वय स्थापित किया जा सकता है –

- सुपौल जिले में एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ0 प्रतिनियुक्त है। जिला में आपदा के समय जिला स्तर पर प्रतिनियुक्त एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 का उपयोग होगा। यदि जिले में तृतीय स्तर (Level – 3) की आपदा की आशंका है तो उस स्थिति में जिला पदाधिकारी राज्य से अतिरिक्त बल की मांग करेगा।
- जिले में स्थापित एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ0 के यूनिट कमाण्डर को आपदा से सम्बन्धित सूचनाएं उपलब्ध करायेगा। नोडल पदाधिकारी से आपदा के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद यूनिट कमाण्डर एन0डी0आर0एफ0 मुख्यालय के साथ आपदा के स्वरूप पर चर्चा करेगा एवं यह तय करेगा कि सम्बन्धित आपदा के लिए कितनी टीमें गठित की जायेंगी।
- किसी भी आपदा के दौरान एक निश्चित क्रम में गतिविधियां सम्पादित की जाती है जिसके अन्तर्गत सूचना सम्प्रेषण से लेकर क्रियान्वयन तक का कार्य सम्बन्धित विभिन्न विभागों द्वारा सम्पादित किया जाता है (संलग्नक– 13)।

- यदि कोई व्यक्ति/संस्था/सेक्टर बाढ़ के दौरान सहायता एव राहत राशि देना चाहते हैं तो सुपौल जिला के रेडक्रास सोसायटी के अन्तर्गत गठित जिला पदाधिकारी के बाढ़ राहत सहायता केन्द्र तथा कोषांग में दे सकते हैं। प्राप्त राहत सामग्री जिला रेडक्रास सोसायटी के माध्यम से बाढ़ प्रभावित लोगों में वितरित की जा सकती है।
- नगद राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जा सकती है।
- सीधे जिला स्तर पर प्राप्त होने वाली सामग्रियों की प्राप्ति एवं वितरण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी नामित किये जा सकते हैं।
- उपरोक्तानुसार प्राप्त सामग्रियों का वितरण पंचायत/वार्डस्तरीय राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देख–रेख में यथासंभव सम्बन्धित एजेन्सी के माध्यम से कराया जा सकता है। यदि एजेन्सी के प्रतिनिधि उपलब्ध न हों तो वितरण जिला प्रशासन के माध्यम से हो सकता है।

रोक–थाम, षमन एवं पूर्व तैयारी हेतु उपाय
(Measures for Prevention, Mitigation and Preparedness)

आपदा के बदलते स्वरूप में उसका प्रबन्धन न केवल वैश्विक स्तर पर वरन् स्थानीय स्तर पर भी अब एक अनिवार्य गतिविधि हो गयी है। वर्ष 2005 के पहले तक आपदा प्रबन्धन के लिए कोई विशेष नियोजन नहीं किया जाता रहा लेकिन 2005 के बाद भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम पारित किये जाने तथा आपदाओं की बढ़ती तीव्रता व बदलते स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में यह अनिवार्य हो गया कि आपदा प्रबन्धन केवल राहत पहुंचाने तक ही सीमित न रहे, वरन् रोक–थाम (Prevention), शमन (Mitigation)वपूर्व तैयारी (Preparedness) के उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया जाये।

बिहार राज्य एक बहु आपदा प्रभावी क्षेत्र है और राज्य का 76 प्रतिशत भू–भाग विभिन्न आपदाओं से ग्रसित होता रहता है। विगत एक दशक में राज्य सरकार आपदा के प्रति संवेदनशील हुई है और इसकी रोक–थाम, शमन व पूर्व तैयारी हेतु कई नीति–निर्देश राज्य स्तर से जारी हुए हैं। 2015 में बिहार सरकार की आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप में उपरोक्त तीनों उपायों पर विशेष बल दिया गया है। इस दस्तावेज में पांच मुख्य घटकों– सुरक्षित ग्राम, सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित आधारभूत ढांचा, सुरक्षित मूलभूत सेवाएं तथा सुरक्षित शहर पर रोक–थाम, शमन, पूर्व तैयारी व पुनर्निर्माण के उपायों पर विभागवार राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक विशिष्ट कार्य योजना तैयार की गयी है।

रोक–थाम –
मौजूदा एवं नयी आपदाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से बचाव हेतु की जाने वाली गतिविधियां एवं उपाय।

शमन –
एक खतरनाक घटना के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने या न्यून करने को शमन कहते हैं।

यद्यपि जिले में विभिन्न स्तरों पर सभी विभागों एवं एजेन्सियों द्वारा विकासीय योजनाएं तैयार की जाती हैं, परन्तु ये योजनाएं बहु आपदाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनायी जातीं। आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 40 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिले के प्रत्येक विभाग की अपनी विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना होनी आवश्यक है, जिसके अन्तर्गत विभाग अपनी विकासीय योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश करते हुए रोक–थाम, शमन व पूर्व तैयारी के उपायों को शामिल करेंगे।

पूर्व तैयारी
किसी आपदा की आशंका या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति को पूर्व तैयारी कहते हैं। यह तैयारी सरकार, समुदाय एवं अन्य सभी हितभागियों के लिए आवश्यक होती है।

5.1 विभागों/संस्थाओंके मुख्य कार्य

आपदा प्रबन्धन किसी एक व्यक्ति, विभाग, संस्था अथवा एजेन्सी का कार्य नहीं है। यह सभी विभागों एवं प्रशासन के समन्वयन से होता है। जिले के अन्दर आपदा प्रबन्धन हेतु मुख्य तौर पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, विभिन्न सरकारी विभाग एवं एजेन्सियां, पंचायत राज संगठन, सामुदायिक संगठन एवं जिले स्तर पर काम करने वाले अन्य निजी संगठन उत्तरदायी होते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अध्याय 4 की धारा 25 (1) के अन्तर्गत गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करता है। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण रिस्पान्स, रोक–थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी हेतु मुख्य नोडल विभाग है और इसके कार्यों में मुख्य रूप से –

- जिले की आपदा रिस्पान्स योजना सहित आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना व उनका पुनर्विलोकन करना।
- जिले में आपदाओं की रोक–थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के उपायों के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना तथा जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और अनुश्रवण करना
- यह सुनिश्चित करना कि जिले में आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गयी है और आपदाओं के निवारण तथा उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किये गये हैं।
- आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुगम बनाना।
- जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए सूचना तंत्र की स्थापना करना, उसका अनुरक्षण करना तथा पुनर्विलोकन और उन्नयन करना।

जिले स्तर पर सभी सम्बन्धित विभाग अपने–अपने विभागीय कार्यों एवं जिम्मेदारियों के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से मुख्य रूप से –

- आपदा के सभी चरणों में आपदा प्रबन्धन हेतु जिला प्रशासन से समन्वय बनाते हुए विभागीय स्तर पर नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेंगे।
- विभाग की विभागीय विकासीय योजना तैयार करते समय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन के तत्वों का समावेश करते हुए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करेंगे।

आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन में पंचायत प्रतिनिधियों, सामुदायिक संगठनों तथा अन्य निजी संगठनों की प्रमुख भूमिका होती है। समुदाय को पूर्व तैयारी, शमन एवं रोक–थाम के उपायों के ऊपर जागरूक करना, शमन के उपायों को अपनाने हेतु समुदाय को उत्प्रेरित करना तथा समुदाय स्तर पर ग्राम्य आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना इनका प्रमुख कार्य होता है।

5.2 सभी विभागों / एजेन्सियों के लिए मुख्य कार्य ;समान रूप सेद्ध

जैसाकि ऊपर विभागों के मुख्य कार्यों को बताया गया है, सभी विभाग आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से आपदा के प्रत्येक चरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और अलग–अलग गतिविधियां सम्पादित करते हैं। फिर भी आपदा प्रबन्धन को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जो सभी विभागों को समान रूप से सम्पादित करना चाहिए। सेण्डई फ्रेमवर्क की चार प्राथमिकताओं को आधार बनाकर इस योजना के अन्तर्गत सभी विभागों द्वारा समान रूप से किये जाने वाले कार्यों को चार प्रमुख बिन्दुओं के तहत् विभक्त किया जा सकता है –

1. आपदा जोखिम पर समझ विकसित करना

- आपदा प्रबन्धन से जुड़े सभी विभागों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आपदा की दृष्टि से खतरों, संवेदनशील क्षेत्रों, घटकों, समुदायों, वर्गों, संसाधनों की पहचान करना। विभाग इस जानकारी का उपयोग आपदा की रोक–थाम, शमन, पूर्व तैयारी एवं रिस्पान्स हेतु कर सकता है।

2. जोखिम संवेदी प्रशासन प्रणाली को विकसित / सशक्त करना

- विभाग के अन्दर आपदा प्रबन्धन समिति का गठन करना।
- आपदा से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु नोडल नामित करना। नामित नोडल अधिकारी आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन, अन्य विभागों व अन्य हितधारकों से समन्वयन स्थापित कर आपदा के प्रभावों को कम करने की दिशा में कार्य करेगा।
- विभाग की विकासीय योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश करते हुए विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना।

3. आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों में निवेश करना

- नये बनने वाले विभागीय भवनों, ढांचों को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाना।
- पूर्व निर्मित भवनों, ढांचों की आपदा के सन्दर्भ में देख—रेख व मरम्मत करना।
- सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाना।
- आपदा प्रबन्धन हेतु विभाग स्तर पर कोष गठित करना।
- विभागीय वित्तीय योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ऊपर कुल बजट का कम से कम 10 प्रतिशत प्रावधान करना।

4. प्रभावी रिस्पान्स हेतु पूर्व तैयारी के उपायों को सशक्त करना

- आपदा जोखिम से उत्पन्न खतरों एवं नुकसानों को कम करने हेतु रोक—थाम, शमन, पूर्व तैयारी, रिस्पान्स एवं पुनर्निर्माण के लिए किये जाने वाले उपायों की पहचान एवं उनका क्रियान्वयन करने हेतु रणनीति निर्धारण एवं एक्शन प्लान बनाना।
- पूर्व तैयारी के कार्यों की पहचान करना।
- कर्मचारियों की आपदा जोखिम से निपटने की क्षमता का आकलन करना एवं उसके अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ताकि राहत एवं पुनर्निर्माण के दौरान त्वरित प्रभावी कार्य किया जा सके।
- आपदा एवं उससे निपटने के उपायों पर जागरूकता अभियान चलाना व माकड्रिल करना।
- आपदा के दौरान किये जाने वाले कार्यों से प्राप्त अनुभवों व सीखों को दस्तावेजित करना ताकि आगामी योजना को और बेहतर बनाया जा सके।

5.3 आपदावार विभागों / एजेन्सियों के कार्य

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

आपदा	रोक—थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाएं ;बाढ़, सुखाड़, आगलगी, आंधी —तूफान, ठनका, भगदड़, भूकम्प, नाव दुर्घटनाद्ध	जिले में पूर्व घटित सभी प्रकारी की आपदाओं के बारे में विस्तृत जानकारी तथा प्राप्त सीखों को एकत्रित व दस्तावेजित करना।	जिले की आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना।	जिला प्रशासन के सहयोग से जिला रिस्पान्स टीम का गठन करना।
	जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबन्धन योजनाओं के लिए मार्ग निर्देश देना।	जिले स्तर के सरकारी विभाओं की विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।	जिले के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने हेतु नाजुकता मानचित्र (Vulnerability Map)तथा जोखिम मानचित्र (Hazard Map) बनाना।
	पंचायतस्तरीय टास्क फोर्स समितियों, समुदाय के उत्साही नवयुवक / नवयुवतियों, सरपंच / मुखिया, नाव चालकों आदि को आपदा प्रबन्धन के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित करना।	जिला स्तर के प्राधिकारियों एवं स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण एवं शमन हेतु आवश्यक उपायों को करने हेतु निर्देशित करना।	जिले के सभी लाइन विभागों के साथ बैठक कर आपदाओं से जिले की होने वाली संभावित क्षति, प्रभाव तथा किये जाने वाले उपायों पर चर्चा और उसके बचाव हेतु उपलब्ध संसाधन, सामग्री, उपकरण, बजट आदि से सम्बन्धित जानकारी एकत्र करना।
	छठ पर्व के अन्तर्गत नहाय—खाय से लेकर सुबह अर्घ्य देने तक निजी नावों के चलाने पर रोक लगाना	सभी विभागों के विभागीय कार्ययोजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों को समाहित	जिले स्तर के सरकारी विभागों की विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।

	सुनिश्चित करना।	करना।	
	छठ पर्व के दौरान नदी घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोरों एवं चालकों की प्रतिनियुक्ति लाइफ जैकेट/ इन्फ्लैटेबल बोट/देशी नाव आदि सहित करना।	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से आवश्यक अनुवर्ती सहायता का अनुरोध तथा उसे प्राप्त करना।	पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स समितियों जैसे सामुदायिक आपदा रिस्पान्स टीम (सी0डी0आर0टी0) का गठन करना।
	छठ पर्व के समय सभी नदी घाटों पर आवश्यक मानव एवं भौतिक संसाधनों तथा महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बरों से सुसज्जित एक आन साइट कण्ट्रोल रूम की स्थापना किया जाना।	जिला स्तर के सभी सरकारी विभागों द्वारा शमन हेतु किये जाने वाले उपायों की निगरानी करना।	सुरक्षित स्थलों एवं शरणगाह/आश्रय स्थलों की सूची बनाना।
	आपदा से बचाव, रोकथाम एवं शमन के उपायों पर समुदाय के बीच जागरूकता अभियान चलाने हेतु संदर्भ सामग्री तैयार करना (संलग्नक 14)।	राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करना।	सार्वजनिक छठ पर्व एवं इसकी महत्ता को देखते हुए संवेदनशील घाटों को चिन्हित करना।
	आपदाओं के सन्दर्भ में सबसे नाजुक समुदाय –;दिव्यांगों, वृद्ध आश्रम, अन्ध विद्यालय, मानसिक रोगियोंद्ध के ऊपर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना।	जिला ई0ओ0सी0 का गठन एवं अतिरिक्त संसाधन से उसकी क्षमता वर्धनहेतु समन्वयन करना।	ई0ओ0सी0 को क्षमतापूर्ण चलाने हेतु कार्य समन्वयन–सड़क, वाहन, नाव, अन्य बुनियादी सुविधा का सूचीकरण, संचार माध्यमों, सभी विभागों के नोडल अधिकारियों की मोबाईल नं0 के साथ सूची प्राप्त करना।
	एस0डी0एम0ए0/एन0डी0एम0ए0 /एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0 एफ0 एवं डी0डी0एम0ए0 के आपसी सामंजस्य एवं सहयोग के साथ पूर्वाभ्यास करना।	आपदा प्रबन्धन योजना की प्रत्येक वर्ष समीक्षा तथा विद्यमान योजना में आवश्यकतानुसार संशोधन व लाइन विभाग द्वारा व्यापक विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना को अद्यतन करना।	परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर मोटर वाहन की उपलब्धता की सुनिश्चितता बनाना
	कम्बाईन हार्वेस्टर से कटाई के उपरान्त डण्ठल आदि के जलाने पर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना।		स्थानीय नाव, नाविक, मोटर बोट, गोताखोर की सूची तैयार करना व नाव, टेंट, बचाव के यंत्र, लाइफ सेविंग जैकेट आदि का प्रबन्ध करना। ।

जल संसाधन विभाग

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़ व सुखाड़	तटबन्धों, नहरों, नालियों की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों के साथ रणनीति बनाना।	आपात के समय तटबन्धों, नहरों, पुलों, नियंत्रण कक्षों, बाढ़ चौकियों आदि की सुरक्षा करना	मानसून मौसम के पूर्व बांधों की मरम्मत, रेगुलेटरों, जल निकास नालियों, नहरों, पुलों, कल्वर्ट की साफ–सफाई, रख–रखाव आदि सुनिश्चित करना।
	नहर के पास निर्मित होने वाली किसी भी संरचना पर सूचना पट्ट लगवा कर उसपर नहर को आपरेट करने वाले कर्मी का नाम व मोबाइल नं0 अवश्य दर्ज हो ताकि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में स्थानीय स्तर पर सम्पर्क स्थापित कर आपदा कम करने का प्रयास किया जा सके।	बाढ़ चौकियों पर खाली बोरे, मिट्टी, बालू, बोल्डर तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करना।	नदी के बहाव की फोटोग्राफी नियमित रूप से ड्रोन से लेना ताकि नदी के बहाव की जानकारी मिलती रहे और उसी के अनुरूप बचाव एवं तैयारी कार्य किया जा सके।
	तटबन्धों के खतरे वाले स्थानों का पता लगाकर मरम्मत तथा निगरानी करना	आपदा के दौरान प्राप्त सीखों को आपदा प्रबन्धन योजना/ विभागीय योजना में समाहित कर कार्यबिन्दु तैयार करना।	मौसम के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर उससे सम्बन्धित बुलेटिन प्रसारित करना या दूसरे विभागों विशेषकर डी0डी0एम0 ए0 को देना।
	जिले में जल संचय स्रोत, तालाब,	सुखाग्रस्त स्थिति में नहरों के	जिले में बाढ़ पूर्व तैयारी के सन्दर्भ में

	पोखरा आदि की साफ–सफाई एवं जल भराव हेतु जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करना। ;सरकारी आदेश संख्या 01/प्रा0आ0 –27/2013/4156/आ0प्र0 पटना–15 दिनांक 18/9/13द्ध	अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की स्थिति को सुनिश्चित करना। ;शासनादेश संख्या 1प्रा0 आ0–27/2013/4472 दिनांक 1/10/13द्ध	विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों से डी0डी0एम0ए0 को अवगत कराना एवं विभाग के अन्दर कर्मचारियों का दायित्व निर्धारण करना।
	क्षमता वर्धन हेतु विभिन्न एजेन्सियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्षम विभागीय कर्मचारियों को नामित करना तथा समन्वयन स्थापित करना	मानसून मौसम के पूर्व ट्यूबवेल की मरम्मत, रेगुलेटरों, नहरों, की साफ–सफाई, रखरखाव आदि सुनिश्चित करना।	जिले के अन्तर्गत विभागीय आधारभूत ढांचों के मरम्मत व रख–रखाव कार्य हेतु ठेकेदारों को सूचीबद्ध करना।
		विभिन्न स्तरीय सिंचाई योजनाओं की योजना बनाना, क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, रख–रखाव तथा नियंत्रण रखना।	

स्वास्थ्य विभाग

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	टीकाकरण अभियान निरन्तर चलाना।	विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना को तैयार कर उसमें स्पष्ट रूप से सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका व कर्तव्य का उल्लेख करना।	बाढ़ आपदा से निपटने हेतु विभाग में आपदा समिति एवं आपदा कोष का निर्माण करना ताकि आपदा की स्थिति में तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
	आपदा संभाव्य स्थितियों में सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में निकास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।	आपदाग्रस्त जनता में रोगों/बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता को धीरे–धीरे कम करने हेतु दीर्घकालीन योजनाएं बनाना।	विभाग के पास प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर मौजूद संसाधनों को सूचीबद्ध कर जिला प्रशासन के माध्यम से एस0डी0आर0एन0 वेबसाइट पर अपडेट करना।
	अस्पताल सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश तैयार कर उसका क्रियान्वयन करना। (संलग्नक–15)	आपदा के दौरान प्राप्त सीखों को विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना में समाहित कर कार्य बिन्दु तैयार करना।	बाढ़ संभावित क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु रूटमैप के साथ कार्य योजना तैयार करना।
	आपदा क्षेत्र में उपलब्ध समस्त पेयजल स्रोतों के गुणवत्ता की जांच करना एवं उसे प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।	व्यापक स्वास्थ्य देख–भाल कार्यक्रम के साथ Minimum Initial Service package;एम0आई0एस0पी0द्ध गतिविधियों का एकीकरण सुनिश्चित करना।	आपदा संभावित सभी क्षेत्रों में स्थित पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 पर आपदा स्थिति के दौरान डाक्टर, नर्स एवं अन्य स्टाफ की 24 घण्टे अनिवार्य उपस्थिति हेतु निर्देश जारी करना।
	जिले एवं प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा जोखिम विश्लेषण एवं संवेदी स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन के ऊपर प्रशिक्षण देना।	बिल–मिरिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के तहत् आशा कर्मियों के लिए विकसित मोबाइल कुंजी में आपदा सम्बन्धी विकल्पों/माडलों को शामिल करना।	आपदा पूर्व तैयारी के अन्तर्गत चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती योजना तैयार करना।
	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थित आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, ए0एन0एम0, ममता, परम्परागत दाईयों, अपंजीकृत चिकित्सक आदि फ्रण्टलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स को बीमारियों के नवीनतम रूपों से परिचित कराने हेतु सूचनाओं/जानकारियों /तकनीकों से अपडेट करने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण करना तथा काण्टैक्ट नं0 की सूची बना कर रखना।	ग्रामीण स्तर पर आशा, ए0एन0एम0 आदि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, वृद्धों, बच्चों व किशोरियों की पहचान कर उनके लिए विशेष स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधा सुनिश्चित करना।	विगत आपदाओं को ध्यान में रखते हुए जल एवं विषाणु जनित बीमारियों तथा त्वचा सम्बन्धी रोगों जैसे फोड़ा–फुन्सी, खाज–खुजली व सर्पदंश से बचाव आदि के लिए उपयोगी दवाओं को पर्याप्त मात्रा में स्टाक कर सुरक्षित स्थान पर भण्डारण करना।

	पूर्ण व आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारू रूप से संचलन हेतु सुरक्षित वैकल्पिक स्थानों का चयन करना।	आशा कर्मियों के लिए आपदा पूर्व तैयारी पर पाकेट हैण्डबुक तैयार करना।	बाढ़ आपदा पूर्व आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, किशोरियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना।
	आपदा संभावित क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से जल एवं विषाणु जनित तथा अन्य बीमारियों के ऊपर व्यापक जागरूकता एवं प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण अभियान चलाना।		स्थानीय स्तर पर फैलने वाले विशेष रोगों की क्षेत्र एवं परिस्थिति के अनुसार पहचान करना एवं उसके बारे में वहां पर स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों से नियमित जानकारी लेना।
	आपदा ग्रस्त क्षेत्र में निरन्तर रूप में जन जागरूकता अभियान चला कर लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देना		सभी मुख्य अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में जेनरेटर/ इमरजेन्सी लाइट की सुविधा सुनिश्चित करना।
	आपात स्थितियों एवं आपदाओं के दौरान विशेषकर छोटी बच्चियों, किशोरियों एवं महिलाओं के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहारों की रोक–थाम के लिए कारगर उपाय सुनिश्चित करना।		बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिरे गांवों (मैरूण्ड) के लिए चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने हेतु चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाएं, एम्बुलेन्स एवं नाव तैयार रखना।
	बच्चों, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं को कुपोषण से बचाने हेतु पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना। साथ ही प्रत्येक केन्द्र पर उपलब्ध मेडिकल किट में ओ0आर0एस0 एवं पैरासीटामाल दवा शामिल करना। ;शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0–27/2013 4156/आ0प्र0 पटना–15 दिनांक 18/9/13द्ध		आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने हेतु मोबाइल यूनिट का गठन करना।
			क्षेत्र में मौजूद सभी निजी चिकित्सकों एवं अस्पतालों की सूची बनाकर आपदा की स्थिति में बेहतर व प्रभावी काम करने हेतु समन्वयन स्थापित करना।
			सम्भावित आपदा क्षेत्रों में सुरक्षित भवनों व स्थलों को चिन्हित करना ताकि आपदा के समय वहां पर शिविर लगाया जा सके।
			आपदा के समय घायलों/बीमार व्यक्तियों को स्थानान्तरित करने हेतु विभागीय वाहनों की सूची बनाकर रखना एवं यह भी सुनिश्चित करना कि सभी वाहन/ तेल/ड्राईवर अच्छी स्थिति में हों।
			यह सुनिश्चित करना कि दूर संचार के समस्त माध्यम सुचारू ढ़ंग से काम कर रहे हैं और आगे भी कार्य करने की स्थिति में है।
			अन्य विभागों विशेषकर जिला नोडल अधिकारी एवं कार्यालय से समन्वय बनाते हुए निरन्तर संवाद बनाये रखना।
			आपदा परिस्थितियों के लिए रूरल हेल्थ किट/स्वास्थ्य किट तैयार करना।
भूकम्प	स्वास्थ्य विभाग हेतु नये बनने वाले भवनों को भूकम्परोधी बनाना सुनिश्चित करना।	सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में आग से बचाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।	विकासखण्ड मुख्यालयों व प्रमुख स्थलों पर ऐसे सुरक्षित भवनों को चिन्हित करना, जहां आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
अगलगी	आग लगने पर बचाव एवं प्राथमिक उपचार के बारे में पोस्टरों एवं पम्पलेटों के माध्यम से समुदाय के बीच जागरूकता प्रसार करना।	आग से घायल हुए व्यक्तियों के लिए पर्याप्त मात्रा में बर्न आइनमेण्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	
भगदड़			छठपर्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण,

			संवेदनशील व अधिक भीड़ जमा होने वाले घाटों को चिह्नित करना।
			किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु घाटों पर आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना।
			प्रत्येक चिकित्सा केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ एवं आवश्यक जांच उपकरण व दवाएं होना सुनिश्चित करना।
			आपदा प्रबन्धन विभाग से समन्वय स्थापित कर घाटों पर एल0एस0 एम्बुलेंस की उपलब्धता पूर्व में ही सुनिश्चित करना।
भीषण गर्मी			सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/रेफरल अस्पतालों/सदर अस्पतालों/अनुमण्डलीय अस्पतालों/मेडिकल कालेजों/अस्पतालों आदि में लू से प्रभावितों के इलाज हेतु विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करना।
			सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओ0आर0एस0 पैकेटों, आई0 वी0 फ्लूड एवं जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना।
			लू से पीड़ित बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों हेतु विशेष चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना।
			मोबाइल चिकित्सा दल की व्यवस्था करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित जगहों पर दल को भेजा जा सके।
जानवरों का आतंक			प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुत्ता, बन्दर, सियार, सांप आदि के काटने पर लगने वाले टीके एवं दवाओं का समुचित भण्डारण सुनिश्चित करना।

कृषि विभाग

टापदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	आपदा स्थितियों से निपटने हेतु विभाग के पास स्वयं का आपदा प्रबन्धन समिति तथा आपदा कोष होना सुनिश्चित करना।	वैकल्पिक खेती कीविभिन्न विधाओं जैसे समय एवं स्थान प्रबन्धन, मिश्रित खेती, बहुस्तरीय खेती, अन्तरखेती, कम्पोस्टिंग, गृहवाटिका आदि तकनीक को बढ़ावा देना।	विभाग में अनुमण्डल–प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर नोडल नामित करना।
	बाढ़ एवं जल–जमाव क्षेत्रों में अनुकूलित कृषि को बढ़ावा देते हुए कृषि संस्थानों ;आत्मा, औद्यानिक मिशन, के0वी0के0द्ध आदि को सुदृढ़ करना।	फसल उत्पादकता को बनाये रखने हेतु के0वी0के0/ विश्वविद्यालय/ कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना।	विभाग द्वारा जिला से लेकर अनुमण्डल, प्रखण्ड एवं पंचायत गांव स्तर पर विकसित किये गये भवन (बीज गोदाम, कृषि रक्षा केन्द्र) के साथ–साथ अन्य संसाधनों की स्थिति का आकलन कराना।
	आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु समुदाय के नाजुक वर्गों का जुड़ाव	जल–जमाव क्षेत्र में लतावर्गीय सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने हेतु जूट बैग के साथ मचान खेती तकनीक को बढ़ाना।	संसाधनों को ठीक कराने के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग/अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उन्हें बाढ़ की

	खाद्य सुरक्षा योजना से सुनिश्चित करना।		दृष्टि से सुरक्षित तरीके से ठीक कराना।
	मौसम के पूर्वानुमान की सूचना किसानों को दिये जाने का प्रावधान विभाग द्वारा किया जाना, ताकि किसानों का जोखिम कम हो सके।	जल–जमाव वाले क्षेत्रों में जलस्नेही फसलों जैसे – सिंघाड़ा, तालमखाना, तिन्नी, करमुआ आदि की खेती को बढ़ावा देना।	मौसम के पूर्वानुमान की जिला, अनुमण्डल–प्रखण्ड, पंचायत एवं गांव स्तर के विभिन्न हितभागियों, पदाधिकारी व समुदाय तक सूचना उपलब्ध कराना।
		क्षेत्र की प्रमुख फसल मक्का व मूंग के उत्पाद के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।	जल निकासी व्यवस्था की स्थिति के आकलन व मरम्मत हेतु सम्बन्धित विभाग से समन्वय करना।
		विशेषकर बंटाईदार किसानों का जुड़ाव "बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना 2015" से सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 01/गै0प्रा0आ0–01/2015/1946/आ0प्र0 पटना–15 दिनांक 22/5/15)	आवश्यकता आंकलन में सूचनाओं, आंकड़ों के अनुसार (बीज, प्रजाति, खाद, रसायन आदि) संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
		भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उच्च मूल्यप्रदायी व रोगरोधी फसलों को बढ़ावा देना।	खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आत्मा योजना के साथ लघु, सीमान्त विशेषकर महिला किसानों का जुड़ाव सुनिश्चित करना।
		मौसम सम्बन्धी यंत्र की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर होना सुनिश्चित करना।	
		सामुदायिक/पंचायत स्तर पर कृषि सलाहकार/कृषि विशेषज्ञ की पहचान कर उन्हें किसान समूह से जोड़ना।	
		बाढ़ व जल–जमाव क्षेत्रों में जल सहनशील पौधों/वृक्षों/ बागवानी /प्रजातियों जैसे – जामुन, अमरूद, अर्जुन, भगनहां, बांस रोपण से सम्बन्धित योजनाओं को क्रियान्वित करना।	
		जल निकासी की व्यवस्था शुरू कराने हेतु मनरेगा एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के साथ समन्वय एवं जुड़ाव का कार्य सुनिश्चित करना।	
		बाढ़ आपदा को ध्यान में रखते हुए औद्यानिक मिशन के कार्यक्रम का नियोजन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।	
		बाढ़ व जल–जमाव प्रभावित क्षेत्र में आगामी फसल बुवाई हेतु प्रखण्ड स्तर पर बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराना।	
		बाढ़ के बाद खेतों में गाद/बालू वाले क्षेत्रों जैसे – बसन्तपुर प्रखण्ड में सुखा सहनशील फसलों/प्रजातियों व तकनीकों का प्रसार करना और उपयुक्त बीजों/प्रजातियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
		बाढ़ से प्रभावित किसानों को खाद, बीज, अनाज आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कर बिहार राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम "शताब्दी अन्न कलश योजना" से जुड़ाव करना।	
सुखाड़	सिंचाई कार्य हेतु सौर ऊर्जा चलितसिंचाई पम्प को बढ़ावा देना।	नहर, नलकूपों में शीर्ष से लेकर अन्त तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	जिले में आपदा प्रबन्धन कार्य से जुड़े नोडल विभाग पदाधिकारी, कर्मचारी, हितभागियों एवं समुदाय प्रतिनिधियों

			का व्हाट्स ग्रुप बनाकर त्वरित संदेश संचार व्यवस्था सुदृढ़ करना।
	सूखा सहनशील सब्जी, फल व फसलों की प्रजातियों की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कराना एवं बढावा देना।	बीज और खाद, कीटनाशक आदि का जिले स्तर की आवश्यकता आंकलन से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराना	अनाज बैंक, बीज बैंक आदि का पुनः सुदृढ़ीकरण हेतु पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी हितभागी, पदाधिकारी व समितियों को प्रेरित करना।
		प्रभावित परिवार को खाद्य, बीज, दवा आदि की सब्सिडी सुनिश्चित कराना।	अनाज बैंक, बीज बैंक आदि का पुनः सुदृढ़ीकरण हेतु पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी हितभागी, पदाधिकारी व समितियों को प्रेरित करना
		के0वी0के0/कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक शोध केन्द्रों के समन्वय से कम सिंचाई एवं पानी की आवश्यकता वाली फसलों को बढ़ावा देना।	
		मनरेगा के माध्यम से जल प्रबन्धन तकनीकों जैसे – टपक सिंचाई, बौछारी सिंचाई, मेड़बन्दी आदि का विकास एवं प्रसार करना।	
		कृषि रोडमैप के अनुसार कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देना।	
अगलगी	सिंचाई विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर गांव के आस–पास जल संचय स्रोतों, कुंओं, तालाबों आदि में सूखा मौसम से पूर्व जल भराव सुनिश्चित करना।		आगजनी से निपटने हेतु सामुदायिक स्तर पर राहत व बचाव दल गठित करने में समन्वय स्थापित करना।
	गांव स्तर पर पानी के स्रोतों को चिन्हित करके रखना।		
	नोडल पदाधिकारी द्वारा अनुमण्डल, प्रखण्ड स्तर व पंचायत स्तर तक फसल अपशिष्ट को न जलाने हेतु आदेश जारी करना।		
	खेत–खलिहान के आस–पास आग न जलाने, बीड़ी–सिगरेट, गांजा आदि न पीने के सन्दर्भ में जागरूकता अभियान चलाना।		
	तेज हवा की स्थिति में घास–फूस के मकानों में खाना न पकाने, बच्चों को आग से दूर रखने के सन्दर्भ में प्रखण्ड व पंचायत स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम चलाना।		
आंधी–तूफान/ ओलावृष्टि	आंधी–तूफान की पूर्व सूचना पर सिंचाई न करने, फसल मड़ाई–कटाई, तोड़ाई, विपणन आदि के न करने एवं भण्डारण व सुरक्षित रख–रखाव सम्बन्धित जागरूकता करना।	आंधी–तूफान/ओला वृष्टि के सन्दर्भ में विगत वर्षों में प्राप्त सीखों को विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना में समाहित करते हुए कार्यबिन्दु तय करना।	
	क्लैमिटी रिलीफ फण्ड के बारे में विभागों, हितभागियों व जन समुदाय के बीच	सरकार की अन्न कलश योजना एवं अन्य योजनाओं, पी0डी0एस0, फसल बीमा योजना, क्लैमिटी रिलीफ फण्ड आदि से	

	जागरूकता फैलाना।	जुड़ाव कराना।	
	ओलावृष्टि/आंधी – तूफान आदि में लोगों को पेड़ों के नीचे न रहने के विषय में जागरूकता फैलाना।	फसल उत्पादकता को बनाये रखने हेतु के0वी0के0/ विश्वविद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना।	
शीतलहर व पाला		नर्सरी/पौध तैयार करते समय शीतलहरी या पाला से बचाव हेतु रात के समय खेत में धुंआ करना।	
		फूल–फल बनने की अवस्था में खेतों में हल्की सिंचाई करना सुनिश्चित करना। इससे पाला से बचाव होता है और फूल झड़ने नहीं पाते हैं।	
		फूल–फल बनने की अवस्था में भी शीतलहरी/पाला से बचाव हेतु रात के समय खेत में धुंआं करना सुनिश्चित करना।	
		पौधों के ऊपर पर्णीय छिड़काव सुनिश्चित करना।	
		यदि फसल कटाई की अवस्था में हो और शीतलहरी या पाला आपदा की आशंका हो तो कटाई या फल की तुड़ाई सुनिश्चित करना।	
हाथियों का आतंक	फसलों को हाथियों से बचाने के लिए लोक तकनीकों का प्रयोग करना ;हाथियों के लीद का घोल बनाकर फसलों पर उसका छिड़काव करनाद्ध।		

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन एवं गव्य निदेशालय

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़ सुखाड़	मानसून पूर्व पशुओं का टीकाकरण करवाना।	स्थानीय संसाधन/जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार पशु नस्ल को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को योजनाओं में सम्मिलित कराना।	विभागीय इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टरों की स्थापना करना तथा विभागीय फोन नं0 व हेल्प लाइन नं0 का प्रचार–प्रसार करना
	पशुओं को कीड़े की दवा देना तथा पोषण प्रबन्धन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए उसे अपनाने पर जोर देना।	ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका को प्रोत्साहित करने हेतु मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि को बढ़ावा देना।	विभाग में आपदा काल में जिला, अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर पर कार्यवाही/जवाबदेही हेतु नोडल पदाधिकारी का चयनकरना।
	जलस्रोत/ तालाब/ पोखरों का क्लोरीनीकरण/ट्रीटमेण्ट कर रोगमुक्त बनाना।	छोटे एवं मझोले किसानों के लिए मूल्यवर्धित चारा गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।	प्रखण्डस्तरीय पशु चिकित्सालयों पर आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र में पहुंच बनाने के लिए चारपहिया वाहन की व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित कराना।
	पशुओं/डेयरी में टीकाकरण व रोग नियन्त्रण हेतु एन्टीसेप्टिक औषधि, ब्लीचिंग आदि का छिड़काव करवाना।	सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में आपदा दृष्टिगत संशोधन करने हेतु सम्बन्धित पदाधिकारी/विभाग को प्रेषित करना।	पशु चिकित्सालयों को आपदा के दौरान नियमित रूप से सेवा सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से प्रकाश की व्यवस्था के लिए जनरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
	रोगग्रस्त/संक्रामक रोगी पशुओं की	पशुबाड़ा, घर, डेयरी आदि के	उच्चीकृत स्थान का चयन एवं पूर्व में

	चिकित्सा एवं मृत पशुओं का निस्तारण सुनिश्चित करना।	आस–पास हुए जल–जमाव एवं गदंगी को दूर करना।	तैयार बाढ़–आपदा शरणालय की साफ–सफाई एवं मरम्मत सुनिश्चित करना।
	संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु प्राथमिक उपचार के बारे में पशुपालकों को जागरूक करना।	विभाग का अपना स्वयं का आपदा प्लान एवं बजट होना सुनिश्चित करना।	पशुचारा/भूसा, दवा आदि आपूर्ति करने वाले स्थानीय थोक विक्रेताओं की पहचान कर उनके साथ रेट कान्ट्रैक्ट करना ताकि आपदा के समय उचित दर पर सामग्री उपलब्ध हो।
		पशु चिकित्सा कैम्प का आयोजन करना एवं विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	पशु चारा/भूसा, दवा आदि का आवश्यकता आकलन कर स्थानीय हितभागियों के सलाह/साझा प्रयास द्वारा सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करना। ;शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0 –27/2013/4156/आ0प्र0 पटना–15 दिनांक 18/9/13द्ध
		मोबाइल पशु चिकित्सा दल की व्यवस्था सुनिश्चित करना। ;शासनादेश संख्या 1प्रा0आ0–27/2013/4472 दिनांक 1/10/13द्ध	पशुधन, डेयरी, मुर्गी पालन एवं पशुओं हेतु समुचित, दवा, टीका, चारा भण्डारण तथा कुशल कर्मियों की नियुक्ति करना।
		पेयजल की कमी से जूझ रहे पशुओं के लिए जल स्रोतों सहित शिविर स्थलों का चयन करना। ;शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0 –27/2013/ 4156/आ0प्र0 पटना–15 दिनांक 18/9/13द्ध	सुखाड़ आपदा की आशंका की स्थिति में पशुओं के पेयजल हेतु जल संचय स्रोतों को जल से भरना।
			ग्राम पंचायत स्तर पर पशुओं से सम्बन्धित डेटाबेस तैयार करना तथा नियमित रूप से अद्यतन करना।

मत्स्य निदेशालय

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	जलस्रोत/ तालाब/ पोखरों का क्लोरीनीकरण/ट्रीटमेण्ट कर रोगमुक्त बनाना।	ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका के रूप में मछली पालन को बढ़ावा देना।	इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टरों की स्थापना करना व आपदा की स्थिति में सहयोग हेतु विभागीय फोन नं0 व हेल्प लाइन नं0 का प्रचार–प्रसार करना।
	नदियों/तालाबों/पोखरों/अन्य जल स्रोतों में कल–कारखानों से निकले प्रदूषित जल तथा शवदाह व घरेलू व नगरीय उपभोग वाले प्रदूषित जल निस्तारण पर रोक लगाना।	मत्स्य पालकों के विकास हेतु मत्स्यपालक विकास संघ की स्थापना करना।	विभाग में आपदा काल में कार्यवाही/जवाबदेही हेतु पदाधिकारी का चयन, जिला अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर तक नामित करना।
		मछली तालाबों व पोखरों का गहरीकरण व तटबन्ध सुदृढ़ करना एवं मनरेगा योजना से जुड़ाव करना।	मछली पालन हेतु समुचित, दवा, चारा तथा कुशल कर्मियों की नियुक्ति करना।
			विभाग का अपना स्वयं का आपदा प्लान एवं बजट होना सुनिश्चित करना।
सुखाड़	विभाग के नोडल पदाधिकारी, राजस्व व मनरेगा के आपसी समन्वय से तालाब, पोखरों आदि जल संचय स्रोतों का गहरीकरण करना।	मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर तालाब, पोखरों आदि जल संचय स्रोतों में जलभराव की व्यवस्था सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0–27/2013/4156/आ0प्र0 पटना–15 दिनांक 18/9/13)	

लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार द्वारा परिचालित 7 निश्चय के अन्तर्गत हर घर में पेयजल पाइप लाइन एवं सभी घरों में निर्मित शौचालय विकलांग, वरिष्ठ नागरिक के अनुकूल हों।	सुरक्षित स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	विभाग में आपदा प्रबन्धन हेतु एक प्रकोष्ठ बनाना, आपदा से निपटने हेतु विभागीय कोष का निर्माण करना तथा आपदा प्रबन्धन पी0एच0ई0डी0 के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना।
	नलकूलों/अन्य पेयजल स्रोत की देखभाल व मरम्मत हेतु प्रखण्डवार एक टीम का गठन करना जो आपात स्थितियों में तुरन्त कार्यवाही करे।	गांव में उच्चीकृत शौचालयों का निर्माण करना तथा हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म को ऊंचा करना।	आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां की जनसंख्या, बसाहट, उपलब्ध पेयजल स्रोतों का विवरण, नलकूपों की स्थिति इत्यादि से सम्बन्धित समस्त जानकारी एकत्र करना।
	सुरक्षित पेयजल तथा साफ–सफाई के उपर शहरी विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग का उन्मुखीकरण करना ताकि वे अपनी योजनाओं में इसे शामिल कर सकें।	आपदा सम्भाव्य क्षेत्रों में उपलब्ध नलकूपों की मरम्मत व नियमित देखभाल करना एवं सम्बन्धित कल पुर्जों का उचित भण्डारण सुनिश्चित करना।	बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप में दिये गये रिजीलिएन्स सूचकांकों के आधार पर जिले में दी गयी वॉश सुविधाओं का आकलन करना।
	समय–समय पर पीने के पानी की जांच करना ताकि आपदा की स्थिति में भी पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।	स्थायी समिति, ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता समिति तथा नागर समाज संगठनों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत स्तर पर वॉश एवं कचरा प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों को ग्राम आपदा योजना में शामिल कराना।	बाढ़ आपदा की स्थिति में नलकूपों के सफल संचालन हेतु मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
			आवश्यकता आंकलन कर उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी के टैंकर की व्यवस्था रखना।
			बाढ़ पूर्व एवं दौरान राहत शिविरों में पानी जांच व शुद्धिकरण की व्यवस्था करना।
			प्रत्येक तिमाही में ब्लीचिंग पाउडर की उपलब्धता की समीक्षा कर उसका पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करना।
			आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से आपदा पूर्व समुदाय में क्लोरीन की गोलियों एवं ब्लीचिंग पाउडर का वितरण सुनिश्चित कराना।
			आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिलकर नियमित रूप से सामुदायिक स्तर पर तथा आपदा के दौरान राहत शिविरों में स्वच्छता संवर्धन गतिविधियों को आयोजित व प्रोत्साहित करना।
			जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान लोगों के लिए मोबाइल शौचालय की पूर्व व्यवस्था करना।
सुखाड़	सुखाड़ की आशंका में खराब चापाकलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करना।	विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना में सुखाड़ से निपटने के उपायों को शामिल करना।	
		सुखाड़ की आशंका में पेयजल का आवश्यकता आंकलन कर उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी के टैंकर की व्यवस्था रखना।	
भूकम्प	भवन/वाटर टावर की डिजाइन	भूकम्प आपदा की स्थितियों के	किसी भी आकस्मिकता की स्थिति से

	भूकम्परोधी होना सुनिश्चित करना।	विभागीय अनुभवों को दस्तावेजित कर विभागीय योजना के अन्तर्गत कार्य बिन्दु तैयार करना।	निपटने हेतु आवश्यक सामग्रियों का भण्डारण सुनिश्चित करना।
अगलगी		आग बुझाने हेतु अग्निशमन दल से समन्वय स्थापित करना तथा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	

पुलिस विभाग

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाएं	आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में उनकी क्षमता को विकसित एवं समृद्ध करना।	बाढ़ के दौरान त्वरित रिस्पान्स एवं बचाव कार्यों की रणनीति तैयार करना।	विभाग में आपदा चेतावनी प्रकोष्ठ बनाना तथा आपदा प्रबन्धन पुलिस के लिए नोडल अधिकारी नियत करना।
	बाढ आपदा से निपटने के लिए नियमित माकड्रिल आयोजित करने के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखण्ड एवं जिला स्तर के बाढ़ पर आयोजित माकड्रिल में अपनी सहभागिता निभाना।		बाढ़ आपदा के समय काम आने वाले संसाधनों की नियमित जांच एवं रख–रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए आवश्यक न्यूनतम नये संसाधनों की व्यवस्था करना।
	पुलिस बल को चौकस बनाने के लिए उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य, देखभाल एवं निकास, खोज व बचाव का नियमित प्रशिक्षण देना।		विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों को एस0डी0आर0एन0 वेबसाईट पर अपडेट करना।
			बाढ़ आपदा की स्थिति में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बलों की पहचान कर उनकी अग्रिम व्यवस्था करना।
			बाढ़ आपदा से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रसार के लिए वायरलेस प्रणाली को तत्पर करना।
भूकम्प	राहत सामग्रियों को राहत स्थल तक सुरक्षित पहुंचाना एवं भण्डारण स्थल की सुरक्षा की व्यवस्था करना।		भूकम्प आपदा से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रसार के लिए वायरलेस प्रणाली को तत्पर करना।
अगलगी			आगजनी की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों की पहचान करना और आपात खोज एवं बचाव अभियान के लिए पुलिस बल तैयार करना।
भगदड़	भगदड़ के दौरान प्रभावी प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु चिन्हित पुलिसकर्मियों को भगदड़ प्रबन्धन पर प्रशिक्षित करना।	पूर्व अनुभवों के आधार पर पर्व या त्यौहार में शामिल होने वाले लोगों का अनुमान कर तद्नुसार भीड़ को नियन्त्रित करने की कार्ययोजना तैयार करना।	भगदड़ आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य सरलता से संचालित करने हेतु विभिन्न सरल रास्तों की पहचान कर विभाग के जिम्मेदार पद के पास मानचित्र तैयार रखना।
			भगदड़ आपदा की स्थिति में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आपदा अनुसार पर्याप्त सुरक्षा बलों की पहचान कर उनकी अग्रिम व्यवस्था करना।
			संभावित भगदड़ आपदा ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कर उनसे निपटने हेतु स्थानीय स्तर पर कुशल व्यक्तियों को चिन्हित करना।

ऊर्जा एवं शक्ति संसाधन विभाग

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाएं ;बाढ़, सुखाड़, आगलगी, आंधी –तूफान, ठनका, भगदड़, भूकम्प, नाव दुर्घटनाद्ध	जल–भराव क्षेत्र से दूर तथा सुरक्षित स्थान पर विद्युत उत्पादन यूनिट की स्थापना सुनिश्चित करना।	डी0डी0एम0ए0, ई0ओ0सी0, कोषांग नोडल एवं सपोर्ट एजेन्सियों के साथ चर्चा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक योजना का निर्माण करना।	सभी महत्वपूर्ण पर्व, त्यौहारों एवं विशेष अवसरों पर सुरक्षा के मद्देनजर विद्युत संरचना को दुरूस्त करते हुए जिला एवं स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
	आवासीय क्षेत्रों से गुजरे हाईटेन्शन तारों पर गार्डवायर लगाने का प्रावधान सुनिश्चित करना।	आपदा के दौरान किये गये कार्यो की समीक्षा, सीखों व कमियों का दस्तावेजीकरण एवं प्राप्त सीखों को भावी कार्य योजना में सम्मिलित करना।	सम्पूर्ण क्षेत्र तथा सभी सरकारी भवनों में विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभागीय बैठक में समीक्षा करना।
	ग्रामीण क्षेत्रों में लूज/जर्जर तार को बदलना सुनिश्चित करना।	आपदा के अनुभवों के आधार पर वांछित मानक के अनुसार संसाधनों की सूची निर्माण करना तथा प्राप्त करने की योजना बनाना।	आपदा प्रबन्धन विभाग से सामंजस्य हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना।
	सुखाड़ आपदा की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों को प्राथमिकता के आधार पर बदलना। ;शासनादेश संख्या 1प्रा0आ0–27/2013/4472 दिनांक 1/10/13द्ध	ऊर्जा के अन्य स्रोतों का प्रचार–प्रसार तथा उसकी स्थापना करना।	बाढ़ तथा अन्य आपदाओं में सूचना केन्द्र के साथ समन्वयन करना ।
	कर्मचारियों के क्षमता विकास हेतु कार्यशाला का आयोजन तथा आपदा के दौरान किये गये कार्यो की समीक्षा प्रस्तुत करना।	बिजली निर्माण, ट्रांसमिशन एवं विद्युत वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए पुरानी इकाईयों की मरम्मत एवं आवश्यकतानुसार नये की स्थापना करना।	सुखाड़ आपदा को ध्यान में रखते हुए विभाग में 24 घण्टे कार्यरत रहने वाले विशेष नियंत्रण कक्ष की स्थापना सुनिश्चित करना। ;शासनादेश संख्या 1प्रा0आ0–27/2013/4472 दिनांक 1/10/13द्ध
	आंधी–तूफान, वर्षा, बाढ़ एवं सामान्य दिनों में भी विद्युत प्रवाहित तारों व पोलों से स्वयं को अपने पालतू जानवरों को दूर रखना सुनिश्चित करें।	विशेषकर सुखाड़ क्षेत्रों में कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम निर्धारित 8 घण्टों तक निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं इसका प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से करना। ;शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0 –27/2013/4156/आ0प्र0 पटना–15 दिनांक 18/9/13द्ध	सामान्य उपकरणों, सामग्रियों, मोबाईल ट्रांसफार्मर, तार, इन्सुलेटर आदि की सूची का निर्माण तथा उनको सतत् तैयार रखना।
	ग्रामीण क्षेत्र में समुदाय को बिजली से बचाव के सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जागरूक करने हेतु पोस्टर, पम्पलेट, फ्लैक्स का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करना।		सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थानों पर विद्युत जेनरेटर लगाने हेतु जेनरेटर को तैयार रखना इसके लिए जेनरेटरों का सर्वेक्षण तथा सूची तैयार करना।
	ग्रामीण समुदाय के इस आशय की जागरूकता प्रसारित करना कि वे हाईटेंशन तारों के नीचे भवन निर्माण न करायें। उससे अलग हटकर निर्माण कराये।		बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीएससी पोल को कंकरीट के माध्यम से खड़ा करना तथा अधिक से अधिक स्टेवायर का प्रयोग सुनिश्चित करना।
	समुदाय के बीच में जागरूकता फैलाना कि वे अपने भवन के अन्दरूनी वायरिंग हेतु ▯ैध्मार्का स्विचों एवं तारों का उपयोग करना		विभाग में अपने विभागीय उपयोग के लिए आपदा चेतावनी तंत्र विकसित करना।

	सुनिश्चित करें ताकि शार्ट–सर्किट के माध्यम से आग लगने की संभावना न रहे।		
	हाईटेंशन तार के नीचे खड़ा न रहें। पोल अथवा स्टेवायर से जानवर न बांधे।		
	सेफ्टी गाइडलाइन्स का समुचित पालन सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर पर सभी कर्मचारियों ;सरकारी एवं संविदा वालेद्ध को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करना।		

पंचायती राज विभाग

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाओं में ;बाढ़, सुखाड, आंधी–तूफान, ठनका, भारी वर्षा, भूकम्प, अगलगी, जंगली जानवरों का आतंक, शीत लहरद्ध	संभावित आपदाओं के सन्दर्भ में क्षेत्र में समुदाय के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार करना।	जोखिम कम करने के लिए आपदा से बचाव एवं न्यूनीकरण हेतु ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना।	प्रत्येक स्तर पर विभाग के अन्दर आपदा प्रकोष्ठ का गठन तथा आपदा प्रबन्धन के लिए अलग से कोष का आवंटन, ताकि आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही हो सके।
	विभिन्न आपदाओं एवं उससे निपटने के उपायों पर चुने गये पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आयोजित करवाना।	खराब हैण्डपम्पों को चिन्हित करके मरम्मति कराना सुनिश्चित करना।	आपदा प्रबन्घन विभाग के साथ समन्वय बनाने हेतु सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना।
	बहु आपदाओं के उपर विभिन्न माध्यमों जैसे –फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, पपेट शो आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना।	बाढ़ आपदा के दौरान समुदाय को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डूब क्षेत्र में पड़ने वाले हैण्डपम्पों को चिन्हित कर सम्बन्धित विभाग के सहयोग से हैण्डपम्पों का उच्चीकरण करवाना।	आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन सुनिश्चित करना।
	आपदा सम्भाव्य सभी क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यक्रमों में आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन को शामिल करना।	गांव का उच्चीकरण करवाना।	बाढ़ आपदा के दौरान शरण लेने हेतु सुरक्षित शरणस्थली की पहचान करना तथा पूर्व में बने शरणस्थलों की मरम्मत सुनिश्चित करना।
	पंचायत स्तर पर जागरूकता प्रसारित करना कि आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, ठनका आदि की आशंका होने पर लोग पेड़ों के नीचे तथा कमजोर मकानों या अन्य ढांचों के नीचे शरण न लें।	आपदा के दौरान उपयोग करने हेतु महिला एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	पंचायत स्तर पर उपलब्ध नाव एवं नाविकों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करना।
	समुदाय के अन्दर नियम के अनुसार सुंरक्षित घर बनाने हेतु जागरूकता अभियान चलाना।	ग्रामीण संरचनाओं की देख–रेख हेतु ग्राम स्तरीय कमेटी का निर्माण करना तथा उनसे निरन्तर संवाद स्थापित करना।	बाढ़ आपदा के दौरान शरण लेने हेतु सुरक्षित शरणस्थली की पहचान करना तथा पूर्व में बने शरणस्थलों की मरम्मत सुनिश्चित करना।
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने हेतु पंचायत प्रतिनिधियों एवं समुदाय के उत्साही लोगों को प्रशिक्षित करना।		बाढ़ के दौरान सम्पर्क मार्गों एवं संवाद व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त बनाये रखने हेतु पूर्व तैयारी सुनिश्चित करना।
			ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा से निपटने के लिए तकनीकों, संवाद, भण्डारण एवं बचाव उपकरणों को सुदृढ़ करना।

सड़क निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़ एवं सड़क दुर्घटना	ग्रामीण क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करना सुनिश्चित करना।	आपदा प्रभावित/अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर रिस्पान्स किये जाने हेतु जोन/सेक्टर में बांटकर कार्य योजना का निर्माण करना व संभावित आपदाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों तक जाने वाले मुख्य मार्गों/सम्पर्क मार्गों की पहचान करना।	विभाग में आपदा चेतावनी प्रकोष्ठ बनाना तथा आपदा प्रबन्धन के लिए नोडल अधिकारी नियत करना।
	जल संचयन हेतु तालाब, पोखरा की गहराई बढ़ाने में मनरेगा से जुड़ाव सुनिश्चित करना।	यह सुनिश्चित करना कि सभी मुख्य व सम्पर्क मार्ग बाढ़ आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बने हों तथा समय–समय पर उनकी सेफ्टी आडिट कराना।	एस0डी0आर0एन0 वेबसाइट के अनुसार विभाग में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा एस0डी0आर0एन0वेबसाइट को अपडेट किया जाना।
	ग्राम पंचायत के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मानव रहित रेलवे फाटकों पर उचित चिन्हों एवं दिशा–निर्देशों को अंकित करना तथा उचित प्रकाश की व्यवस्था करना।	आपदा के दौरान किये गये कार्यों से हुए अनुभवों को दस्तावेजित करना आगामी आपदा प्रबन्धन योजना में समाहित करना।	आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य सरलता से संचालित करने हेतु विभिन्न रास्तों तथा राहत सामग्रियों के भण्डारण हेतु आपदा से सुरक्षित स्थलों की पहचान करना तथा विभाग के जिम्मेदार पद के पास मानचित्र तैयार रखना।
	विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने हेतु विभागीय स्तर पर आपदा समिति का गठन एवं क्षमता वर्धन करना। ताकि किसी भी आपदा के समय तत्काल क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।	आवागमन एवं सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य आपदारोधी मानकों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित हो।।	निजी व्यक्तियों/वेण्डरों के साथ समन्वयन बैठक कर उनके पास उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का मानचित्रण करना
	सुरक्षित वाहन चालन हेतु सड़क के किनारों पर उचित मानक संकेतों व दिशा– निर्देशों को अंकित करना।	जिले में स्थित सभी पुल–पुलिया को भूकम्परोधी बनाना सुनिश्चित करना औरऔर समय–समय पर उनकी सुरक्षा आडिट कराना।	
		सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु मुख्य मार्गों के अन्तर्गत पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए लेन निर्धारित करना।	

अग्निशमन/ दमकल विभाग

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाएं; बाढ़, आंधी–तूफान, ठनका, भारी वर्षा,	विशेषकर बाढ़ आपदा के दौरान खोज एवं बचाव कार्यों में सहयोग करने हेतु कर्मियों का क्षमतावर्धन करना।	विगत पांच वर्षों के दौरान जिले में हुई अगलगी की घटनाओं के आधार पर पंचायत स्तर पर नाजुकता आकलन करना।	समस्त दमकलों एवं उसके यंत्रों तथा अन्य उपकरणों की सतत् जांच परख करना तथा खराब पड़े यंत्रों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करना।
	अग्नि सुरक्षा उपकरणों एवं बचाव कार्यों में सहयोगी उपकरणों के संचालन पर कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना।	विभाग का विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना सुनिश्चित करना।	डी0डी0एम0ए0, ई0ओ0सी0 एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु विभाग स्तर पर नोडल का चयन एवं नामित करना।

भूकम्प, अगलगी, द्ध	अग्नि शमन विभाग के टोल फ्री नं0 101 का प्रचार–प्रसार करना।	लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग से समन्वय स्थापित कर सर्वाधिक नाजुक प्रखण्डों में संकुल बनाकर ;प्रत्येक दो–दो किमी0 परद्ध फायर हाइड्रेण्ट की स्थापना करना।	सभी सरकारी एवं निजी भवनों में अग्नि कांड से बचाव हेतु आवश्यक सामग्री जैसे बालू, केमिकल, जल आपूर्ति आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।
	आपदा के संभावित जोखिमों तथा उसे कम करने के उपायों के सम्बन्ध में विभिन्न हितभागियों के बीच जागरूकता पैदा करना।	मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।	प्रति वर्ष अग्नि आपदा से बचाव हेतु पूर्वाभ्यास आयोजित करना व वर्ष में दो बार अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना
	विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों, कार्यालयों एवं संस्थानों की विद्युत सुरक्षा आडिट करना।	सुरक्षा आडिट के संस्तुत मानकों के उपायों के क्रियान्वयन का फालोअप करना।	
	फायरमैन का समय–समय पर प्रशिक्षण।	थाने स्तर पर अग्नि सुरक्षा उपकरणों, दमकलों की तैनाती सुनिश्चित करना।	
	अग्नि के कारणों, बचाव आदि के बारे में स्कूलों आदि के माध्यम से जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न करना।		

खाद्य आपूर्ति विभाग

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	जन वितरण प्रणाली सशक्त बनाते हुए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना।	आपदा के बाद समुदाय की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जन वितरण प्रणाली की दुकानों को समय से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।	बाढ़ आपदा से निपटने हेतु विभाग में आपदा समिति एवं आपदा कोष का निर्माण करना ताकि आपदा की स्थिति में तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
	जिले के अन्दर स्थापित सभी पेट्रोल, डीजल, किरासन, एलपीजी वितरण केंद्रों को बाढ़ आपदा से बचाव हेतु ''क्या करें'' व ''क्या न करें'' के उपायों पर जानकारी देना।	बाढ़ आपदा के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को संशोधित दर से अनुदान देना सुनिश्चित करना। ;शासनादेश संख्या1 / प्रा0आ0–36 / 2002 / 4154 / आ0प्र0 दिनांक 18 / 9 / 13 व 1 / प्रा0आ0–36 / 2002 / 4155 / आ0प्र0 दिनांक 18 / 9 / 13द्धद्ध	सभी गोदामों, कार्यालयों, राशन की दुकानों आदि तक पूर्व चेतावनी / सूचना पहुंचाने की व्यवस्था करना।
		बिहार सरकार द्वारा संचालित संशोधित **''शताब्दी अन्न कलश योजना''** से जुड़ाव स्थापित कर प्रभावितों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना। ;शासनादेश संख्या 1 / आ0प्र0यो0–13 / 2010 / 2588 / आ0प्र0 दिनांक 24 / 7 / 14द्ध	बाढ़ आपदा की दृष्टि से विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार आवश्यक मात्रा में अनाज खरीद सुनिश्चित करना। ;शासनादेश संख्या 1 / प्रा0अ0–16 / 2012 / 4095 / आ0प्र0 दिनांक 14 / 11 / 14द्ध
		सभी पंचायतों में **शताब्दी अन्न कलश योजना** के अन्तर्गत एक–एक कुन्तल खाद्यान्न रिवाल्विंग स्टाक के रूप में चिहिन्त जन वितरण प्रणाली दुकानों पर जमा रखना ताकि भूख से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध कराया जा सके। ;शासनादेश संख्या 01 / प्रा0आ0 –27 / 2013 / 4156 / आ0प्र0 पटना–15 दिनांक 18 / 9 / 13 व पत्रांक 2489 / आ0प्र0 दिनांक 17 / 7 / 14द्ध	समुदाय के नाजुक संवर्ग जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समूह, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, वृद्धों की पहचान जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से करना ;जिन्हें अतिरिक्त आहार एवं पोषाहार की आवश्यकता पड़ती हैद्ध।
		बाढ़ आपदा के दौरान किये गये कार्यों के अनुभवों को दस्तावेजित करना	सूखा भोजन जैसे चिउरा, लाई, भूजा आदि का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण

		ताकि आगामी रणनीति को और बेहतर बनाया जा सके।	सुनिश्चित करना।
		बाढ़ आपदा के सन्दर्भ में विभाग की क्षमता का आकलन करना एवं तद्नुसार जोखिम कम करने की रणनीति तैयार करना।	आपदा के समय वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्धता हेतु थोक व्यापारियों से रेट कान्ट्रैक्ट कर लेना।
		यह सुनिश्चित करना कि सभी गोदाम, कार्यालय बाढ़ आपदा से बचाव हेतु उंचे स्थानों पर स्थित हों एवं नवीन गोदामों, भवनों आदि को उंचे स्थल पर बनाना सुनिश्चित करना।	
		बाढ़ आपदा संभावित क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों पर स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानों को चिन्हित करना।	
सुखाड़	आपदा के बाद समुदाय की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जन वितरण प्रणाली की दुकानों को समय से सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।		जिले में सुखाड़ स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाग में 24 घण्टे कार्यरत रहने वाले विशेष नियंत्रण कक्ष की स्थापना सुनिश्चित करना। ;शासनादेश संख्या 1/प्रा0आ0– 27/2013/4472 दिनांक 1/10/113द्ध
भूकम्प	नये बनने वाले गोदामों, भवनों, कार्यालयों को भूकम्परोधी बनाना।	भूकम्प आपदा के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को संशोधित दर से अनुदान देना सुनिश्चित करना। ;शासनादेश संख्या 1/प्रा0आ0–36/2002/4155/आ0प्र0 दिनांक 18/9/13द्ध	
		भूकम्प आपदा में क्षतिग्रस्त हुए भवनों, कार्यालयों आदि का भूकम्परोधी मानकों के अनुसार जल्द से जल्द मरम्मत सुनिश्चित कराना।	
अगलगी		गोदामों में अगलगी की घटना न हो, इसके लिए उपाय सुनिश्चित करना।	
		अग्नि आपदा के सन्दर्भ में विभाग की क्षमता का आकलन करना एवं तद्नुसार जोखिम कम करने की रणनीति तैयार करना।	
		पूर्व अनुभवों के आधार पर यह सुनिश्चित करना कि अग्नि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थित जनवितरण प्रणाली की दुकानें अग्नि आपदा से सुरक्षित स्थानों पर हों।	

भवन निर्माण विभाग

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाएं ;बाढ़, भूकम्प, आंधी–तूफान, ठनका, अगलगीद्ध	सम्बन्धित सभी विभाग भवन निर्माण करते हुए विभागीय भवन निमाण सहिता का पालन करे।	यह सुनिश्चित करना कि नये बनने वाले भवन भूकम्प एवं बाढ़ की दृष्टि से सुरक्षित हों।	विभाग के अन्दर आपदा प्रकोष्ठ का गठन कर अलग से कोष की स्थापना एवं उसमें धन का प्रावधान हो ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके।
	सार्वजनिक संरचनाओं की देखभाल व समयानुसार मरम्मत कार्य सुनिश्चित करना।	विभाग के अन्दर मुख्यालय स्तर पर गठित निरूपण सेल द्वारा नये बनने वाले भवनों वाले स्थलों की मिट्टी जांच करना ताकि जांच के आधार पर संस्तुत तकनीक के अनुसार आंधी तूफान से	जनपद में उपलब्ध भारी निर्माण उपकरणों की सूची तैयार करना तथा पर्याप्त निर्माण सामग्रियों का भण्डारण सुनिश्चित करना।

		बचाने वाले भूकम्परोधी भवनों का निर्माण किया जा सके।	
		आंधी–तूफान आने से पहले भवनों के आस–पास स्थित पेड़ों की बड़ी डालियां या कमजोर पेड़ों को काटना सुनिश्चित करना। जिससे आंधी आने की स्थिति में नुकसान कम से कम हो।	संरचनात्मक बचाव उपायों पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सलाह देते रहना।
	कमजोर संरचना तथा बिना भूकम्परोधी तकनीक वाले महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को चिन्हित कर रेट्रोफिटिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करना।	नये विकास कार्यक्रमों को डी0आर0आर से जोड़ना ताकि भविष्य में जोखिम को कम किया जा सके।	विभाग मे उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार रखना व यह सुनिश्चित करना कि वे क्रियाशील रहें।
	सभी विभागीय कर्मचारियों को भवन सुरक्षा विषयक प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित करना।	आपदा घटित होने की दशा में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके सम्बन्ध में संबद्ध कार्यालयों व लोगों को सूचना देना।	विभाग के समस्त संसाधनों (मानवीय, वित्त, सामग्री) का रोस्टर रखना जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
	भवन निर्माण कार्य में लगे राजमिस्त्री एवं मजदूरों को भूकम्परोधी भवन के निर्माण हेतु सतत् प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करना।	मकानों, झोपड़ियों को अधिक से अधिक आंधी/तूफान/ ओलावृष्टि रोधी बनाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करना।	जीर्ण–शीर्ण सरकारी भवनों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, गोदामों आदि को चिन्हित कर उसे परित्यक्त (Abondon)घोषित करना।
			विभाग द्वारा अपने सभी संचार यन्त्रों को चालू हालत में रखना।
			पंचायत व प्रखण्ड स्तर पर सरकारी भवनों को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत व निर्माण सुनिश्चित करना।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग सहित सूचना तकनीक एवं बी0एस0एन0एल0 बिहार

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में टावर व खम्भे की डिजाइन बाढ़ को ध्यान में रखकर तैयार करना।	आपदा के दौरान प्राप्त होने वाले अनुभवों/सीखों को दस्तावेजित कर आगामी कार्य योजना में समाहित करना।	आपदा से निपटने हेतु विभाग में आपदा समिति एवं आपदा प्रबन्धन कोष का निर्माण करना ताकि आपदा की स्थिति में तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
	आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर आयोजित माकड्रिलों में सहभाग करना।	आपदा से निपटने हेतु विभाग में पावर बैकअप के लिए उर्जा के वैकल्पिक स्रोत को तैयार रखना।	दूसरे प्रासंगिक विभागों, नोडल व सपोर्ट एजेन्सियों, जिला आपदा प्रबन्ध अभिकरण के साथ मिलकर बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने हेतु तंत्र विकसित करने के लिए सम्पर्क स्थापित कर समन्वय बनाना।
		आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए हैम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।	यह सुनिश्चित करना कि टेलीफोन, वायरलेस आदि चालू हालत में हैं और बाढ़ के समय भी चालू हालत में रहें।
		बाढ़ आपदा से निपटने हेतु जिले स्तर पर इण्टरनेट की व्यवस्था को चाक–चौबन्द करना ताकि सूचनाओं का प्रसारण आसानी से एवं तत्काल सुनिश्चित हो सके।	बाढ़ आपदा से सम्बन्धित पूर्व सूचनाएं समुदाय/मोबाइल उपभोक्ता तक देने हेतु प्रसारण कैप्शन के उपयोग करने का तंत्र विकसित करना।
		आपदा के दौरान व बाद में राहत कार्यों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से सम्पादित करने हेतु एक टोल	

		फ्री नं0 तैयार कर प्रसारित करना।	
भूकम्प	भूकम्प आपदा के लिए विभागीय स्तर पर बनाये नवीन तकनीकी व्यवस्था के ऊपर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।	भूकम्प आपदा के दौरान संचार व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए नये तकनीकों को अपनाना।	
	यह भी सुनिश्चित करना कि विभाग के सभी भवन भूकम्परोधी हों एवं बीएसएनएल टावर या सेटअप स्थापित करने में भूकम्परोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो।		
अगलगी	विभाग के सभी कार्यालयों/भवनों/गोदामों में अग्निरोधी संयंत्र लगाना सुनिश्चित करना।		अग्नि आपदा से सम्बन्धित सूचनाएं मैसेज अलर्ट के माध्यम से समुदाय स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने हेतु विभाग के स्तर पर चेतावनी तंत्र विकसित करना।

शिक्षा विभाग

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक अध्यापक एवं 10–12 बच्चों को चिन्हित कर आपदा टीम के रूप में गठित कर उन्हें विभिन्न आपदाओं के उपर प्रशिक्षित करना, जो प्रत्येक आपदा में ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने के लिए जिम्मेदार हों। साथ ही वह टीम प्रत्येक स्कूल में बच्चों को आपदा के ऊपर प्रशिक्षित करने का कार्य भी करे।	सभी विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना बनाना। ;आपदा प्रबन्धन योजना बनाते समय लड़कों एवं लड़कियों के लिए स्वास्थ्य, भौतिक एवं मानसिक सुरक्षा, नियमित उपस्थिति आदि के बिन्दुओं को अलग–अलग कर देखना।द्ध	विभाग में आपदा प्रबन्धन हेतु एक प्रकोष्ठ बनाना तथा आपदा प्रबन्धन शिक्षा विभाग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना।
	बाढ़ आपदा की दृष्टि से नये बनने वाले भवनों की नींव को बाढ़ की अधिकतम उंचाई से अधिक उंचा तथा सुरक्षित ऊँचे स्थलों पर बनाना।	आपदा के दौरान मिड–डे–मील योजना सुचारू रूप से संचालित करवाना।	जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के असुरक्षित विद्यालयों की सूची तैयार करना तथा मानचित्र पर उनकी अवस्थिति दर्शाना।
	प्रशासन के सहयोग से कुछ छात्रों/शिक्षकों को प्रशिक्षित कर स्वयं सेवक के रूप में आपदा के समय काम करने वाली टीम के रूप में गठन करना।	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालयों में स्थित जलस्रोतों ;टैप या हैण्डपम्पोंद्ध का उच्चीकरण करना।	स्कूल आपदा प्रबन्धन कमेटी का गठन अनिवार्य रूप से करना।
	गांव स्तर पर उपस्थित रहने वाली आंगनबाड़ी, आशा, ममता आदि को आपदा सम्बन्धी रिफ्रेशर कोर्स कराना सुनिश्चित करना।	मनरेगा योजना से जुड़ाव कर बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहले से बने विद्यालयों को ऊँचा करना।	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यालयों में लाइफसेविंग जैकेट तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
	छोटे बच्चों को चित्रों के माध्यम से आपदा की स्थितियों के बारे में जागरूक करना।	मनरेगा योजना से जुड़ाव स्थापित कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालय तक जाने वाले पहुंच मार्गों को उंचा व पक्का करना।	आपदा सम्भाव्य क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों, विद्यालय के संसाधनों, वहां के स्टाफ व उनके सम्पर्क नं0 की सूची को पहले से ही तैयार करना ताकि आपदा के समय उनसे सम्पर्क करने में परेशानी न हो।
		बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के कारण बच्चों/शिक्षकों के उपर पड़ने वाले मानसिक प्रभावों को कम करने हेतु उपयुक्त मनोवैज्ञानिक मदद सुनिश्चित कराना।	
		आपदा के दौरान मिली सीख को	

		भविष्य की स्कूल आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण में समाहित करना।	
अगलगी	स्कूल भवनों में अग्नि शमन यन्त्र अनिवार्य रूप से लगवाया जाना सुनिश्चित करना।	अगलगी आपदा के दौरान विद्यालय से बाहर जाने वाले रास्तों का स्पष्ट चिन्ह उल्लेखित किया जाना सुनिश्चित करना।	स्कूल भवनों में निश्चित स्थान पर बालू भरी बाल्टियां रखना सुनिश्चित करना।
	यदि स्कूल भवन बहुत बड़ा हो तो पानी लेने का पाइप वाल्व लगाया जाना सुनिश्चित करना।	स्कूल स्टाफ एवं बच्चों को फायर ब्रिगेड के टेलीफोन नं0 व टोल फ्री नं0 उपलब्ध कराना।	
	आग लगने की स्थिति में बचाव हेतु अपनाये जाने वाले उपायों पर बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाना व समय–समय पर ;विशेषकर गर्मियों से पहलेद्ध पोस्टर प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना।		
	अगलगी आपदा से बचाव हेतु स्कूलों में माकड्रिल करवाना।		
भूकम्प	नये बनने वाले विद्यालय भवनों को भूकम्परोधी व भवन निर्माण मानकों के अनुरूप बनाना।	भूकम्प आपदा के दौरान ''क्या करें'' व ''क्या न करें'' के उपायों का विद्यालय की दीवारों पर चित्रात्मक वर्णन करना सुनिश्चित करना।	सभी स्कूलों द्वारा अपने पाठ्यक्रमों में भूकम्प आपदा एवं उससे बचाव सम्बन्धी जानकारियां शामिल करना व स्कूल सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश तैयार करना। (संलग्नक 16)
	भूकम्प आपदा के उपर बच्चों के बीच जागरूकता प्रसार हेतु कार्य योजना बनाना व स्कूलों/कालेजों में समय–समय पर पोस्टर प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना।	अगलगी आपदा के दौरान विद्यालय से बाहर जाने वाले रास्तों का स्पष्ट चिन्ह उल्लेखित किया जाना सुनिश्चित करना।	
	शिक्षकों व छात्रों के लिए समय–समय पर भूकम्प आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण आयोजित करना व स्कूलों में माकड्रिल करवाना।		
भीषण गर्मी		भीषण गर्मियों की स्थिति में विद्यालयों का संचलन सुबह की पाली में सुनिश्चित करना।	
		यह प्रावधान सुनिश्चित करना कि यदि अधिक गर्मी पड़ रही तो प्रधानाचार्य गर्मियों की छुट्टी से पहले छुट्टी कर दें।	
		सभी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित करना।	

परिवहन विभाग

आपदा	रोक–थाम/ शमन		पूर्व तैयारी
बाढ़, सड़क दुर्घटना	वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों का आकलन करना एवं उन जोखिमों को कम करने के उपाय सुनिश्चित करना।	जिले में सड़क दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील मार्गों/स्थलों की पहचान करना।	बाढ़ आपदा से निपटने हेतु विभाग में आपदा समिति एवं आपदा कोष का निर्माण करना ताकि आपदा की स्थिति में तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
	विभिन्न आपदाओं की स्थितियों से निपटने हेतु विभागीय	विभाग से सम्बन्धित सूचनाएं समय–समय पर जिला प्रशासन को	सड़क यातायात सुरक्षा से सम्बन्धित दिशा निर्देश जारी करना। (संलग्नक

	कर्मचारियों तथा मुख्य हितभागियों का समय–समय पर माकड्रिल आयोजित करना।	उपलब्ध कराकर आई0डी0आर0एन0 वेबसाइट को अपडेट कराने में मदद करना।	17)
	वाहन दुघर्टनाओं को रोकने के लिए जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों तथा जिले के अन्य मुख्य मार्गों पर आबादी वाले क्षेत्रों में वाहन की गति सीमा निर्धारित किया जाना सुनिश्चित करना।	बाढ़ आपदा के दौरान प्राप्त सीखों एवं अनुभवों को दस्तावेजित करते हुए आगामी विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना में समाहित करना।	बाढ़ आपदा के समय कार्य करने वाले सभी महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बरों, परिवहन के साधनों, ड्राइवरों, कंडक्टरों, नाव, मोटरबोट चालकों आदि की पहचान कर सूची तैयार करते हुए आपदा के समय उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
	सड़क दुर्घटना को रोकने हेतु दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना।	वाहन, वाहन चालक एवं यात्री तीनों स्तरों पर दुर्घटना बीमा को अनिवार्य बनाना करना ताकि सड़क दुर्घटना की स्थिति में जोखिम के प्रभावों को कम करने में सहायता मिले।	मानसून से पूर्व सभी सरकारी व व्यक्तिगत नावों का पंजीकरण करना।
	चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य कर सुड़क दुर्घटना को कम करने में सहयोग करना।	मुख्य मार्गों, सम्पर्क मार्गों, चौराहों व दुर्घटना बाहुल्य स्थानों पर यातायात नियमों एवं सुरक्षित चलने से सम्बन्धित होर्डिंग्स लगाया जाना सुनिश्चित करना।	यह सुनिश्चित करना कि विभाग के पास उपलब्ध सभी वाहन मानकों को पूर्ण करते हों।
	सड़क मानकों का अनुपालन करने के क्रम में राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर स्वास्थ्य विभाग के समन्वयन से ट्रामा सेण्टर, स्वास्थ्य केन्द्र आदि की स्थापना करना।	विद्यालयों से जुड़े सम्पर्क मार्गों पर सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु महत्वपूर्ण निर्देशों को लिखवाना सुनिश्चित करना।	राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से सम्पादित करने हेतु सामानों की ढुलाई के लिए सुरक्षित रस्ते की पहचान करना।
	अति व्यस्त सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपरिगामी सेतु का निर्माण सुनिश्चित करना।	स्कूली वाहनों के उपर वाहन चालन से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों को अंकित करवाना सुनिश्चित करना।	बांढ़ आपदा के दौरान प्रशासन द्वारा मांग किये जाने पर वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा इस हेतु ईंधन के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग से समन्वय स्थापित करना।;शासनादेश संख्या 1प्रा0आ0–16/2015/521/आ0प्र0 दिनांक 27/4/15द्ध
			आपदा आने की स्थिति में वाहनों की उपलब्धता हेतु पहले से ही विभिन्न वाहन स्वामियों/संगठनों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करना।
			यातायात एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन त्रैमासिक आधार पर किया जाना सुनिश्चित करना

शहरी विकास विभाग/नगर परिषद/नगर पंचायत

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सामान्य कार्य		शहरी क्षेत्र में विभिन्न आपदाओं से होने वाले जोखिमों की पहचान, उन पर समझ विकसित करना तथा उनका विश्लेषण कर शहर आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना।	
		विभाग की विकासीय योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों को समाहित करना।	
शहरी बाढ़	बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए मल एवं जल की निकास	शहरी क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित एवं जल–जमाव वाले क्षेत्रों की पहचान	जल–जमाव वाले क्षेत्रों से जमा पानी निकासी के लिए पम्पसेटों का

	प्रणाली का निर्माण कराना	करना।	रख–रखाव ठीक रखना।
	नगरीय स्तर पर कूड़ा प्रबन्धन करने हेतु विकेन्द्रित व्यवस्था अपनाना। इस हेतु वार्ड स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली को समुदाय के सहयोग से संचालित करना।	बाढ़ एवं जल–जमाव ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़रोधी मकान बनाने हेतु प्रोत्साहित करना।	
	पुराने जर्जर भवनों एवं विद्युत पोलों, टावरों को नष्ट करने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्थान एवं विभागों को नोटिस देना।	लाइफ लाइन भवनों एवं सड़क पुल, जलापूर्ति व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण संरचनाओं को बाढ़ सुरक्षित करना तथा उन्हें आपदारोधी बनाना सुनिश्चित करना।	
	डी0आर0आर0 रोडमैप के अनुसार रिजीलियेन्स सिटी विषय के अन्तर्गत सुझाये गये कार्यों एवं मानकों के अनुसार विकास को बढ़ावा देना।	जल–जमाव अथवा बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले वार्डों में स्थित पेयजल स्रोतों का उच्चीकरण	
भूकम्प	भूकम्प से बचाव के लिए भूकम्परोधी भवन निर्माण कानून को कठोरता से लागू किया जाना		भूकम्प के बाद आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं की बहाली के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की पूर्व तैयारी होना सुनिश्चित करना।
	पुराने जर्जर भवनों को ढहाकर उसे नया रूप देने जैसे डी0आर0आर0 उपायों को शहरी योजना में शामिल किया जाना ।		
शीतलहर			रिक्शाचालकों, दैनिक मजदूरों व अति गरीब व्यक्तियों के लिए रैनबसेरों / अस्थाई शरणस्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। ;शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0–36 / 2011 / 4289 / आ0प्र0 दिनांक 3 / 12 / 13 शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0–36 / 2011 / 5396 / आ0प्र0 दिनांक 16 / 12 / 13द्ध
			फुटपाथ पर निवास करने वाले गरीब, रिक्शाचालकों, दैनिक मजदूरों, निःसहाय व्यक्तियों के बीच पर्याप्त मात्रा में कम्बल का वितरण सुनिश्चित करना। ;शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0–36 / 2011 / 4289 / आ0प्र0 दिनांक 3 / 12 / 13 शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0–36 / 2011 / 5396 / आ0प्र0 दिनांक 16 / 12 / 13द्ध
			जिला से लेकर प्रखण्ड स्तर तक सभी शहरी व अर्ध शहरी क्षेत्रों में अलाव जलाने हेतु पर्याप्त मात्रा में लकड़ियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। ;शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0–36 / 2011 / 4289 / आ0प्र0 दिनांक 3 / 12 / 13 शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0–36 / 2011 / 5396 / आ0प्र0 दिनांक 16 / 12 / 13द्ध
भीषण गर्मी		सार्वजनिक स्थानों पर गर्म हवाओं व लू से बचाव से सम्बन्धित जानकारियां	सार्वजनिक स्थानों पर स्थानीय निकायों द्वारा प्याउ की व्यवस्था सुनिश्चित

		एवं सूचनाएं प्रसारित करना सुनिश्चित करना। ;शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0–20 / 20151 / आ0प्र0 दिनांकद्ध	करना। ;शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0–20 / 2015 / / आ0प्र0 दिनांकद्ध

ग्रामीण विकास विभाग ;जीविका सहितद्ध

आपदा	रोक–थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़, अग्नि, भूकम्प, आंधी–तूफान, ठनका, सुखाड़	बिहार कोसी फ्लड रिकवरी परियोजना के तहत् गृह निर्माण हेतु दिये गये निर्देशों के मुताबिक सरकारी आवास योजना जैसे इन्दिरा आवास योजना का लाभ लेने वाले लोगों को जोखिम प्रतिरोधी घर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।	आपदा प्रभावित लोगों को शरणालयों से वापस गांव में लौटने पर उनके लिए आजीविका सुनिश्चित करने हेतु मनरेगा या इसी प्रकार की अन्य योजनाओं / कार्यक्रमों से जुड़ाव सुनिश्चित करना	
	जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना।	मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृषिगत भूमि से गाद या बालू हटाकर उसे पुनः खेती योग्य बनाना तथा भूमि के अनुरूप फसलों / प्रजातियों को बढ़ावा देना।	
	आपदा जोखिमों को समझने, आजीविका पर उसके पड़ने वाले प्रभावों, जोखिमों को मापने, आपदा से हुई क्षति का मुआवजा आदि पर समझ बनाने हतु प्रखण्ड स्तर पर स्थानीय निकायों को प्रशिक्षित करने के लिए जीविका को एक ''सुरक्षित आजीविका सन्दर्भ केन्द्र'' के तौर पर विकसित करना	जीविका के माध्यम से समूह से जुड़ी महिलाओं को फल एवं सब्ज़िया उगाने हेतु प्रशिक्षित करना तथा बेहतर कृषिगत तकनीकों को अपनाने हेतु समूह तैयार करना।	
	जीविका के अन्तर्गत तैयार समूहों की महिला सदस्यों को आजीविका के विभिन्न विकल्पों के ऊपर प्रशिक्षित करना।	समूह में कुछ प्रशिक्षित महिलाओं को फल एवं सब्जी प्रसंस्करण एवं इससे जुड़े व्यवसायों के लिए तैयार करना।	
		समूहों के लिए बाजार का नेटवर्क तैयार करना।	

अध्याय : 6

क्षमता वर्धन एवं प्रषिक्षण

(Capacity Building and Training)

आपदा प्रबन्धन में क्षमता निर्माण एक प्रमुख घटक है, जो जिला आपदा प्रबन्धन योजना के सफल क्रियान्वयन तथा स्थाई विकास के लिए आवश्यक है। क्षमता निर्माण का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी हितधारकों का आपदा एवं उससे उत्पन्न जोखिमों के प्रति जानकारी बढ़ाना है ताकि जोखिम को कम करते हुए समुदाय को सुरक्षित बनाया जा सके। इससे लोगों में आपदा से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है और आपदा के प्रति अनुकूलन की क्षमता का विकास होता है। जिला स्तर पर प्रभावी क्षमता निर्माण के लिए आपदा से जुड़े सभी हितभागियों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि जागरूकता कार्यक्रमों, शिक्षा, शोध एवं विकास वव्यवस्थित प्रशिक्षण को शामिल करते हुए सुपौल जिला के लिए एक अप–टू–डेट जिला आपदा प्रबन्धन रिसोर्स इन्वेण्टरी बनायी जाये। बिहार राज्य डी0आर0आर0 रोडमैप एवं राज्य आपदा प्रबन्धन योजनाके अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जिला पदाधिकारी पूरे जिले में प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों, लाइन डिपार्टमेण्ट्स, समुदाय, पंचायती राज संगठन, सामुदायिक संगठन, कम्प्यूटर इंजीनियर्स, राजमिस्त्री, नर्स, डाक्टरों, आशा, ममता, आंगनबाड़ी एवं अन्य विभिन्न हितभागियों के क्षमता निर्माण हेतु राज्य सरकार एवं बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित कर क्षमता विकास गतिविधियां संचालित करना सुनिश्चित करेगा।

इस दिशा में, बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण राज्य के सभी जिलों के आपदा से जुड़े विभिन्न हितभागियों को आपदा के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

6.1 संस्थागत क्षमता वर्धन

आपदा प्रबन्धन की अवधारणा में आमूल–चूल परिवर्तन होने के फलस्वरूप आपदा प्रबन्धन में केवल राहत एवं बचाव ही नहीं अपितु रोक–थाम, शमन, पूर्व तैयारियां, न्यूनीकरण, रिस्पान्स एवं पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण की गतिविधियां शामिल हो गयी हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नीतियों के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः आवश्यक हो जाता है कि राज्य प्रशासनिक

आपदा के दौरान प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से सम्पादित करने हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े आला अधिकारियों का समय–समय पर क्षमतावर्धन कार्य किया जाना एक आवश्यक गतिविधि है। इसके अन्तर्गत जिले से कुल 16 प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न घटकों– रोक–थाम, शमन, पूर्व तैयारी, रिस्पान्स एवं पुनर्निर्माण के ऊपर बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना में प्रशिक्षित किया गया। (संलग्नक 18)

इसके साथ ही वर्ष 2017–2018 के अन्तर्गत बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदा रोक–थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के सन्दर्भ में निम्न विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे समुदाय, पंचायत प्रतिनिधि एवं अन्य हितभागी लाभान्वित हो रहे हैं –

- नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- नौकाओं के सर्वेक्षण/निबंधन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों के लिए भूकम्परोधी निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग तकनीक से सम्बन्धित प्रशिक्षण
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन पर मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आपदा में पशुओं का प्रबन्धन पर पशु चिकित्सा पदाधिकारियों का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिलों में प्रत्येक स्कूल में फोकल शिक्षक एवं बाल प्रेरकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

सेवा के पदाधिकारियों को आपदा प्रबन्धन अधिनियम, नीति, राज्य योजना, जिला योजना एवं बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप आदि के विषय में व्यापक जानकारी दी जाये। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनको आपदा रिस्पान्स के दौरान निर्धारित प्रशासनिक संरचनाओं तथा आपदा से निपटने हेतु विशेषज्ञ बलों (NDRF/SDRF)के कार्यों की भी जानकारी हो।

विभागीय चर्चा एवं बैठकों के दौरान आपदाओं के नये–नये स्वरूपों को जानने–समझने तथा उनसे निपटने के उपायों पर जिलास्तरीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं फ्रण्टलाइन सेवाप्रदाताओं का क्षमतावर्धन करने के विषय पर वार्ताकी गयी। चर्चा के बाद विभिन्न विभागों/हितधारकों के द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण बिन्दुओं एवं संभावित लाभार्थियों की आवश्यकता उभरकर सामने आयी, जिसे तालिका संख्या 31 के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका 31 : विभागवार अपेक्षित प्रशिक्षण विषय एवं लाभार्थियों की सूची

विभाग	विभाग द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण के विषय	लाभार्थी		
		संस्थान	सामुदायिक संगठन	प्रोफेशनल्स
आपदा प्रबन्धन विभाग	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण समन्वय • पूर्व चेतावनी एवं सूचना तकनीक की भूमिका • खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता आकलन • विकासीय योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश	विभागीय पदाधिकारी	स्वैच्छिक संगठन	इन्जीनियर वास्तुविद डाक्टर
	समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन	• अंचल पदाधिकारी • प्रखण्ड पदाधिकारी • पशु चिकित्सा पदाधिकारी • होमगार्ड्स	• स्वैच्छिक संगठन • आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्य • नेहरू युवा केन्द्र • रेडक्रास सोसायटी • त्वरित रिस्पान्स टीम के सदस्य • ग्राम स्तर पर गठित स्वास्थ्य समिति के सदस्य	मुखिया, सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि, समुदाय, रिटायर्ड सैनिक, शिक्षक एवं स्वास्थ्य कर्मी
कृषि विभाग	वैकल्पिक खेती तकनीक • मिश्रित खेती • गृहवाटिका • सूखा, बाढ़, कीट/व्याधि रोधी प्रजातियां • पादप रोग एवं उसका प्रबन्धन • सुरक्षित खेती अभ्यास • एकीकृत खेती	• पंचायत कृषि सलाहकार • प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी • एस.डी.ओ. कृषि (अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी • प्रखण्ड स्तर पर पादप सुरक्षा पदाधिकारी	• किसान क्लब के सदस्य • स्वयं सहायता समूह	कृषि सलाहकार, प्रगतिशील किसान, के0वी0के0 वैज्ञानिक

	पशुचारा प्रबन्धन • साइलेज, हे बनाने व भण्डारण की विधि • पशुचारे की अर्न्तफसली (Intercropping) • स्थान का चयन एवं पशुचारा भण्डारण	• पशुपालन पदाधिकारी • पंचायत कृषि सलाहकार, • प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी • एस.डी.ओ. कृषि (अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी • पंचायत सेवक • राजस्व कर्मचारी	• पशु प्रसार अधिकारी • किसान क्लब • स्वयं सहायता समूह	किसान, पशुपालक
	खाद्यान्न उपलब्धता • सामुदायिक अनाज व चारा बैक की स्थापना • अनाज बैंक संचालन समिति का प्रशिक्षण	• पंचायत सचिव • राजस्व कर्मचारी • एस.डी.ओ. कृषि	• स्वयं सहायता समूह • व्यापारीगण • पंचायत समितियां	किसान, मुखिया, सरपंच
	कम लागत तकनीक खेती • जैविक खेती को बढ़ावा • कम्पोस्टिंग • टपक (Dripp)एवं बौछारी (Sprincular)सिंचाई • स्थानीय बीज उत्पादन	• पंचायत कृषि सलाहकार • प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी • एस.डी.ओ. कृषि (अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी • प्रखण्ड स्तर पर पादप सुरक्षा पदाधिकारी • लघु सिंचाई कर्मचारी	• किसान क्लब के सदस्य • स्वयं सहायता समूह	कृषि सलाहकार, प्रगतिशील किसान
	खाद्य प्रसंस्करण • फल सब्जी प्रसंस्करण • मूल्यवर्धन एवं विपणन	• जिला उद्यान पदाधिकारी • बागवानी पदाधिकारी	• स्वयं सहायता समूह • किसान क्लब के सदस्य	प्रगतिशील किसान
	आपदा क्षति आकलन • खण्ड पंचायत स्तर पर आपदा आकलन करने हेतु प्रशिक्षण	• राजस्व कर्मचारी • कृषि पदाधिकारी		प्रधान
पशुपालन विभाग	आपदा पूर्व टीकाकरण एवं पशु रोगों से बचाव व निदान	• जिला पशुपालन पदाधिकारी • पशुधन प्रसार अधिकारी		पशुपालक, मुखिया, सरपंच
	पशुपालक, डेयरी व मछली पालन से जुड़े विभागों का	• पशुपालन पदाधिकारी	स्वयं सहायता समूह के सदस्य	पशुपालक, मत्स्यपालक

	रख–रखाव व बेहतर गुणवत्तापूर्ण प्रबन्धन	• मत्स्य पदाधिकारी • ड्रेसर • पशुधन सहायक • कम्पाउण्डर		
भवन निर्माण विभाग	रैपिड विजुअल सर्वे,भूकम्प/बाढ़रोधी सुरक्षित भवन निर्माण प्रक्रिया एवं रेट्रोफिटिंग तकनीक	• कार्यपालक अभियन्ता • अधिशासी अभियन्ता		स्थानीय राजमिस्त्री, वास्तुविद, मास्टर ट्रेनर/संवेदक
शिक्षा विभाग	स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम • स्कूल आपदा प्रबन्धन योजना • नुकसान एवं आवश्यकता आकलन • मॉकड्रिल	• जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना) • जिला परियोजना पदाधिकारी (स्थापना) • जिला परियोजना पदाधिकारी (मध्यान्ह) • डायट के सदस्य	• स्कूल शिक्षक संघ के सदस्य • शिक्षा समिति के सदस्य	प्रधानाचार्य, अध्यापक, चयनित फोकल अध्यापक, छात्र/छात्राएं
अग्निशमन	अगलगी से बचाव के अभिनव तकनीकों तथा भवनों की सुरक्षा आडिट	• अग्नि सम्पदा अधिकारी • फायरमैन • जिला आपदा प्रबन्धन पदाधिकारी • एन0एस0एस0 व एन0सी0सी0	• दुकानदार/व्यवसायिक संगठन • हाउसिंग सोसायटी • स्थानीय स्वैच्छिक संगठन	वार्ड सदस्य, पेट्रोल पम्प मालिक व कार्यकर्त्ता
परिवहन विभाग	आपदा में जीवन सुरक्षा तकनीकों एवं मानकों का पालन एवं उपयोग	• सरकारी वाहन चालक परिचालक		वाहन/नाव स्वामी, व चालक, मास्टर ट्रेनर
स्वास्थ्य विभाग	अस्पताल सुरक्षा • अस्पताल आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण • विभाग के अन्दर नुकसान एवं आवश्यकता आकलन	• जिला असैनिक एवं शल्य चिकित्सा पदाधिकारी • पैथालिजस्ट/ • टेक्नीशियन • जिला अस्पताल सुपरिटेण्डेण्ट • एम0ओ0आई0सी0	जिले में स्थित इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन के सदस्य	डाक्टर, आशा, ड्राइवर
	त्वरित मेडिकल रिस्पान्स	• त्वरित मेडिकल रिस्पान्स टीम के सदस्य • पैरा मेडिकल स्टाफ • मोबाइल मेडिकल टीम के सदस्य	• रेडक्रास सोसायटी के कार्यकर्त्ता • विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकर्त्ता	आशा, एएनएम, ग्राम स्तरीय मोबिलाइजर

		• मनौवैज्ञानिक फर्स्ट एड टीम के सदस्य • कम्पाउण्डर		
पंचायती राज विभाग	राहत वितरण, आवास एवं कैम्प प्रबन्धन	• रोजगार सेवक • पंचायत सेवक • आंगनबाड़ी सेविका • पी0एच0ई0डी0 विभाग के क्षेत्र कर्मचारी	• पंचायत प्रतिनिधि • सामाजिक कार्यकर्ता • आपदा प्रबन्धन समिति सदस्य	आशा, चौकीदार, मुखिया, सरपंच, सेवानिवृत डाक्टर, सेवानिवृत सैनिक
	ग्रामस्तरीय स्वास्थ्य एवं साफ सफाई	• पंचायत सेवक • राजस्व कर्मचारी • आंगनबाड़ी सेविका • ग्राम स्वास्थ्य, साफ–सफाई एवं पोषण समिति के सदस्य • पी0एच0ई0डी0 विभाग के क्षेत्र कर्मचारी	• पंचायत प्रतिनिधि • सामाजिक कार्यकर्ता	आशा, चौकीदार, सरपंच, स्थानीय नलकूप मिस्त्री

स्रोत : विभागीय चर्चा

6.2जागरूकता

आपदा प्रबन्धन के प्रति लोगों की जागरूकता भी आपदाओं के शमन, रोक–थाम एवं पूर्व तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सन्दर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग एवं बिहार आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के सन्दर्भ में निम्न सुरक्षा सप्ताह एवं जागरूकता अभियान चलाये जा रह हैं –

- भूकम्प सुरक्षा सप्ताह
- बाढ़ सुरक्षा सप्ताह
- सड़क सुरक्षा सप्ताह
- अग्नि सुरक्षा सप्ताह

इसके अतिरिक्त बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में **''क्या करें''** और **''क्या न करें''** के उपाय भी सुझाये गये हैं।

इन उपरोक्त सुरक्षा सप्ताहों एवं आपदाओं से बचने के उपायों को समुदाय के बीच प्रसारित करने हेतु निम्न गतिविधियां अपनायी जा सकती हैं –

- स्कूलों, बाजारों, सिनेमाघरों, मॉलों आदि में अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित पूर्वाभ्यास के माध्यम से।
- स्कूलों में भूकम्प से बचाव हेतु पूर्वाभ्यासों के आयोजन के माध्यम से।
- आपदाओं के सन्दर्भ में वाद–विवाद, चित्रकला व पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से।
- स्थानीय हाट–बाजारों व चौराहों पर नुक्कड़ नाटक, लोक संगीत आदि के माध्यम से।

अध्याय : 7

रिस्पान्स योजना

(Responce Plan)

वर्तमान में आपदाओं के बदलते प्रभावों और समाज पर पड़ने वाले उनके प्रभावी असर को देखते हुए किसी एक विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से आपदाओं का सामना करना संभव नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि आपदाओं से उत्पन्न स्थितियों का सामना सभी विभाग/एजेन्सियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मिल–जुल कर किया जाय। इसके लिए एक सुदृढ़ एवं व्यवहार्य आपदा रिस्पान्स योजना बनाने की आवश्यकता होगी। आपदा के दौरान जिला पदाधिकारी इन्सीडेण्ट कमाण्डर के तौर पर काम करेंगे और विभिन्न विभागों एवं उनमें नामित नोडल पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। इसे निम्न फ्लो चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं –

आपदा के तीनों चरणों में समन्वय तंत्र

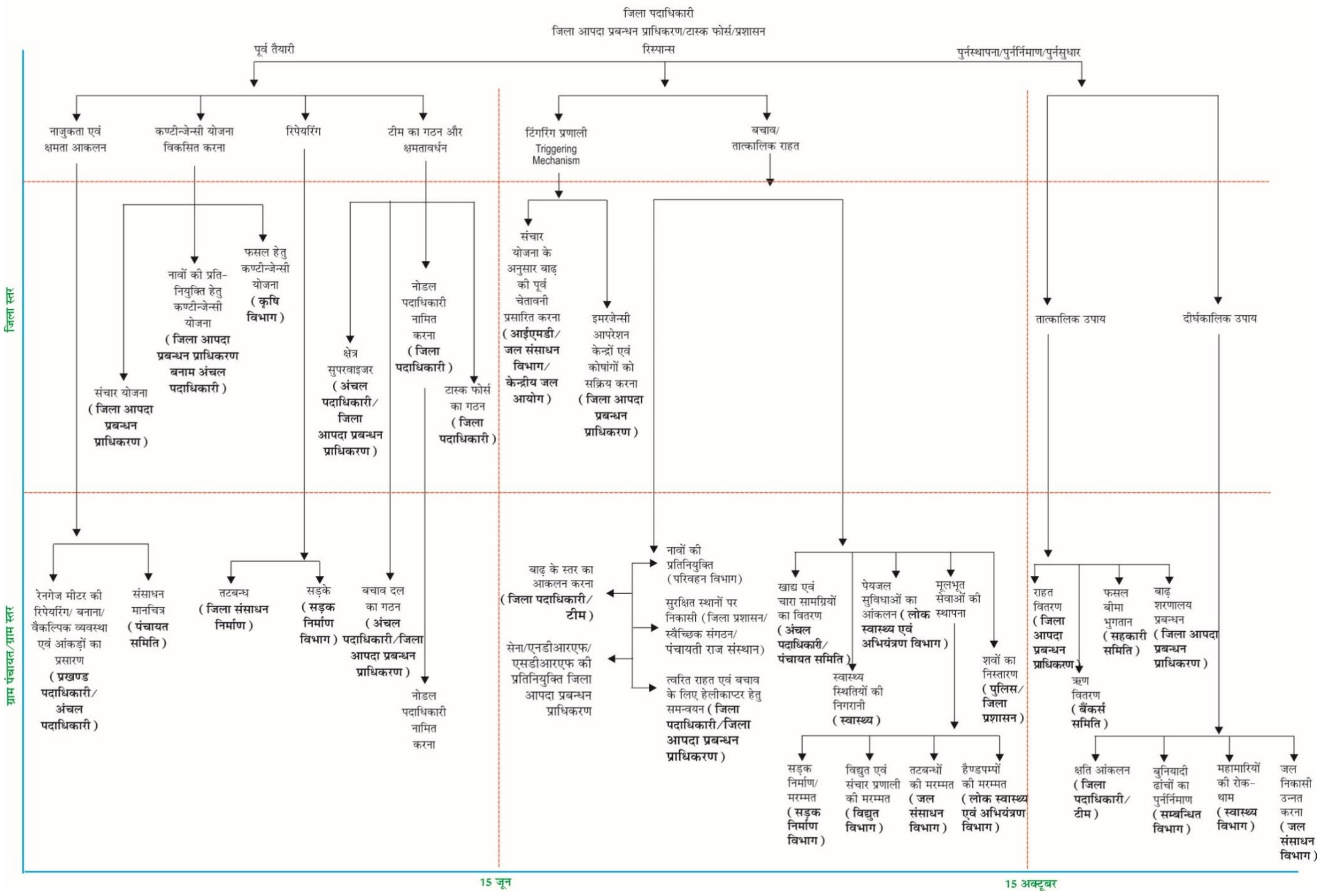

उपरोक्त फ्लो चार्ट को ध्यान में रखते हुए सुपौल जिले में आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने हेतु जिले में निम्नांकित कोषांगों का गठन किया गया है। जिले में आपदा घोषित होने के तुरन्त बाद ये कोषांग सक्रिय हो जाते हैं और राहत, बचाव एवं अन्य कार्यों हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जिला प्रशासन के निर्देशन में कार्य करते हैं।

- जिला आपदा प्रबन्धन कोषांग
- कृषि कोषांग
- विधि व्यवस्था कोषांग
- तटबन्ध सुरक्षा कोषांग
- लोक स्वास्थ्य कोषांग
- स्वास्थ्य कोषांग
- पशु/दवा/चारा एवं मत्स्य कोषांग
- ग्रामीण सड़क एवं पी0डब्ल्यू0डी0 कोषांग
- सूचना एवं प्रतिवेदन कोषांग
- गुणवत्ता जांच कोषांग
- शिविर संचालन कोषांग
- नाव परिचालन एवं वाहन कोषांग
- संचार एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था कोषांग
- सैन्य बल समन्वय कोषांग
- शिक्षा एवं आंगनबाड़ी कोषांग
- नाव घाट संचालन कोषांग
- एन0जी0ओ0 कोषांग

कोषांग 1 : जिला आपदा प्रबन्धन

आपदा/ जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी आपदाएं	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	जिला प्रशासन
विभाग	**कार्य**	**जिम्मेदार व्यक्ति**
आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	जिला पदाधिकारी से लगातार संपर्क में रहते हुए सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से निष्पादित करना	अपर समाहर्ता–आपदा
	सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु ससमय संचिका उपस्थित करना।	
	सभी कोषांगों में समन्वय स्थापित करना एवं बाढ़ की पूर्व चेतावनी एवं सूचना का प्रसारण करना।	
	सभी कोषांगों के कार्य–कलाप का निरीक्षण करना	
	अंचलों से प्राप्त अधियाचना पर सामग्री एवं राशि उपलब्ध कराना	
	प्रभावित क्षेत्रों में नाव का परिनियोजन करना।	
	बाढआपदा से प्रभावित क्षेत्रों का त्वरित प्रारम्भिक आकलन करना।	
	सरकार से आवश्यकतानुसार मार्ग दर्शन प्राप्त करना	
	जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति की बैठक सुनिश्चित करवाना	
	जिले के बाहर से संसाधन आने पर समन्वय करना।	
	एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0/सैन्य बलों इत्यादि की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मांग करना।	
	प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां तक पहुंचने हेतु नक्शा तैयार करना	
	उच्चस्तरीय समीक्षा/राज्य स्तरीय टीमों/केन्द्रीय स्तर के टीमों के भ्रमण के समय प्रतिवेदन तैयार करना।	
	प्रभावित क्षेत्रों से आबादी के निष्कासन करना तथा उन्हें सुरिक्षत राहत शिविरों मे स्थानान्तरित करना।	
	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित लोगों में राहत सामग्रियों की व्यवस्था करना।	

कोषांग 2 : कृषि

आपदा/ जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, अगलगी, ओलावृष्टि, सूखाड़, अत्यधिक तापमान, भारी बारिश, आंधी तूफान	कृषि विभाग	▪ जिला प्रशासन ▪ आत्मा
विभाग	**कार्य**	**जिम्मेदारी**
कृषि विभाग	आकस्मिक फसल योजना तैयार करना	जिला कृषि पदाधिकारी
	क्षतिग्रस्त फसल का आकलन करना	
	क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजा हेतु राशि का आकलन कर अधियाचना पत्र भेजने हेतु संचिका उपस्थापित करना	
	आपदा के दौरान प्रभावित हुए विभागीय यन्त्र, बीज, खाद, कीटनाशक आदि की सूचना प्राप्त करना एवं जिला आपदा नोडल अधिकारी को प्रेषित करना।	
	विभाग के पास उपलब्ध बीज, खाद, अनाज को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने हेतु राजस्व व परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना।	
	किसानों के समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक मन्तव्य देना	
	भूमि क्षति आदि का आकलन कर मुआवजा हेतु अधियाचना पत्र भेजते हुए संचिका उपस्थापित करना	
	कृषि से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों के निदान हेतु कार्यवाही करना	
	दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना	
	फसल क्षति का वितरण करना	

कोषांग 3 : विधि व्यवस्था

आपदा/जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	जिला गोपनीय शाखा	▪ जिला प्रशासन ▪ पुलिस
विभाग	**कार्य**	**जिम्मेदारी**
जिला प्रशासन	आपदा के समय विधि व्यवस्था कायम करना।	अपर समाहर्ता
	आपदा के समय उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना।	
	विधि व्यवस्था सम्बन्धी आदेश निर्गत करना	
	विधि व्यवस्था के लिए संसाधन प्राप्ति हेतु बाहर के जिले से अधियाचना करना एवं नियुक्ति करना।	
पुलिस	प्रभावित क्षेत्रों की प्रारम्भिक स्थिति का आकलन करना	पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)/ एसएचओ
	विधि व्यवस्था से सम्बन्धित अधिकारिक बयान जारी करना	पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)
	स्टाफ एवं सुविधाओं की स्थिति का निर्धारण करना तथा यदि आवश्यक हो तो नियुक्ति नियोजन के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ एवं संसाधनों की नियुक्ति करना	पुलिस अधीक्षक/अपर समाहर्ता
	जोखिमों एवं असुरक्षित स्थितियों की पहचान करना तथा समुदाय की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाना	पुलिस उपाधीक्षक/ एस0एच0ओ0
	प्रभावित क्षेत्रों की घेराबन्दी करना	एसएचओ
	प्रभावित क्षेत्रों, निष्कासित क्षेत्रों, ध्वस्त क्षेत्रों, शरणालयों, कैम्पों, मेडिकल पोस्टों, वितरण केन्द्रों, गोदामों/वेयर हाउस आदि को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करना	पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)
	राहत सामग्रियों की लूट एवं कालाबाजारी को रोकना	एसएचओ/प्रखण्ड पदाधिकारी/क्षेत्राधिकारी
	निष्कासित एवं ध्वस्त हुए क्षेत्रों से बचाकर लाये गये लोगों को सुरक्षा प्रदान करना	एसएचओ
	आपदा दौरान फर्जी दावे से बचने के लिए मृत शरीरों की सुरक्षा करना	

	प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले महत्वपूर्ण एवं अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना	पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)
	क्षतिग्रस्त या जोखिम भरे रास्तों पर लोगों को जाने से रोकना	पुलिस उपाधीक्षक (यातायात)
	जन सम्पर्क अधिकारी के समन्वयन से अफवाहों को रोकना	पुलिस अधीक्षक/जन सम्पर्क अधिकारी
	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गश्ती की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना।	

कोषांग 4 : तटबंध सुरक्षा

आपदा/जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़	जल संसाधन विभाग ;चन्द्रायण डिवीजनद्ध	▪ जल निस्सरण प्रमंडल, कोपरिया ▪ पूर्वी कोसी तटबंध प्रमंडल, सुपौल ▪ पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली
विभाग	**कार्य**	**जिम्मेदारी**
जल संसाधन	विभागीय सूचना एवं बाढ़ नियंत्रण केन्द्र को चौबीस घण्टे कार्यरत रखना एवं जिला आपातकालीन परिचालन कक्ष से सम्पर्क स्थापित करना।	कार्यपालक अभियन्ता
	सिंचाई चैनलों, पुलों, कलवर्टों इत्यादि की सुरक्षा हेतु अनवरत निगरानी करना।	
पूर्वी कोसी तटबन्ध प्रमण्डल, चन्द्रायण	तटबंधों के सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही करना	कार्यपालक अभियन्ता
	तटबंधों के मरम्मति हेतु आवश्यक सामग्री यथा–खाली बोरा, बोल्डर आदि का पर्याप्त भण्डारण की स्थिति का आकलन कर तद्नुसार उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
	तटबंधों में दरार, छेद आदि की सूचना प्राप्त होने पर तकनीकी विशेषज्ञों एवं सामग्रियों की मांग करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना।	
	तटबन्धों की दरारों को पाटने में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना।	
	बांध पर गश्ती हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के कार्य– कलाप का औचक निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।	
	तटबंध सुरक्षा पर नजर रखने हेतु भ्रमणशील रहना	
	एस0एम0एस0 के माध्यम से कोसी बैराज डिस्चार्ज की स्थिति उपलब्ध कराना	

कोषांग 5 : लोक स्वास्थ्य कार्य

आपदा/जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण	जिला प्रशासन
विभाग	**कार्य**	**जिम्मेदारी**
जिला प्रशासन	प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित नुकसान आकलन के लिए सामुदायिक ढांचों के नुकसान का स्तर तय करना	उप विकास आयुक्त
	आपदा क्षेत्रों विशेषकर बाढ़ क्षेत्रों एवं बाढ़ पीड़ितों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना	
लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग	प्रभावित क्षेत्रों में नलकूपों/खराब चापाकलों की मरम्मति हेतु तकनीकी दलों को भेजना सुनिश्चित करना	सहायक अभियंता
	सामान्य आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त होने की स्थिति वाले क्षेत्रों में टैंकर्स एवं अन्य साधनों से जल आपूर्ति व्यवस्था करना।	कार्यपालक अभियंता
	शरणस्थलों पर पेयजल/शौचालयों एवं उसके साफ–सफाई की व्यवस्था करना	सहायक अभियन्ता
	अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को सुचारू जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	
	सैन्य बल ठहराव स्थल पर पेयजल/शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	
	शिविर स्थलों पर महिलाओं के लिए सुविधायुक्त शौचालय का निर्माण करना।	
	पशु शिविर में पेयजल उपलब्ध कराना	
	बाढ़ग्रस्त इलाकों में ऊँचे प्लेटफार्म युक्त पर हैण्डपम्प एवं शौचालयों की व्यवस्था	कार्यपालक

	करना	अभियन्ता

कोषांग 6 : स्वास्थ्य

आपदा/जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों हेतु	स्वास्थ्य	जिला प्रशासन
विभाग	**कार्य**	**जिम्मेदारी**
स्वास्थ्य	विभागीय नियंत्रण कक्ष को चौबीस घण्टे संचालित करना।	असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
	प्रभावित जनसंख्या हेतु तुरन्त प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा आपदा स्थल पर पर्याप्त कार्मिकों को प्रतिनियुक्त करना एवं मेडिकल दलों को भेजना।	
	स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थाओं की देखभाल करना और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत रूप से सेवाएं उपलब्ध कराना	
	यदि आवश्यक हो तो मरीज को प्रभावित क्षेत्र से अलग रखना	
	प्रभावित क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन करना	
	सभी सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सा सुविधाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा हेतु अतिरिक्त क्षमता का निर्माण सुनिश्चित करना।	
	दवाओं, खून, टीका, रेडिएशन इमिटिंग एवं स्क्रीनिंग उपकरणों एवं अन्य मेडिकल उत्पादों को समुचित मात्रा में भण्डारित करना	
	ब्लड बैंक पदाधिकारी के माध्यम से ब्लड एवं ब्लड सम्बन्धी अन्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	
	प्रभावित क्षेत्रों के लिए समुचित मात्रा में एम्बुलेन्स का सहयोग करना	
	मेडिकल अपशिष्टों का उचित निस्तारण सुनिश्ति करना	
	जन सूचना बूथों की स्थापना करना	
	जलशुद्धि टेबलेटों, ब्लीचिंग पाउडर आदि की आपूर्ति तथा बाढ़ आपदा राहत शिविरों में स्वास्थ्य सेवाओं एवं शुद्ध जल की व्यवस्था करना।	
	शरणालयों एवं कैम्पों में मेडिकल केन्द्रों की स्थापना करना	
	आपदा के बाद की स्वास्थ्य सम्बन्धित स्थितियों पर अधिकारिक बयान जारी करना	
	महामारियों के उत्पन्न होने या फैलने के विरूद्ध सतर्कता बनाये रखना तथा हैजा, टाइफाइड इत्यादि बीमारियों को फैलने से रोकना।	
	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में साफ– सफाई एवं ब्लीचिंग का छिड़काव करना।	
	महामारी के रोक–थाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करना	
	गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा उपलब्ध कराना व प्रसव हेतु समुचित व्यवस्था करना।	
	हेलोजन/ब्लीचिंग पाउडर/जीवन रक्षक दवाई/सर्पदंश/हैजा– कालरा संबंधी दवाई की व्यवस्था व आपूर्ति सुनिश्चित करना।	
	दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदनों का ससमय प्रेषित किया जाना।	

कोषांग 7 : पशु दवा/चारा एवं मत्स्य

आपदा/जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, भूकम्प, अग्नि, सुखाड़, ठनका, अत्यधिक तापमान, भारी बारिश,	पशुपालन विभाग	जिला प्रशासन
विभाग	**कार्य**	**जिम्मेदारी**
पशुपालन	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पशुओं को ऊँचे शरण स्थल/पशु शिविर में रखवाना	जिला पशुपालन पदाधिकारी
	पशु स्वास्थ्य मुद्दों को समझना और घायल एवं मृत पशुओं को चिकित्सकीय देख–भाल प्रदान करना	
	आकस्मिक चिकित्सकीय सुविधा एवं अस्थाई शरणालय प्रदान करना	
	सभी शरणस्थलों पर आवश्यक दवाई /पशुचारा/पशु चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करना	
	जानवरों एवं मुर्गियों के लिए चारा, दाना एवं पानी उपलब्ध कराना	
	स्वस्थ पशुओं में बीमारियों का प्रसार होने से रोकने के लिए बीमार पशुओं के रख–रखाव, चारा, दाना आदि की अलग व्यवस्था करना	
	आवश्यकता आकलन के आधार पर जानवरों के लिए चारागाहों उपलब्ध कराना	

	मौसम खराब होने की स्थिति में शरणालय बनाने के लिए झालरों, टाट बोरों तथा तिरपालों की व्यवस्था करना	
	अधिक गर्मी होने की स्थिति में स्प्रिंकलर एवं पंखों आदि की व्यवस्था करना	
	बीमारी से बचाव हेतु पशुओं का उचित टीकाकरण सुनिश्चित करना	
	पशु स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली एजेन्सियों, संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि से समन्वयन स्थापित करना	
	पशुओं में फैलने वाली बीमारियों की निगरानी करना	
	जानवरों के बचाव एवं ढुलाई के लिए परिवहन की व्यवस्था करना	
	बीमार एवं मृत जानवरों की ढुलाई के लिए अलग वाहनों की व्यवस्था करना	
	बीमार एवं मृत जानवरों की ढुलाई में लगे वाहनों, लोगों एवं स्थानों को नियमित रूप से संक्रमण रहित करना	
	जानवरों शवों का समुचित निस्तारण सुनिश्चित करना	
	जानवरों के मल–मूत्रों का निस्तारण करने हेतु पर्याप्त आदमियों को लगाना	
	मत्स्य पालकों के द्वारा मत्स्य की क्षति होने पर क्षति का आकलन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना	
	दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध करना।	

कोषांग 8 : ग्रामीण सड़क एवं पी.डब्ल्यू.डी.

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
भूकम्प, बाढ़	सड़क निर्माण विभाग	▪ योजना विभाग ▪ ग्रामीण कार्य विभाग ▪ पथ प्रमण्डल
विभाग	**कार्य**	**जिम्मेदारी**
सड़क निर्माण विभाग	क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वेक्षण एवं उनकी मरम्मति सुनिश्चित करना।	कार्यपालक अभियन्ता
	मलबों की सफाई सुनिश्चित करना	
	सामान्य सड़क सम्पर्क के बाधित होने पर पूर्व में पहचान किये गये वैकल्पिक सड़कों से परिवहन का सम्पर्क स्थापित करना।	
	निष्कासन, खोज एवं बचाव कार्य को सरल बनाने के लिए क्षतिग्रस्त निजी व सार्वजनिक ढांचों को ध्वस्त या स्थिर करना	
	आवश्यकता पड़ने पर अस्थाई शरणालय, शौचालय, मेडिकल पोस्ट, हेलीपैड एवं अन्य बुनियादी ढांचों तथा अस्थाई सड़कों का निर्माण करना	
	बाढ़ के समय यातायात व्यवस्था कायम रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।	
	बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों को सहाय कार्य हेतु अविलम्ब मरम्मत करवाना	
	दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।	

कोषांग 9 : सूचना एवं प्रतिवेदन

आपदा/जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	▪ आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ▪ आई0टी विभाग ▪ बी0एस0एन0एल0, बिहार ▪ जिला प्रशासन
विभाग	**कार्य**	**जिम्मेदारी**
आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	क्षति एवं सहाय सम्बन्धी सभी तरह के प्रतिवेदन भेजने हेतु ससमय प्रतिवेदन तैयार करना	प्रोग्राम प्रोफेशनल
	हैलीपैड सम्बन्धी सूचना पूर्व से संकलित कर सम्बन्धितों को भेजना	
	वर्षापात सम्बन्धी दैनिक प्रतिवेदन भेजना	
सूचना एवं जन सम्पर्क	प्रेस–कान्फ्रेंस का आयोजन करना	जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी
	शरण स्थलों की सूची तैयार करना एवं उसमें रह रहे लोगों की संख्या आदि की जानकारी सभी को देना।	
	सरकार को ससमय वांछित प्रतिवेदन भेजना	
	आपदाओं से सम्बन्धित **क्या करें और क्या न करें**।	

	कैम्पों का पता एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों के साथ साझा करना	
	समाचार संक्षेपण तैयार करना एवं प्रकाशित करना	
	आवश्यक होने पर जिला पदाधिकारी/अतिरिक्त जिला पदाधिकारी के बयानों को मीडिया के साथ साझा करना	
	समाचारों की निगरानी करना तथा मीडिया की बातों का जबाव देना	
	सरकार से प्राप्त पत्रों को अविलम्ब निर्देशानुसार समाचार पत्रों के माध्यम से जन प्रसारित करना।	
	समाचार पत्रों के कतरन को उपस्थापित करना एवं उस पर की गयी कार्यवाही का अनुश्रवण करना	
	अफवाहों का खण्डन करने हेतु विज्ञप्ति प्रस्तुत करना एवं अनुमोदनो परान्त प्रकाशित करना।	
	सभी तरह के प्रतिवेदनों को ई–मेल पर अपलोड करने हेतु अनुमोदनो परान्त प्रकाशित करना।	
	सभी तरह के प्रतिवेदनों को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0 मैनेजर सुपौल को उपलब्ध कराना।	
	मीडिया को सूचना उपलब्ध कराना	
आई0टी0 विभाग	इण्टरनेट पर राहत शिविर, शरण स्थल, खाद्य सामग्री वितरण एवं सभी दूरभाष नम्बर अपलोड/उपलब्ध कराना	आई0टी0 मैनेजर
	कोसी बैराज से जलश्राव सम्बन्धित एस0एम0एस0 सिस्टम कार्यरतकरना।	
जिला प्रशासन	सभी कोषांगों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रतिवेदन ससमय प्राप्त करना	उप विकास आयुक्त
	सरकार को दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजना	उप विकास आयुक्त

कोषांग 10 : गुणवत्ता जांच

आपदा/जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, सूखा, भूकम्प, अग्नि	आपूर्ति विभाग	▪ नजारत ▪ स्वास्थ्य
विभाग	**कार्य**	**जिम्मेदारी**
खाद्य आपूर्ति विभाग	आपदा सहाय में क्रय/आपूर्तित की जाने वाली सामग्रियों का सत्यापन करना एवं गुणवत्ता की जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित करना	जिला आपूर्ति पदाधिकारी
	शिविर की सभी व्यवस्थाओं जैसे खाद्य, पेयजल, दवाईयां इत्यादि की गुणवत्ता की जांच करना एवं गुणवत्ता बढ़ाये जाने के उपायों को ढूंढ़ना	
	गुणवत्तापूर्ण राहत सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	
	अंचल/अनुमंडल स्तर पर क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता की समय–समय पर जांच करना।	
जिला प्रशासन	जल गुणवत्ता का मूल्यांकन	
	प्रभावित क्षेत्रों में पाइप लाइन के जल को क्लोरीनेशन करना व प्रदूषण मुक्त करना	

कोषांग 11 : शिविर संचालन

आपदा/जोखिम	नोडल विभाग/वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
बाढ़, भूकम्प, अग्नि, सुखाड़	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	▪ स्वास्थ्य विभाग ▪ शिक्षा विभाग ▪ पशुपालन विभाग ▪ पी0एच0ई0डी0 ▪ भवन निर्माण ▪ पंचायती राज विभाग ▪ आपूर्ति विभाग ▪ जिला प्रशासन

विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
भवन निर्माण	राहत के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए राहत कैम्पों एवं अस्थाई शरणालयों की स्थापना	प्रभावित क्षेत्र के सर्किल पदाधिकारी
पंचायती राज	शिविरों का सफलतापूर्वक संचालन करने में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का सहयोग करना।।	
पी0एच0ई0डी0, स्वास्थ्य एवं पशुपालन विभाग	सभी शिविरों में पेयजल व्यवस्था/शौचालय निर्माण/आवश्यक दवाईयां/चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना	प्रभारी पदाधिकारी
	पशु शिविरों में आवश्यक दवाएं/ चिकित्सक/पैरा मेडिकल स्टाफ/ पेयजल व्यवस्था/पशुचारा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
शिक्षा विभाग	आंगनबाड़ी केन्द्र/विद्यालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	
आपूर्ति विभाग एवं जिला प्रशासन	शिविर में आपूर्ति की जाने वाली भोजन सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच करना।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी
जिला प्रशासन	शिविरों में विधि/सुरक्षा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	उप विकास आयुक्त
आपूर्ति विभाग	दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजना	प्रभारी पदाधिकारी
जिला प्रशासन	शिविर के प्रभारी पदाधिकारी/ कर्मचारी को दिशा–निर्देश जारी करना एवं उनके द्वारा पंजियों की जांच करना।	उप विकास आयुक्त

कोषांग 12 : नाव परिचालन एवं वाहन

आपदा/जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़	परिवहन विभाग	▪ खाद्य आपूर्ति विभाग ▪ जिला प्रशासन
विभाग	**कार्य**	**जिम्मेदारी**
परिवहन विभाग	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नावों की उपलब्धता	जिला परिवहन पदाधिकारी
	बाढ़ से घिरे हेतु व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना	
	अन्य जिलों से प्राप्त नावों/वाहनों आदि को पंजीबद्ध करते हुए मांग के अनुरूप प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराना।	
	माननीय मंत्री/प्रतिनियुक्तमाल ढोने हेतु पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी को तथा सहाय वितरण हेतु आवश्यकता एवं आदेश के अनुरूप छोटे/बड़े वाहन, ट्यूब व लाइफजैकेट उपलब्ध कराना।	
	नाव मालिकों/नाविकों का पारिश्रमिक भुगतान साप्ताहिक करना	अपर समाहर्ता
	सभी प्रकार के परिवहन के लिए सरकारी के साथ–साथ निजी एजेन्सियों से वाहन लेना और उपलब्ध कराना	जिला परिवहन पदाधिकारी
	आकस्मिक सेवाओं में लगे वाहनों को खोजना	जीएम
	कार्य मैनेजरों के समन्वयन में बसों एवं अन्य भारी वाहनों एवं उपकरणों की समुचित देख–भाल सुनिश्चित करना	
	मोटरबोट का परिचालन	मोटरयान निरीक्षक
	नाव में ट्यूब व लाइफजैकेट की व्यवस्था	
	दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना।	जिला परिवहन अधिकारी
खाद्य आपूर्ति	वाहनों में ईंधन आपूर्ति/अग्रिम मुआवजा धनराशि	जिला खाद्य पदाधिकारी
जिला प्रशासन	गम्भीर आपदा की स्थिति में खोज, राहत एवं बचाव कार्यों हेतु हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना	उप विकास आयुक्त

कोषांग 13 : संचार एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था

आपदा/जोखिम	नोडल विभाग/पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
सभी जोखिम	जिला नजारत	▪ विद्युत प्रमण्डल ▪ दूर संचार निगम लिमिटेड ▪ जिला प्रशासन
विभाग	**गतिविधि**	**जिम्मेदारी**
जिला प्रशासन	जिला नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करना	उप विकास आयुक्त

	स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार संवाद बनाये रखना	
	अन्य विभागों और जिले के अन्य नियंत्रण कक्षों के साथ संवाद बनाये रखना	
दूरसंचार/टेलीकाम कम्पनियां	जब और जैसी जरूरत हो, संचार सुविधा उपलब्ध कराना	जनरल मैनेजर
	जितना शीघ्र संभव हो, प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बहाल करना	
	आपात समय में जिला प्रशासन एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के समन्वयन में आपदाओं के सन्दर्भ में अलर्ट मैसेज प्रसारित करना।	
विद्युत	आवश्यकता पड़ने पर विद्युत आपूर्ति काटना एवं बहाल करना	कार्यपालक अभियन्ता
	खोज एवं बचाव कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना	
	आपदा के समय विद्युत व्यवस्था बनाये रखना।	
	सैन्य बलों के ठहराव/राहत शिविरों में विद्युत आपूर्ति	
	पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफार्मर/विद्युत पोल/तार का भण्डारण	
	यदि आवश्यकता हो तो लोगों को अपने परिवार/दोस्तों से संवाद बनाने के लिए मोबाइल फोन, लैपटाप एवं अन्य विद्युत उपकरणों को चार्ज करने हेतु गतिशील बैटरी चार्जिंग केन्द्र उपलब्ध कराना	एसडीओ
	क्षतिग्रस्त विद्युत संचार लाइनों/व्यवस्था को शीघ्रातिशीघ्र पुनःस्थापित करने हेतु आवश्यक सामग्रियां, मरम्मत संयंत्रों, ट्रांसफार्मरों आदि की त्वरित आपूर्ति प्रारम्भ करना।	

कोषांग 14 : सैन्य बल समन्वय

जोखिम	नोडल विभाग/वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
बाढ़, भूकम्प	गोपनीय शाखा	▪ पुलिस ▪ नजारत ▪ शिक्षा
विभाग	**गतिविधि**	**जिम्मेदारी**
गोपनीय शाखा	सैन्य तथा अन्य बलों की प्राप्ति	अपर समाहर्ता
	सैन्य बलों व अन्य बलों को विभिन्न शिविरों में भेजना व सूचनाओं का पंजी में प्रविष्टि	जिला नजारत उप समाहर्ता
	हवाई जहाज की व्यवस्था करना।	
	प्राप्त बलों के ठहराव व आवासन की व्यवस्था	
	दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना।	

कोषांग 15 : शिक्षा एवं आंगनबाड़ी केन्द्र

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, भूकम्प, सुखाड़, अग्नि	आई0सी0डी0एस0	▪ जिला प्रशासन ▪ शिक्षा विभाग ▪ सामाजिक सुरक्षा
विभाग	**गतिविधि**	**जिम्मेदारी**
शिक्षा विभाग	आपदा के समय पठन–पाठन की व्यवस्था करना	जिला शिक्षा पदाधिकारी
आई0सी0डी0एस0	गर्भवती/धातृ माताओं का सर्वेक्षण कराना	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
	आपदा के समय गर्भवती/धातृ माताओं की उचित देख–भाल सुनिश्चित करना।	
	विशेषकर महिलाओं व किशोरियों के लिए मोबाइल क्लिनिक एवं मेडिकल पोस्टों को तैयार करना तथा समय से मेडिकल कैम्प कराना	
	आंगनबाड़ी केन्द्रों का सफल संचालन करना।	
	आपदा राहत शिविरों में बच्चों के पठन–पाठन, खेलकूद एवं पोषाहार वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करवाना	

कोषांग 16 : नाव घाट संचालन

आपदा/जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़	परिवहन	जिला प्रशासन
विभाग	**कार्य**	**जिम्मेदार व्यक्ति**
आपदा प्रबन्धन	नाव पर क्षमता से अधिक लदान नहीं होने देना	वरीय उप समाहर्ता
	सरकारी नाव पर **"निःशुल्क"** लाल अक्षरों में अंकित कराना	
	नाविकों की लाग बुक की जांच/ पंजीकरण संख्या इत्यादि अंकित करना	
	सुर्यास्त के पश्चात् नाव संचालन पर रोक लगाना/प्रतिवेदन देना	

कोषांग 17 : एन0जी0ओ0 समन्वय

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	जिला प्रशासन ;रेडक्रास के माध्यम सेद्ध	▪ लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ▪ जिला उद्योग केन्द्र
विभाग	**गतिविधि**	**जिम्मेदारी**
जिला प्रशासन	बाढ़ के समय एन0जी0ओ0 से प्राप्त सामग्रियों का संग्रहण /भण्डार पंजी में प्रविष्टि	रेडक्रास सोसायटी
	आवश्यकता आकलन कार्य में एन0जी0ओ0 का सहयोग लेना	
	राहत व बचाव कार्यों में एन0जी0ओ0 विषय विशेषज्ञों का सहयोग लेना।	
	साफ–सफाई, विसंक्रमणीकरण आदि विषयों पर जागरूकता कार्यों में एन0जी0ओ0 का सहयोग लेना	

सेना,एन.डी.आर.एफ. /एस.डी.आर.एफ., पुलिस, अग्निषमन व नागरिक सुरक्षा कोर से समन्वय एवं विशिष्ट कार्य

सेना

थल सेना, वायु सेना की आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार निर्धारित प्रकिया से उनकी सेवाएं प्राप्त करती है। बिहार राज्य के लिए नोडल इकाई बिहार झारखण्ड सबेरिया मुख्यालय, दानापुर है। जहां अनुरोध करने पर थल सेना की इकाईयां प्राप्त होती हैं। वायुसेना के लिए रक्षा मंत्रालय अथवा शिलांग एवं इलाहाबाद में स्थापित एयर कमान से अनुरोध कर प्राप्त किया जा सकता है। वैसे जिला पदाधिकारी भी अपने जिले में कार्यरत सेना के कार्यालय को अनुरोध कर सकते हैं।

एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0

एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ केन्द्र व राज्य स्तर पर आपदा के दौरान त्वरित क्रियान्वित होने वाली सशक्त टीम होती है जो केन्द्र व राज्य सरकार के अधीन एवं निर्देशन में केन्द्रीय स्तर पर व अपने राज्य में काम करती और आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार की अनुमति पर दूसरे राज्य के आपदा में भी सहयोग करती है।

एन0डी0आर0एफ0 की एक बटालियन राज्य के अधीन बिहटा में स्थापित है। राज्य में एस0डी0आर0एफ0 भी गठित है, जिसकी प्रतिनियुक्ति अति संवेदनशील जिलों में लगातार रहती है। सुपौल जिले में एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ0 प्रतिनियुक्त है। जिला में आपदा के समय जिला स्तर पर प्रतिनियुक्त एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 का उपयोग होगा। यदि उससे अधिक की आवश्यकता होगी तब राज्य से अतिरिक्त बल की मांग की जायेगी। रिस्पान्स के दौरान इनके द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जाती हैं–

- किसी भी प्रकार प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदा स्थिति में बचाव एवं राहत के लिए विशिष्ट दक्षता के साथ रिस्पान्स का कार्य करना।
- लम्बे समय तक आपदा की स्थिति बने रहने पर कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्र अथवा लोगों को प्रदूषण रहित बनाना।
- मलबों की साफ–सफाई सुनिश्चित करना।

- मृत शरीरों का निस्तारण सुनिश्चित करना।
- आपदा से प्रभावितों/पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
- घायलों को तुरन्त में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना।
- आपदा के दौरान या बाद में राहत वितरण कराने में स्थानीय प्रशासन की मदद करना।
- बचाव एवं राहत कार्यों में लगे अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

पुलिस

आपदा की दृष्टि से पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुलिस की भूमिका आपदा के दौरान प्रथम उत्तरदाता की होती है अर्थात् किसी भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा की स्थिति में आपदास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाला विभाग पुलिस ही होता है। आपदा काल के दौरान पुलिस जिला में कानून–व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के साथ ही बचाव एवं राहत कार्यों में लगी संस्थाओं/एजेन्सियों के साथ भी सहयोग करती है। आपदा के दौरान पुलिस द्वारा की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियां निम्नवत् हैं –

- स्थानीय प्रशासन के निकट सहयोग से खोज–बचाव तथा निष्कासन अभियान में भाग लेना।
- प्रभावी विधि–व्यवस्था बनाये रखने तथा निष्कासित जनसंख्या की सुरक्षा हेतु प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बलों की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में अपराधिक एवं असामाजिक तत्वों एवं गतिविधियों पर विशेष नजर रखना एवं आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध उचित कदम उठाना।
- राहत शिविरों राहत सामग्रियों एवं प्रभावितों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था करना।
- संवेदनशील तटबंधो एवं अन्य खतरनाक स्थलों पर सुरक्षा प्रहरी उपब्लध कराना।
- आपदा प्रभावित बस्तियों/गृहों की सुरक्षा व्यवस्था करना।
- मुनाफाखोरों, कालाबाजारियों इत्यादि के विरूद्व अभियान में स्थानीय प्रशासन की मदद करना।
- आपदा से क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्तियों एवं संरचनाओं की सुरक्षा।
- क्षतिग्रस्त सडकों, पुलों इत्यादि के आस–पास की आपात् यातायात व्यवस्था का प्रबंधन।
- घिरे हुये व्यक्तियों को बचाने तथा लाशों के निष्पादन में स्थानीय प्रशासन की सहायता करना।
- राहत शिविरों एवं अन्य स्थानों पर राहत सामग्री वितरण के समय भीड़ एवं विधि व्यवस्था पर नियंत्रण।
- भगदड़ संभावित क्षेत्रों, स्थानों, अवसरों की पूर्व पहचान एवं आवश्यक पुलिस व्यवस्था।
- बाढ़ के दौरान प्रभावित क्षेत्रों से जनसमुदाय के बचाव हेतु एस0डी0आर0एफ0/अग्निशमन की सहायता सुनिश्चित करना।

अग्नि शमन

- आग की सूचना मिलने पर तत्काल आपदा स्थल पर जाना और जान–माल की सुरक्षा करना।
- समुदाय के बीच निरन्तर जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि कार्यक्रम करना जिससे कि समुदाय प्रशिक्षित और जागरूक हो जाय। विशेषकर स्कूलों कालेजों, व्यवसायिक संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, अस्पतालों आदि में।
- खेतों, खलिहानों में लगने वाली आग से बचाव के लिए थ्रेशर चालकों व मालिकों को जागरूक करना।
- भूकम्प अथवा वैसी आपदा जिसमें किसी भवन इत्यादि से लोगों को सुरक्षित निकालने की आवश्यकता हो, उस समय एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 को सहयोग देना।
- मुख्यालय, प्रमंडल एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना सुनिश्चित करना।

नागरिक सुरक्षा

- यह संगठन भी राज्य में प्रशिक्षित संगठन है, परन्तु इस जिले में गठित नहीं है।

अध्याय : 8

पुनर्निर्माण वपुनर्वासद्वारा पुनर्प्राप्ति

(Recovery through Reconstruction and Rehabilitation)

विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद सभी प्रकार की रिकवरी के लिए पुनर्निर्माण के साथ–साथ पुनर्वास कार्यक्रमों को अपनाने की आवश्यकता पहले से अधिक होती है। पर्याप्त ज्ञान, क्षमता एवं प्रबन्धन कौशल की कमी के कारण अक्सर इस तरह के कार्यक्रम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, जिनकी वजह से आजीविका और शरणालयों के साथ ही अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे – जल, स्वच्छता, बिजली आदि के पुनर्निर्माण में लम्बा समय लग जाता है। इसलिए आपदाओं के बाद सुरक्षित और स्थाई पुनर्प्राप्ति भविष्य में आने वाली आपदाओं के विरूद्ध अनुकूलता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। पुनर्प्राप्ति हेतु किये जाने वाले पुननिर्माण व पुनर्वास के कार्यों को Build Back Betterके सिद्धान्त के आधार पर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक होगा। अर्थात् पुननिर्माण के कार्यों को पहले की संरचना से बेहतर व आपदारोधी कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

8.1 पुनर्निर्माण

आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की गतिविधियां शामिल हैं। तात्कालिक गतिविधियों में क्षति आकलन, राज्य आपदा राहत कोष एवं अन्य विशिष्ट योजनाओं के तहत् निर्धारित मानकों के अनुसार प्रभावितों को राहत उपलब्ध कराना, महामारी की रोक–थाम, क्षतिग्रस्त ढांचों के सुधार, मरम्मत तथा मजबूती से सम्बन्धित गतिविधियां शामिल हैं, जबकि दीर्घकालिक निर्माणात्मक गतिविधियों में बहु खतरा सुरक्षित आवास निर्माण, आजीविका का पुनर्स्थापन, बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान आदि के साथ ही मनोवैज्ञानिक, सामाजिक–आर्थिक, पर्यावरणीय एवं कृषिगत पुनर्वास सम्मिलित है।

अ. तात्कालिक पुनर्निर्माण गतिविधियां

क्षति का आकलन

- सहाय वितरण के लिए आवश्यक होगा कि गृह क्षति, भूमि क्षति (भूमि पर बालू का जमाव), पशु क्षति, बर्तन एवं वस्त्र आदि की क्षति, फसल क्षति, मछुआरों के नाव–जाल आदि की क्षति आदि का विस्तृत आकलन किया जाना चाहिए। क्षति का आकलन करने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित की जायेंगी तथा सभी प्रकार की क्षति की डिजिटल कैमरे से तिथियुक्त फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करा ली जानी चाहिए।
- भूमि एवं फसल क्षति के आकलन के लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा कृषि विभाग के जिला कृषिपदाधिकारी तथा राजस्व विभाग के पदाधिकारियों को सम्मिलित जवाबदेही दी जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जमीन की मापी वजमीन पर स्वामित्व आदि के प्रश्नों को स्थापित कानूनों के अनुसार बिना देर किये हल कर दिया जाये। फसल क्षति हेतु अनुदान रबी की फसल की बुवाई के पहले भुगतान कर दिया जाना चाहिए ताकि जिन किसानों की फसल बाढ़ से बरबाद हो गयी है, उन्हें रबी की फसल उगाने हेतु सहायता मिल सके।
- बाढ़ के दौरान सड़क, पुल– पुलियों, विद्युत संचरण लाइन, दूर संचार माध्यमों, सरकारी भवनों, अस्पतालों/दवाओं, जलापूर्ति योजनाओं, चापाकलों, वन सम्पदा आदि की क्षति का आकलन सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। जिला पदाधिकारी क्षति आकलन का समन्वय करेंगे तथा

आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करेंगे। क्षति के आकलन के उपरान्त उनके त्वरित पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के लिए सम्बन्धित विभागों को प्रस्ताव भेजे जाने जाने चाहिए।

- पारदर्शिता बनाये रखने के लिए क्षति के आकलन के समय यथानुसार पंचायत/वार्ड अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का सहयोग एवं परामर्श प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

राहत वितरण

- क्षति का आकलन करने के तुरन्त बाद प्रभावित व्यक्तियों को निर्धारित मानदर के अनुसार राहत वितरण का कार्य आरम्भ किया जायेगा। राहत वितरण यथानुसार वार्ड/पंचायत स्तरीय समितियों के पर्यवेक्षण/परामर्श से किया जायेगा। राहत वितरण के साथ–साथ मनुष्य एवं पशुओं के जान की क्षति के लिए भी नियमानुसार क्षति की भरपाई के लिए सहाय मानदर के अनुसार भरपाई की जायेगी। इसी के साथ–साथ मृत एवं घायल व्यक्तियों के परिवारों को भी निर्धारित मानदर के अनुसार सहायता प्रदान की जायेगी।
- आपदा के दौरान प्रभावित परिवारों को एक माह के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार खाद्यान्न का वितरण तथा नगद अनुदान का भुगतान किया जाना चाहिए। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए अगले माहों के लिए भी मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की सहमति से खाद्यान्न वितरण आदि का निर्णय लिया जाना चाहिए।
- आपदाग्रस्त क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को रबी की बुवाई हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में रणनीति बना ली जानी चाहिए।
- क्षतिग्रस्त फसल यदि फसल बीमा के अन्तर्गत आच्छादित हो तो सहकारिता विभाग द्वारा यथाशीघ्र फसल बीमा की राशि के भुगतान हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए।
- आपदा के उपरान्त राहत कैम्प/मेगा राहत कैम्पों में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित मानकों के अनुरूप राहत सामग्री उपलब्ध करायी जानी चाहिए।(इस सन्दर्भ में विभागीय निदेश पत्रांक 2493/आ0प्र0 दिनांक 5.09.08 का सन्दर्भ लिया जायेगा।)

महामारी की रोक–थाम

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की सर्वाधिक आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग द्वारा महामारी की रोक–थाम हेतु निरोधात्मक कदम उठाये जाने चाहिए।

क्षतिग्रस्त ढांचों का सुधार, मरम्मति तथा मजबूती

सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन आधारभूत संरचनाओं की क्षति के आकलन कराने के पश्चात् उनके त्वरित पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही की जानी चाहिए। इस सन्दर्भ में किये जाने वाले कार्यों को निम्नवत् देख सकते हैं –

कद्ध सुधार : सुधार का मुख्य उद्देश्य भवनों को तुरन्त काम में लाना है। सुधार के लिए निम्न बिन्दु अपनाये जा सकते हैं –

- छोटी–मोटी कमियों को दूर करना, जैसे दीवारों में दरारें, गिरे प्लास्टर को सही करना।
- खिड़कियों, दरवारों की मरम्मत करना।
- बिजली वायरिंग में हुई तकनीकी खामी को जांचना तथा मरम्मत करना।
- गैस पाइप, पानी पाइप, सीवरेज तथा अन्य प्लम्बिंग से जुड़ी सुविधाओं की जांच करना तथा मरम्मत करना।
- टूटे हुए दीवारों, छतों, फर्श में पड़ी दरारों आदि की मरम्मत करना तथा इस पर पुनः रंगाई–पुताई करना।

खद्ध मरम्मति : इसमें मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त हिस्से को पुनः बनाया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्न बिन्दु आते हैं –

- दरार पड़े मोटे–मोटे दीवारों को हटाकर उनके स्थान पर नये पतले एवं कम स्थान घेरने वाले दीवारों को बनाना।
- दरार पड़े दीवारों को दोनों तरफ से मजबूत जाल से बांधकर उसे बढ़िया तरीके से बोल्ट से कस देना ताकि दीवार मजबूत रहे। इसके लिए बहुत से विकल्प उपयोग किये जा सकते हैं।
- दीवारों, कालमों, बीमों आदि के बीच की दरारों को भरने के लिए प्राक्सी सामग्रियों का उपयोग करना।

जहां पर ढांचागत मरम्मत या सुधार जरूरी हो, वहां पर पहले हल्का सुधार कराना सही होता है ताकि सामग्रियों की बरबादी एवं अव्यवस्था से बचने के लिए पर्याप्त नियोजन करने हेतु समय मिल जाये।
गद्ध मौजूदा भवनों को मजबूत करना : वास्तविक मजबूती को और अधिक उन्नत करने को ही मजबूती प्रदान करना कहते हैं। किसी भी आपदा के बाद जब भवनों का आकलन किया जाता है और यह पाया जाता है कि ये भवन फिलहाल तो मजबूत हैं, लेकिन आगामी किसी भी प्रकार की आपदा को यह सह नहीं पायेंगे तो ऐसी स्थिति में उन्हें और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता होती है। मजबूती की यह प्रक्रिया निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत सम्पादित की जा सकती है –
- दीवारों और कालमों की संख्या बढ़ाकर या दीवार का क्षेत्रफल बढ़ाकर या सुदढ़ीकरण करते हुए दोनों तरफ से उसे मजबूत बनाया जा रहा है।
- एक दीवार को दूसरी दीवार से या एक कालम को दूसरी कालम से समुचित रूप से जोड़ना ताकि भूकम्प आदि के आने की स्थिति में दीवारों के गिरने की आशंका कम से कम रहे तथा सभी सदस्य सुरक्षित रहें।
- सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना।

ब. दीर्घकालिक गतिविधियां

रिकवरी की सम्पूर्ण प्रक्रिया में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, मानसिक आघात से उबरने हेतु आवास एवं उससे सम्बद्ध ढांचोंका पुनर्निर्माण आपदा के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः आपदा प्रभावित समुदायों के स्थाई विकास के लिए इसमें आवास, ढांचा, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण आदि के पुनर्वास सहित व्यापक व सघन गतिविधियां करनी होगीं। इसके अन्तर्गत प्रभावित समुदायों के साथ मिलकर निम्नलिखित गतिविधियों एवं माध्यमों को पुनर्निर्माण प्रक्रिया में एक संगठित स्वरूप में शामिल करना होगा। इससे समुदाय का स्थाई विकास सुनिश्चित होगा।

कद्ध डिजाइन एवं सामग्री : आवास के पुनर्निर्माण के लिए उपयुक्त डिजाइन होना चाहिए। जैसे बनने वाले आवास सांस्कृतिक रूप से मान्य, पर्यावरणसम्मत एवं समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होने चाहिए। आवास में उपयोग की जाने वाली सामग्री और तकनीक भी आपदा को ध्यान में रखकर होनी चाहिए तथा वह भी समुदाय की जानकारी में होना चाहिए ताकि जब उन्हें आवास दिया जाये तो वे उसकी देख–भाल करने में सक्षम हों। ज्यादा अच्छा होगा कि जिन्हें आवास में रहना है, उनकी देख–रेख में ही आवास बने।

खद्ध आपदा रोधी(Resilient)निर्माण : आपदा के बाद पुनर्निर्माण की गतिविधियों के अन्तर्गत आपदारोधी आवास बनाने हेतु तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में भवन एवं सड़क निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग एवं अन्य सदस्य होंगे, जो build, back, better के सिद्धान्तों पर आपदारोधीआवास बनाना सुनिश्चित करेंगे। ये सदस्य बहु आपदारोधी डिजाइन तैयार करने और पूरी निर्माण प्रक्रिया की निगरानी में सहयोग करेंगे। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि आपदारोधीतकनीकों को विभिन्न योजनाओं एवं विकासात्मक परियोजनाओं में शामिल किया जाये जिससे उन योजनाओं के फण्ड को आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। उदाहरण के लिए इन्दिरा आवास योजना एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भवन निर्माण से सम्बन्धित अन्य योजनाएं।

गद्धगृहस्वामियों का उन्मुखीकरण : आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए यह एक उल्लेखनीय माध्यम है। इसमें आवास के स्वामी को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार आवास बनवा ले। इस तरीके में जिला प्रशासन निर्माण गतिविधि के लिए सिर्फ अनुदान एवं तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है। इससे लोगों के अन्दर स्वामित्व की भावना उपजती है तथा उन्हें अपने सामाजिक पूंजी को यथावत बनाये रखने

में मदद मिलती है। साथ ही लोगों के जुड़ने से लागत घटाने तथा समुचित निगरानी करने में सहायता मिलती है।

ब.1 आधारभूत सुविधाएं

सभी पुनर्निर्माण एवं रिलोकेशन साइटों पर निम्नलिखित आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा–

कद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- यह समिति स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर विभिन्न निर्माण एजेन्सियों एवं विभागों जैसे प्राइवेट एजेन्सियों, भवन एवं सड़क निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग, भवन बोर्ड आदि से समन्वय स्थापित करेगी और सभी पुनर्निर्माण साइटों पर आवश्यक ढांचों सहित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।
- इसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि का उपयोग किया जा सकता है।

खद्ध शिक्षा सुविधाएं :

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों पर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- यह समिति शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जिले में आपदा प्रभावित बच्चों/छात्रों के लिए शिक्षा देना सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न निर्माण एजेन्सियों एवं विभागों जैसे भवन एवं सड़क निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग आदि से समन्वय स्थापित करेगी।
- इसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे आंगनबाड़ी कार्यक्रम, क्रेच कार्यक्रम, बाल पुस्तकालय आदि का उपयोग किया जा सकता है।

गद्ध जल

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों पर निरन्तर जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- पाइपलाइनों एवं अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग द्वारा पीने एवं अन्य उपयोग हेतु पानी की अबाध आपूर्ति भी यह समिति सुनिश्चित करेगी।
- समुचित जल संग्रहण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इकाई का गठन भी यह समिति विभिन्न पुनर्निर्माण एजेन्सियों के साथ मिलकर करेगी।

घद्ध जल निकासी एवं साफ–सफाई कीसुविधाएं

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों के लिए यथोचित जल निकासी एवं साफ–सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- पुनर्वास साइटों पर समुचित ड्रेनेज प्रणाली एवं अन्य हाइजिन एवं सैनिटेशन गतिविधियां सुनिश्चित करने हेतु लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग तथा निर्माण एजेन्सियों जैसे – प्राइवेट एजेन्सियों, भवन एवं सड़क निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग, आवास बोर्ड आदि के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

चद्ध बिजली

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों के लिए बिजली एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- सभी पुनर्वास साइटों पर स्थाई कनेक्शन के साथ बिजली एवं सम्बन्धित ढांचों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु यह समिति बिजली विभाग एवं नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

छद्ध परिवहन एवं एक से दूसरे सम्पर्क मार्गों को जोड़ने की सुविधाएं

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणजिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों के लिए यथोचित सड़क एवं परिवहन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक समिति का गठन करेगा।

- पुनर्निर्माण साइटों के लिए परिवहन एवं सड़क सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, बिहार रोडवेज, भवन एवं सड़क निर्माण विभाग आदि के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

8.2 पुनर्वास

आपदा के बाद पुनर्वास एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें आजीविका पुनर्स्थापन, मानसिक देख–भाल, पर्यावरणीय पुनर्वास आदि विभिन्न पहलू शामिल होते हैं। पुनर्वास प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मजबूत सम्बन्ध स्थापित करने तथा जिले में समुदाय के साथ काम करने के अवसरों को देखने की आवश्यकता होगी।

पुनर्वास प्रक्रिया में मुख्य तौर पर निम्न बिन्दुओं पर पुनर्वास का खाका तैयार करना होगा–

- **सामाजिक–आर्थिक पुनर्वास :** सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के तहत् आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की आपदा के बाद आजीविका सुनिश्चत करने, आजीविका में स्थाईत्व लाने तथा सुधार करने की प्रक्रिया पर जोर दिया जायेगा। इस हेतु जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में एक समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्न बिन्दुओं पर काम करेगी–
  - ✓ आजीविका के क्षेत्र में सुधार, आजीविका के नये–नये अवसरों की पहचान तथा इस हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों ;मनरेगा, पशुपालन, बीज उत्पादन आदिद्ध से जुड़ाव सुनिश्चित करना।
  - ✓ समुदाय स्तर पर प्लेस्कूलों आदि की स्थापना करना तथा आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल से पहले शिक्षा, नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण, खेल–कूद एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करना।
  - ✓ आपदा प्रभावित विधवाओं, बेसहारा व्यक्तियों को पंजीकृत करना तथा उन्हें समाज कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना।
  - ✓ आपदा के बाद वृद्धों को पुनः सुचारू जीवन–यापन चलाने हेतु व्यवस्था प्रदान करने के लिएवृद्धों का पंजीकरण करना तथा वृद्धावस्था की तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना।
  - ✓ शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को कृत्रिम हाथ, पैर, सुनाई देने की मशीन, व्हील चेयर्स आदि प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी एजेन्सियों जैसे समाज कल्याण विभाग, रेडक्रास सोसायटी आदि से सम्पर्क स्थापित करना तथा इन्हें स्कालरशिप आदि दिलाने की व्यवस्था करना।
  - ✓ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों से जुड़े प्रभावित लोगों की आजीविका में सहयोग करने हेतु समाज कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित करना तथा इन्हें तकनीकी कौशल प्रदान करना।

- **मनौवैज्ञानिक पुनर्वास**
  - ✓ आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मानसिक आघात से उबारने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा।
  - ✓ आपदा प्रभावित समुदायों को मानसिक आघात से उबारने हेतु यह समिति स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर समुदाय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां संचालित करेगी।
  - ✓ आपदा प्रभावित बच्चों के मनोवैज्ञानिक देख–भाल हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे बाल भवन, खेल का मैदान, हॉबी क्लासेज आदि प्रयुक्त की जा सकती हैं।

- **कृषिगत पुनर्वास**
  - ✓ जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एक कृषिगत पुनर्वास समिति का गठन करेगी, जो आपदा की वजह से मृदा की उर्वरता एवं संरचना में आये बदलाव की स्थिति में मृदा सुधार कार्य सुनिश्चित करेगी।
  - ✓ समिति कृषि विभाग के सहयोग से जिले में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करेगी, जो कृषिगत पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने तथा शोध कार्य करने का काम करेगी।
  - ✓ कृषिगत पुनर्वास पर काम करने के लिए समिति जिले में काम करने वाली स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेगी।

- ✓ मृदा में आये बदलाव को देखते हुए समिति फसल पद्धति, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उचित संयोजन आदि के बारे में भी सुझाव देगी और इस तरह का एक मॉडल भी तैयार करेगी।

- **पर्यावरणीय पुनर्वास**
  - ✓ जलस्रोतों, हवा, मिट्टी प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं से निपटने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणएक पर्यावरणीय पुनर्वास समिति का गठन करेगी।
  - ✓ यह समिति प्रदूषण के स्तर की जांच करने, उसे नियंत्रित करने व निगरानी करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन एवं पर्यावरण विभाग, कृषि विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेगी।
  - ✓ यह समिति पुनर्वास साइटों की निगरानी करेगी और प्रदूषण घटाने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

- **सामाजिक पूंजी का पुनर्स्थापन**
  - ✓ आवास वितरण के दौरान भी लोगों के सामाजिक संबंध पहले की तरह ही बने रहें, इस हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एक सामाजिक पूंजी पुनर्स्थापन समिति का गठन करेगी।
  - ✓ आवास आवंटन प्रक्रिया से लोगों के सामाजिक संबंधों पर असर न पड़ने देने के लिए समिति वितरण एजेन्सी के साथ समन्वय स्थापित करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जिन परिवारों के बीच आपसी ताल–मेल बेहतर है, उन्हें आस–पास के मकान आवंटित किये जायें।

पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है और सभी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं, इस बात की निगरानी का प्रावधान जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत किया गया है।

अध्याय : 9

बजट एवं वित्तीय संसाधन

(Budget & Financial Resources)

किसी भी योजना के सफलीभूत होने के लिए उसके वित्तीय पक्ष को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना में शामिल की गयी गतिविधियों/क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था एक आवश्यक अंग है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला सभी स्तरों पर आपदा रिस्पान्स फण्ड और आपदा न्यूनीकरण फण्ड उपलब्ध कराता है। अधिनियम की धारा 46 ;1द्ध एवं धारा 48 ;1द्ध के अनुसार गृह मंत्रालय के आपदा प्रबन्धन विभाग ने वर्ष 2010 में पत्रांक सं0 32–3/2010–एनडीएम–1 दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स फण्ड एवं राज्य आपदा रिस्पान्स फण्ड का गठन किया है। इसी अधिसूचना के माध्यम से आपदा राहत कोष को राज्य आपदा राहत कोष में बदल दिया गया। 13वें वित्तीय आयोग के अन्तर्गत, कोष की यह व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष का उद्देश्य विशेष रूप से न्यूनीकरण के उपायों के लिए फण्डिंग करना है।

एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ0 फण्ड के उपयोग के सन्दर्भ में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2015 में राज्य के सभी मुख्य सचिव एवं आपदा प्रबन्धन विभाग को जारी दिशा निर्देश के अनुसार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच सहाय वितरण हेतु मदों की सूची तथा मानदर निर्धारित किया गया है। इसमें माह फरवरी एवं मार्च, 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति को भी सम्मिलित करते हुए नये मानदर के अनुसार अनुमान्य भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी (संलग्नक 98)। यह मानदर अप्रैल, 2015 से 2020 तक लागू होगा।

वर्तमान समय में बिहार सरकार आपदा प्रवण क्षेत्रों में मोटरबोटों की खरीदी, वेयर हाउसों के निर्माण, इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टरों को मजबूती प्रदान करने, जिले में बाढ़ से बचाव की दृष्टि से महाजाल, लाइफजैकेट आदि की खरीदी करने, संचार सम्बन्धी उपकरणों की खरीदी एवं उसके रख–रखाव तथा आपदा से सम्बन्धित पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने व आपदा न्यूनीकरण के उपर हितभागियों के क्षमता वर्धन कार्यों में निवेश कर रही है। जैसाकि अधिनियम के अन्तर्गत सभी विभागों की अपनी अलग आपदा प्रबन्धन योजना होना अनिवार्य है। अतः ऐसी स्थिति में सभी विभागों द्वारा यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वे राज्य स्तर पर अपने–अपने वार्षिक विभागीय योजना में आपदा प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए अलग से बजट का प्रावधान करें।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जो आपदा प्रबन्धन की दिशा में उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके अन्तर्गत राज्य में चलाये जा रहे इन्दिरा आवास योजना, मनरेगा, सात निश्चय, शताब्दी अन्न कलश योजना आदि कार्यक्रम हैं। जिनके उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से आपदा प्रबन्धन हेतु बजट की बात नहीं कही गयी है, परन्तु उनके कार्य बिन्दुओं में दिये गये कार्यों को आपदा से रोक–थाम, शमन, पूर्व तैयारी, पुनर्निर्माण जैसे आपदा प्रबन्धन के घटकों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार तथा 13वें वित आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रीयआपदा राहत निधि (Clamity Relief Fund (CRF)) के स्थान पर राष्ट्रीयआपदा रिस्पान्स निधि का गठन भारत सरकार स्तर पर हुआ। राष्ट्रीयआपदा रिस्पान्स निधि की प्रशासकीय व्यवस्था राष्ट्रीयकार्यकारी समिति के हाथ में होती है। गम्भीर आपदा आने की स्थिति में, जब राज्य आपदा रिस्पान्स निधि से राहत कार्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है, उस समय कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि के मद से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। इस हेतु यह आवश्यक होता है कि राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रवार नुकसान तथा आवश्यक निधि का उल्लेख करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने के बाद, एक अन्तर–मंत्रालय केन्द्रीय टीम का गठन कर उन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि वे क्षति का भौतिक आकलन करते हुए मौजूदा सामग्रियों तथा मानकों के अनुसार राहत कार्यों के लिए आवश्यक निधि का आकलन करें। अन्तर–मंत्रालय टीम/राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गृह सचिव द्वारा विचार–विमर्श करने के उपरान्त वित मंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मिलाकर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट तथा अन्तर–मंत्रालय टीम की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया जाता है और वर्तमान सामग्रियों तथा मानकों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्सनिधि से धनराशि संस्तुत की जाती है। आपदा की स्थितियों में तात्कालिक तौर पर केन्द्र द्वारा राज्य आपदा रिस्पान्स निधि के अन्तर्गत अपने 75 प्रतिशत अंशदान का शेष भाग उपलब्ध करा दिया जाता है। राज्य आपदा रिस्पान्स निधि/राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि से किया जाने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जो वित मंत्रालय के सहयोग के साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित राज्य आपदा रिस्पान्स निधि और राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि से किये जाने वाले खर्चों के मानकों एवं पात्र आपदाओं में राहत के लिए आवश्यक वस्तुओं के अनुसार ही खर्च की जाती है।

राज्य आपदा राहत निधि

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार तथा 13वें वित आयोग की संस्तुतियों के आधार पर आपदा राहत निधि (Clamity Relief Fund (CRF)) के स्थान पर राज्य आपदा रिस्पान्स निधि का गठन हुआ। इस निधि में 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का होता है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपना अंशदान दो चरणों में जून व दिसम्बर माह में जारी किया जाता है। ठीक इसी प्रकार, राज्य सरकार भी राज्य आपदा रिस्पान्सनिधि के खाते में अपना 25 प्रतिशत अंशदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो चरणों में ;जून व दिसम्बर माह मेंद्ध स्थानान्तरित करता है। किसी विशिष्ट आपदा के आने की आशंका होने की स्थिति में, यदि गृह मंत्रालय उसका संज्ञान लेता है तो राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार आने वाले वर्ष का 25 प्रतिशत अग्रिम में दे सकता है, जिसे आगामी वर्ष के अंशदान में समायोजित कर लिया जायेगा। संविधान के दिशा–निर्देशों तथा भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे राज्य आपदा रिस्पान्स निधि के प्रशासन के अनुसार बाढ़, भूकम्प, अगलगी,,एवं कीटों के आक्रमण से प्रभावितों को फौरी तौर पर राहत उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा रिस्पान्स निधि का उपयोग किया जायेगा। राज्य आपदा रिस्पान्सनिधि के राहत से सम्बन्धित सभी तात्कालिक खर्चों से जुड़े विषयों का निर्णय राज्य के प्रमुख सचिव द्वारा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री राहत कोष

राज्य स्तर पर, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित, या फिर सड़क, वायु या रेल दुर्घटनाओं में प्रभावित लोगों को तत्काल सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष की स्थापना की गयी है।

9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायक योजनाएं/कार्यक्रम, जुड़ाव का स्वरूप व कार्यदायी संस्थाएं

तालिका 33 : आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायक केन्द्र व राज्य की योजनाएं एवं जुड़ाव का स्वरूप

योजना	जुड़ाव का स्वरूप	कार्यदायी संस्था
केन्द्र सहायतित योजना		
अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं को सशक्त करना।	इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बहु आपदाओं को ध्यान में रखते हुए अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे किसी भी प्रकार की आपदा में प्रथम रिस्पान्डर के तौर पर रिस्पान्स करने में सक्षम हो सकें।	गृह विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग, वित्त

	● इसके अन्तर्गत अग्नि आपदा से बचाव सम्बन्धी उपकरणों जैसे अग्निशामक यंत्रों, हौज पाइपों आदि की खरीदी सुनिश्चित करना। ● अग्नि बचाव से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रम व स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम चलाना। ● खोज एवं बचाव के ऊपर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करना। ● अगलगी से उत्पन्न खतरों एवं जोखिम का आकलन करना।	विभाग
मनरेगा	इस योजना के अन्तर्गत आपदा – बाढ़ व सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को निश्चित आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजनाओं से जुड़ाव के माध्यम से वे आपदा के बाद आसानी से राहत कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राहत कार्यों के लिए लिए अन्य स्थानों से कोष तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण, खेत का समतलीकरण, तालाब की खुदाई आदि कार्यों के माध्यम से आपदा को कम करने में सहायता मिलेगी। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेतों की मेड़बन्दी, चेकडैम, तालाब–पोखरों का गहरीकरण आदि कार्य सूखा आपदा को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे।	ग्रामीण विकास विभाग
नमामि गंगे	इस योजना के तहत् गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करते हुए उन्हें संरक्षित एवं पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
रिवर बेसिन मैनेजमेण्ट	केन्द्र सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के मुख्य नदी बेसिन के क्षेत्रीय संसाधनों का मूल्यांकन कर वहां पर चलाये जा रहे योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता के सन्दर्भ में मूल्यांकन करना है। बिहार राज्य में इस योजना के माध्यम से गंगा एवं उसकी सहायक नदी ;कोसीद्ध में बढ़ते अवसादों (segmentation) के कारण बढ़ रहे बाढ़ के प्रकोप को समझने एवं उसको कम करने के उपाय को अपनाने हेतु सहायक हो सकते हैं।	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
नेशनल रिवर कन्जरवेसन प्लान	यह योजना केन्द्र सरकार के र्प्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत् देश के सभी छोटी–बड़ी नदियों एवं नदी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी असंतुलन को कम करने तथा बचाने हेतु राज्य सरकार को यथोचित बुनियादी ढांचों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना	2018 में लागू इस योजना के तहत् अनपेक्षित घटनाक्रम ;बाढ़, सूखा, आंधी–तुफानद्ध के कारण फसल हानि व क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जिससे किसान विपरीत परिस्थितियों में भी खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, प्रतिस्पर्धा में सक्रिय साझेदारी कर सकें।	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिला एवं उपजिला स्तर पर सिंचाई साधनों में निवेश कर जल संसाधन का बेहतर उपयोग करना है।	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन	स्वच्छ भारत मिशन एक अभियान है, जिसके तहत् ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके साथ ही इस मिशन के माध्यम से लोगों को शौचालय बनाने हेतु अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से पेयजल एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को कम करते हुए आपदा के दौरान एवं बाद में फैलने वाली जल एवं विषाणु जनित बीमारियों के प्रकोप को कम किया जा सकता है।	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
इन्दिरा आवास योजना एवंप्रधानमंत्रीआवास योजना	आपदा से प्रभावितों को आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक प्रभावी योजना है। प्रत्येक वर्ष इन्दिरा आवास योजना का 10 प्रतिशत इस उद्देश्य हेतु रेखांकित होता है। सार्वजनिक सम्पत्तियों जैसे स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि के पुनरूद्धार के लिए इन योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये फण्डों का उपयोग किया जा सकता है।	योजना एवं विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग व वित्त विभाग
राज्य सहायतित योजना		

बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना 2015	विशेषकर बंटाईदार किसान इस योजना से जुड़ाव कर आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करने में सक्षम हो सकते हैं।	कृषि विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग
शताब्दी अन्न कलश योजना	बाढ़ व सुखाड़ दोनों परिस्थितियों के लिए शताब्दी अन्न कलश योजना का प्रावधान है।	खाद्य एवं उपभोक्ता सुरक्षा विभाग
मिड–डे–मील	बाढ़ व सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खाद्य आपूर्ति की एक बेहतर योजना है।	शिक्षा विभाग, आपदा प्रबन्धन योजना
मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम	विशेषकर बच्चों में आपदा रोक–थाम, शमन, पूर्व तैयारी सहित आपदा प्रबन्धन के सभी घटकों के उपर कौशल विकास एवं क्षमता वर्धन करने का कार्य इस योजना के अन्तर्गत किया जाता है। इसके तहत् **'सुरक्षित शनिवार'** के नाम से चलाये जा रहे कार्यक्रम में प्रत्येक शनिवार को बच्चों को आपदा प्रबन्धन के किसी एक विषय के ऊपर प्रशिक्षित किया जाता है, माकड्रिल कराया जाता है व जागरूक किया जाता है।	शिक्षा विभाग
सात निश्चय	सात निश्चय के अन्तर्गत शामिल कार्यक्रमों – सड़क निर्माण, लगातार बिजली, साफ पीने का पानी, हर घर में शौचालय, युवाओं को रोजगार, पढ़ाई व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना शामिल है। इन सभी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, रोक–थाम, शमन व पूर्व तैयारी के उपायों को शामिल कर उनके लिए बजट का प्रावधान किया जा सकता।	शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग

स्रोत : विभागीय चर्चा

9.2 केन्द्रीय सरकार की गैर योजना कार्यक्रम

प्रधानमंत्री राहत कोष

राष्ट्रीय स्तर पर, किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जनता के सहयोग से हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष के पीछे निम्न उद्देश्य हैं –

- पीड़ित एवं उसके परिजनों को तत्काल वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु
- खोज एवं बचाव में सहयोग करने हेतु
- पीड़ितों को स्वास्थ्य देख–भाल पहुंचाने हेतु
- पीड़ितों को शरणालय, भोजन, पेयजल एवं साफ–सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु
- सड़कों, पुलों, संचार सुविधाओं एवं परिवहन के अस्थाई बहाली हेतु
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की तत्काल बहाली हेतु।

सांसद राहत कोष

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के कारण प्रभावित लोगों/संसाधनों को पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस लाने के लिए, खोज, बचाव, पुनर्निर्माण आदि के कामों में स्थानीय सांसद रू0 10 लाख तक की राशि आपदा प्रबन्धन के कामों में खर्च कर सकता है।

क्षमता निर्माण कोष

गम्भीर परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा प्रभावी एवं त्वरित ढंग से आपदा रिस्पान्स को क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है ताकि मानव जीवन एवं सम्पत्ति पर आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा के प्रति रिस्पान्स करने वाले समुदायों/लोगों के बीच नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संचालित किया जाये। राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण के मद में प्रत्येक वर्ष कुल राज्य आपदा रिस्पान्स कोष का 10 प्रतिशत प्राप्त होता है। जिले की मांग पर इस क्षमता विकास अभ्यास को जिला स्तर पर किया जाता है और इस हेतु आवश्यक कोष राज्य स्तर से निर्गत होता है।

अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग

आपदा प्रबन्धन के सन्दर्भ में देखा जाये तो आपदा के बाद पुनर्निर्माण के समय वित्तीय संसाधन एवं प्रबन्धन का होना अत्यधिक आवश्यक है। इस हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य आपदा प्रबन्धन कोष के प्रावधान से अलग गंभीर प्राकृतिक स्थिति होने पर इस कोष का प्रावधान राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स कोष से किया गया है।

9.3 अन्य विकल्प

इसके अलावा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण विभिन्न प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य प्राइवेट दानदाताओं से राहत, पुर्नस्थापन एवं अन्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों से सहयोग ले सकता है। साथ ही अन्य विकल्पों के तौर जोखिम बीमा व आपदा के कारण बड़े पैमाने पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए माइक्रो इन्श्योरेन्स, कारपोरेट सोशल रिस्पान्सबिलिटी (CSR) के अन्तर्गत फण्ड को राहत, पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन के कार्यों में सहयोग लिया जा सकता है।

अध्याय : 10

निगरानी, मूल्यांकन एवं जिला आपदा प्रबन्धन योजना का अद्यतन

(Monitoring, Evaluation and Updation of District Disaster Management Plan)

जिला आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया होती है। जिसकी निरन्तर एवं सघन निगरानी, मूल्यांकन व समय–समय पर उसको अद्यतन किया जाना आवश्यक होता है। निगरानी एवं मूल्यांकन प्रक्रिया न केवल योजना के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहयोग करती है, वरन् इससे कार्यो की भी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। साथ ही साथ निरन्तर निगरानी एवं मूल्यांकन के माध्यम से आपदा के प्रभावों को कम करने की दिशा में नये विकल्पों के ऊपर चर्चा करने एवं काम करने का अवसर मिलता है। इस दृष्टिकोण से जिला आपदा प्रबन्धन योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन विभिन्न पहलुओं एवं स्तरों पर किया जाना चाहिए। जिससे योजना के अन्तर्गत विभिन्न हितभागियों के लिए सुझाये गये कार्यों की प्रगति एवं उसकी वस्तुस्थिति को समझा जा सके तथा विगत आपदाओं के दौरान प्राप्त सीखों एवं अनुभवों के आधार पर कार्यों/उपायों की सफलता–असफलता को जांचते हुए कार्य बिन्दु में बदलाव किया जा सके।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना के उपयुक्त निगरानी, मूल्यांकन एवं अद्यतन करने के लिए जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। जिला आपदा प्रबन्धन योजना की निगरानी, मूल्यांकन एवं अद्यतन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित हैं –

- संसाधनों की उपयुक्तता/उपलब्धता
- विभिन्न विभागों/एजेन्सियों के बीच समन्वयन
- समुदाय की सहभागिता
- गैर सरकारी संगठनों के साथ सहभाग करना।
- आपदा से सम्बन्धित बीमा योजनाओं पर कार्य करने के लिए बीमा कम्पनियों के साथ सहभाग करना।

10.1 योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु दिशा–निर्देश

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जिला आपदा प्रबन्धन योजना के निर्माण से सम्बन्धित धारा 31 की उपधारा 4, 5, 6 एवं 7 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार –

- जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जायेगा और उसे अद्यतन किया जायेगा।

- उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले के सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेंगी।
- जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा, जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेसित करेगा।
- जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा, जिन्हें वह क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन के समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए–

- सभी विकासीय योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मानकों को शामिल किया गया है एवं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- प्रत्येक एक वर्ष पर जिले में उपस्थित सरकारी एवं गैर सरकारी सभी संसाधनों की सक्रियता एवं पर्याप्तता की निगरानी करना। इसके अन्तर्गत सभी विभागों/एजेन्सियों/सामुदायिक संगठनों के पास उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों की सूची को अद्यतन किया जायेगा और उसे आई0डी0आर0एन0/एस0डी0आर0एन0 की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
- संसाधनों को अद्यतन करनेहेतु जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर उत्तरदायी होगा, जो सामान्य समय में विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्र कर एन0आई0सी0 के सहयोग से इस कार्य को करेगा।
- जिले में उपस्थित सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों का निम्नलिखित आडिटों के माध्यम से निगरानी एवं मूल्यांकन किया जा सकता है–
  - – महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के लिए विद्युत सुरक्षा आडिट
  - – महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के लिए अग्नि बचाव आडिट
  - – सभी सरकारी कार्यालयों एवं भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा आडिट

– आवासीय भवनों के निर्माण में राष्ट्रीय भवन संहिता का पालन सुनिश्चित कराना।

- यह भी सुनिश्चित करना कि सभी विकासात्मक योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश किया गया है।
- सभी विभागों, एजेन्सियों एवं अन्य हितभागियों के नोडल पदाधिकारियों के बीच समन्वयन को अपडेट करना।
- सभी फ्रण्टलाइन विभागों के अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित किये जाने की निगरानी करना।
- जिले के अन्दर बचाव, शमन, पूर्व तैयारी एवं रिस्पान्स से सम्बन्धित सभी कार्यों के उपयुक्त क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा सफल अभ्यासों (Best Practices) का दस्तावेजीकरण करना।
- निगरानी हेतु विभागवार चेकलिस्ट विकसित करना (संलग्नक20)।
- योजना की उपयोगिता को जानने हेतु नियमित मॉकड्रिल एवं अभ्यास किया जाना।
- आयोजित मॉकड्रिलों एवं अभ्यासों में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं अन्य एजेन्सियों की नियमित सहभागिता सुनिश्चित करना।
- योजना के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार अधिकारियों एवं अन्य हितभागियों का नियमित प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण किया जाना।
- सम्पूर्ण योजना या उसके महत्वपूर्ण भाग को ई–प्लान के तौर पर विकसित कर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड करना ताकि योजना की जानकारी अधिक से अधिक हितभागियों तक हो सके। इस प्रक्रिया से योजना के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में और अधिक पारदर्शिता आयेगी।

सन्दर्भ सूची

- राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, 2017 **''अगलगी पर मानक संचालन प्रक्रिया''**
- Govt. of Bihar, 2016, **"Roadmap for Disaster Risk Reduction 2015-2030(Revised)"**
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2016, **"National Disaster Management Guidelines on School Safety Policy"**
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2016, **"National Disaster Management Guidelines on Hospital Safety"**
- **UNISDR, "Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030"** available at website <https://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291>
- Gupta, Anil K et. al, 2016, **"Climate Resilient and Disaster Safe Development" Process Framwork Training Manual,** by : GEAG, ISET-USA, 2016
- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सुपौल, 2015, **''जिला आपदा प्रबन्धन योजना''**
- बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, 2015, **'''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन'' पर मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्तपुस्तिका'**
- गोरखपुर एन्वायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप, 2011, **''सूखा स्थितियों से निपटने हेतु सामुदायिक प्रयासों का दस्तावेज''**
- National Disaster Management Authority, 2010**"Guidelines on Management of Dead in the aftermath of disaster"**available at https://ndma.gov.in/images/guidelines/management-of-Dead-in-the-Aftermath-of-disaster>
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2010, **"National Disaster Management Guidelines Management of Droughts"**
- राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, 2010, ''बाढ़ पर मानक संचालन प्रक्रिया''
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2008, **"National Disaster Management Guidelines Management of Floods"**
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2007, **"National Disaster Management Guidelines Management of Earthquakes"**
- मिश्रा, डी0के0, 2006**''दुई पाटन के बीच में''** प्रकाशन : पीपुल्स

- Building Material and Technology Promotion Council, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Government of India, 2006, **"Vulnerability Atlas of India"**
- गोरखपुर एन्वायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप, 2005, **''बाढ़ स्थितियों से निपटने हेतु सामुदायिक प्रयासों का दस्तावेज''**
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, **"National Disaster Management Guidelines on Minimum Standards of Releif"**
- भारत सरकार, 2005, **''आपदा प्रबन्धन अधिनियम''** अनुभाग (क) भारत का राजपत्र असाधारण 389
- राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, 2001, **''सुखाड़ पर मानक संचालन प्रक्रिया''**